सत्यमेव जयते

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

औषधीय पादप संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना

कार्यात्मक दिशानिर्देश

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

NATIONAL MEDICINAL PLANTS BOARD
Plants For Health & Prosperity

**औषधीय पादप संरक्षण, विकास
एवं सतत प्रबंधन के लिए
केन्द्रीय क्षेत्र योजना**

कार्यात्मक दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

आयुष मंत्रालय

भारत सरकार

विषय–वस्तु

औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए कार्यात्मक दिशानिर्देश

	प्रस्तावना	1
	योजना के उद्देश्य	1
	रणनीति	3
	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	3
I.	**योजना/स्कीम के संघटक**	4
1.	बहुआयामी रणनीति के माध्यम से औषधीय पादपों का संरक्षण	
1.1	स्व–स्थाने संरक्षण	
क)	औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्र (एम.पी.सी.डी.ए)	
ख)	स्व–स्थाने संसाधन संवर्धन	6
1.2	बाह्य–स्थाने संरक्षण	7
1.3	संकटग्रस्त औषधीय पादप पर्यावास के पुनर्वास हेतु ईको टास्क फोर्स का गठन	8
1.4	मूल्यवर्द्धन, शुष्कन, भंडारण और विपणन संबंधी अवसंरचना बढ़ाने आदि के लिए स्थानीय समूह की स्थापना करने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी)/ पंचायतों/वन पंचायतों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) /जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को सहायता प्रदान करना	9
2.	**अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और गुणवत्ता आश्वासन**	**11**
2.1	अनुसंधान एवं विकास	11
2.2	गुणवत्ता आश्वासन	13
2.2.1	उत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देना	13
2.2.2	कच्ची औषध भंडारण केंद्र	14
3.	**सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) नीति के माध्यम से हितधारकों को जागरूक करना, अनुभव दौरे कराना, शिक्षा और कौशल विकास**	**14**
3.1.	प्रदर्शनी /मेलों में भागीदारी और प्रचार सामग्री	15
3.2	औषधि वनस्पति मित्र कार्यक्रम (एवीएमपी)	16
3.3	कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन और आरोग्य मेलों में सहभागिता	16
3.4	पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन	17
3.5	वेब–पोर्टल की स्थापना एवं संचालन	18
3.6	प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	18
4.	**जड़ी–बूटी उद्यानों (हर्बल गार्डन) को बढ़ावा देना**	**19**
4.1.	विद्यालय जड़ी–बूटी उद्यान (स्कूल हर्बल गार्डन)	19
4.2	संस्थागत/सार्वजनिक जड़ी–बूटी उद्यान/हर्बल गार्डन/आयुष वन	20
4.3	राज्य एवं राष्ट्रीय महत्व के जड़ी–बूटी उद्यान/हर्बल गार्डन	21

5.	**अन्य संर्वधनात्मक कार्यकलाप**	**21**
6.	**अन्य उपाय**	**22**
6.1	द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग	22
6.2.	विपणन	24
क)	विपणन उपाय	24
ख)	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)	25
7.	**मल्टीमीडिया के उपयोग सहित औषधीय पादप प्रजातियों के लिए विशेष अभियान**	**26**
8.	**संस्थागत सुदृढ़ीकरण**	**26**
8.1.	राज्य औषधीय पादप बोर्डों (एसएमपीबी) का सुदृढ़ीकरण	26
8.2.	विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एनएमपीबी के क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) (मौजूदा सरकारी संस्थानों, निगमों, उत्कृष्टता केंद्रों आदि के भीतर) की स्थापना करना	27
9.	**एनएमपीबी का प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंध**	**28**
9.1	परियोजना जांच समितियों (पीएससी)	28
9.1.1	'अनुसंधान एवं विकास' से संबंधित परियोजना जांच समिति के संरचना मेँ निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः	28
9.1.2	अन्य परियोजनाओं (स्व–स्थान/बाह्य–स्थाने संरक्षण, जड़ी–बूटी उद्यान, सूचना, शिक्षा और संचार विपणन आदि से संबंधित परियोजना जांचध्स्क्रीनिंग समिति की संरचना	29
9.1.3	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और कौशल विकास (सीबी) आदि परियोजनाओं से संबंधित परियोजना स्क्रीनिंग समिति की संरचना	29
9.2	सलाहकार समिति क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) :	29
9.3	परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी)	30
10.	**परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए कार्रवाई की प्रक्रिया**	**31**
11.	**कार्यान्वयन एवं निगरानी**	**31**
	सामान्य शर्तें	32
12.	**निगरानी और मूल्यांकन**	**33**
I.	राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा निगरानी और मूल्यांकन	33
II.	तृतीय पक्ष निगरानी	34
III.	मेनटोरिंग के लिए मुख्य तकनीकी अधिकारी/डोमैन विशेषज्ञ	34
	परिशिष्ट	35
	संलग्नक–I औषधीय वृक्षों, जड़ी–बूटियों और बारहमासी झाड़ियों का स्व–स्थाने संसाधन संवर्धन, बाह्य–स्थाने संरक्षण और रोपण संबंधी लागत मानदंड	38

	संलग्नक–II संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न एसएमपीबी के न्यूक्लियस सेंटर के रखरखाव के लिए अनुदान का सांकेतिक घटक/शीर्ष–वार व्यय (तालिका – 1)	40
	उन एसएमपीबी के एकल केन्द्रों/न्यूकलस सेंटर के रखरखाव के लिए अनुदान का निर्देशात्मक घटक/शीर्ष–वार व्यय जो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और पूर्वोत्तर राज्यों के अतर्गत आते हैं। (तालिका – 2)	41
	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड वित्तीय सहायता (अनुदान) के नियम और शर्तें	42
II.	**औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती/फॉरवर्ड और पश्चवर्ती/बैकवर्ड संबद्धता/लिंकेज (एकीकृत घटक)**	45
1.	**परिचय**	**46**
2.	**उद्देश्य**	**46**
3.	**एकीकृत परियोजना संघटक**	**46**
3.1	औषधीय पादपों के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के लिए अवसंरचना	46
3.1.1	बीज/सीड जर्म प्लाज्म केंद्र की स्थापनाः	46
3.1.2	गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए पौधशालाओं/नर्सरी की स्थापना	47
i.	आदर्श/मॉडल पौधशाला	47
ii.	लघु पौधशाला	47
3.2	सूचना,शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप	48
3.3	फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के लिए अवसंरचना	48
3.3.1	शुष्कन प्रांगण/ड्राईंग यार्ड	48
3.3.2	भंडारण गोदाम/स्टोरेज गोदाम	48
3.3.3	मूल्य संवर्धन अवसंरचना	49
3.3.4	ग्रामीण संग्रहण केंद्र	49
3.4	गुणवत्ता परीक्षण	49
3.5	प्रमाणन/सर्टिफिकेशन	49
4.	**पात्रता**	**49**
5.	**विभिन्न संघटकों के लिए अधिकतम सहायता**	**50**
5.1	औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संबद्धता/ लिंकेज (एकीकृत घटक)	50
5.2	परियोजना अवधि	50
5.3	निधियां जारी करना	50
6.	**प्रस्ताव की प्रस्तुतिकरण**	**50**
7.	**कार्यान्वयन रूपरेखा**	**51**
7.1	एकीकृत परियोजनाओं के लिए मानदंड	51
7.2	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/पीआई के लिए मानदंड	51
8.	**प्रशासनिक सहायता**	**53**
9.	**निगरानी और मूल्यांकन**	**53**
10.	**न्यायालय का क्षेत्राधिकार**	**53**

11.	**संलग्नक–I** गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, आईईसी कार्यकलापों, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के लिए अवसरंचना, गुणवत्तापरक परीक्षण और प्रमाणन के लिए अवसंरचना सहायता के मानदंड	54
12.	**संलग्नक–II** गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उगाने के लिए औषधीय पादपों की सांकेतिक सूची	55
13.	**संलग्नक–III** विस्तृत एकीकृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप	59
14.	**संलग्नक–IV** एकीकृत घटक के तहत गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रारूप	62
15.	**संलग्नक–V** आईईसी कार्यकलापों (प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्रेता–विक्रेता बैठक) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रारूप	65
14.	**संलग्नक–VI** फसलोपरांत प्रबंधन, मूल्यवर्धन और विपणन अवसंरचना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप	66

आयुष मंत्रालय
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी)

औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए कार्यात्मक दिशा–निर्देश

प्रस्तावना

भारत विविध प्रकार के औषधीय पादपों का देश है जहां सदियों से स्थानीय आम जन द्वारा इनका न केवल अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, अपितु पालतू पशुओं (पशु आयुर्वेद) और फसलों (वृक्ष आयुर्वेद)के रोगों के निवारण के लिए भी किया जाता है। औषधीय पादप हमारी पारंपरिक स्वदेशी स्वास्थ्य परिचर्या का प्रमुख संसाधन आधार हैं। यद्यपि, हाल के वर्षों में औषधीय पादपों की खेती ने गति पकड़ना आरम्भ कर दिया है, फिर भी हमारी आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग वन स्रोतों से पूरा किया जाना अभी भी जारी है। देशी और विदेशी बाजारों की औषधीय पादपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, हमें व्यवस्थित सर्वेक्षण के माध्यम से औषधीय पादपों की स्व–स्थाने खेती के साथ–साथ बाह्य–स्थाने संरक्षण के प्रयासों, स्थानीय औषधीय पादपों और वन–वृक्ष विज्ञान के सिद्धांतों और प्रबंधन के नियमों के अनुसार रोपण के माध्यम से औषधीय महत्व की सुगंधित प्रजातियों का संवर्द्धन करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।इसे ध्यान में रखते हुए, 'औषधीय पादप संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना' नामक स्कीम को प्रारंभ करने के लिए मंत्रिमंडल ने दिनांक 26.06.2008 के पत्र सं. सीसीईए/21/2008 द्वारा अनुमोदन किया था। इस स्कीम को दिनांक 01–12–2014 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी)की बैठक में बारहवीं योजना अवधि के लिए 450.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदन किया गया था और यह 31 मार्च, 2021 तक जारी रही है। 17 मार्च, 2021 को आयोजित एसएफसी की बैठक में औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना नामक स्कीम को वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए 322.41 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ 31मार्च, 2021 से आगे जारी रखने के लिए भी अनुमोदन किया गया है। तत्पश्चात, दिनांक 03 मई, 2023 को आयोजित पीएसी की बैठक में यथा अनुमोदित "औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती सम्बद्धता (एकीकृत घटक) अतिरिक्त संघटक के रूप में जोड़ा गया है।

यह स्कीम गुणवत्तापरक अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास, गृहध्स्कूल स्तर पर जड़ी–बूटी उद्यानों के निर्माण जैसे संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर भी केंद्रित है। यह स्कीम उत्तम कृषि और संग्रहण पद्धतियों (जीएसीपी) के विकास गुणवत्ता, संरक्षा और प्रभावात्मकता के मानकों को निर्धारण करने वाले मोनोग्राफ का विकास कृषि–तकनीकों का विकास और कच्ची औषधों, बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता के प्रमाणन तंत्र अर्थात विश्वसनीय संस्थान के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण के कार्यक्रमों के लिए सहयोग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, कतिपय वन समृद्ध क्षेत्रों में औषधीय पादपों के संग्रहण और व्यापार से पारिवारिक आय 40 से 50% है, इस प्रकार, इस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय, विशेष रूप से सीमावर्ती वन क्षेत्रों के समुदायों की आजीविका में सुधार लाना है।

इस स्कीम में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों से देश को औषधीय पादपों के जैव विविधता के क्षेत्र में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में सहायता मिलेगी और द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा जो न केवल क्षेत्र के भावी विकास के लिए अपितु यह भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

स्कीम के उद्देश्यः

गुणवत्तापरक जड़ी–बूटियों की सतत उपलब्धता को प्रभावित करने वाले समस्त मुद्दों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के प्रयासों को व्यापक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कार्यनीति में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के साथ–साथ खेती और संग्रहण करने, औषधीय और सुगंधित पादपों (एमएपी) के प्रापण के लिए आईटी समर्पित तंत्रों के माध्यम से बढ़ावा देने और सूचना का प्रसार करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, औषधीय और सुगंधित पादपों (एमएपी) के लिए नेटवर्क संबद्ध कृषि–मंडियों की स्थापना करने, कृषकों और उत्पादकों/सहकारी समितियों का डॉटाबेस तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से आधुनिक भंडार–गृहों एवं आपूर्ति श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण एक अन्य प्राथमिक क्षेत्र है। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) उद्योगों की देशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक उत्पादक कंपनियों (पीपीसी) संवर्धन पर सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करना चाहिए। फिर इन संगठनों को उनकी उपज (चाहे वह खेती करने पर उपलब्ध हुई हो या वनों से संग्रहित की हो) का विपणन कराने के लिए आगे लाया जाएगा। इसका अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है–सभी हितधारकों, विशेष रूप से संग्राहकों, जो समाज के निर्धनतम जन हैं, का कौशल विकास करना है।

स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं:

- स्व–स्थाने और/अथवा बाह्य–स्थाने संरक्षण को बढ़ावा देना, उन औषधीय पादपों का संसाधन संवर्द्धन करना जो आयुष उद्योग और लोक चिकित्साके लिए महत्वपूर्ण हैं।
- स्व–स्थाने संरक्षण के उपायों में महत्वपूर्ण औषधीय पादपों को उनके मूल/प्राकृतिक पर्यावास में पर्यावरण–पद्धतियों में संसाधन संवर्द्धन को साथ मिलाकर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण, सूचीकरण और प्रलेखन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे जहां वे ऐसी पर्यावरण–पद्धतियों के क्षरण को समग्र तरीके से रोककर और बढ़ती असंगत खरपतवार को समाप्त करके स्वाभाविक रूप से होने वाले जैविक वर्ग का हिस्सा बनते हैं।
- ग्रामीण/अवक्रमित वन/सार्वजनिक/ गैर–सार्वजनिक/संस्थागत भूमि / शहरी और अर्द्ध–शहरी भूमि और बंजर भूमि में ऐसे कार्यक्रमों के लिए सहयोग प्रदान करके बाह्य–स्थाने संरक्षण को बढ़ावा देना।
- औषधीय पादपों के पर्यावास अवक्रमण को उलटने के लिए इको–टास्क फोर्स तंत्र को कार्य पर रखना। औषधीय पादपों की जैव–विविधता के साथ पर्यावरण–प्रणालियों का संरक्षण और विकास करना।
- औषधीय पादपों के सभी पहलुओं में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, कृषि–तकनीकों के विकास, फसलोपरांत प्रबंधन, भंडारण और प्रसंस्करण, आणविक लक्षण दर्शाने वाले उपकरणों आदि का विकास करना।
- किसानों, संग्रहणकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए औषधीय पादप आधारित आजीविका पद्धति को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना, औषधीय पादपों और सुगंधित पादपों के औषधीय अनुप्रयोगों के उत्तम गुणवत्तापरक जीन पूल स्रोतों को बनाए रखना। औषधीय पादप आपूर्ति श्रृंखला के मानचित्रण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और बाजार लिंकेज का अनुकूलन व मूल्यवर्धन।
- औषधीय पादपों का गुणवत्तापरक मानकीकरण, उत्तम संग्रहण कार्य और उत्तम कृषि पद्धतियों का प्रसार करना।
- सूचना, शिक्षा और संचार – संगोष्ठी, प्रशिक्षण और अनुभव दौररों के जरिए कौशल विकास को बढ़ावा देने और मानव संसाधन विकास को उपयुक्त अंतर–राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के जरिए बढ़ावा देना। प्रलेखों, मोनोग्राफ, तकनीकी बुलेटिन, वृत्तचित्र, ब्रोशर, पोस्टर, अन्य प्रचार सामग्री, आदि के प्रकाशन को बढ़ावा देना।
- औषधीय पादपों की जैव विविधता के संदर्भ में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना और द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना।
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) को सुदृढ़ करना जिससे वह औषधीय पादपों से संबंधित सभी मामलों का पूरी तत्परता और कुशलता से समन्वय करे और औषधीय पादपों से संबंधित सूचना, जिसमें उनकी उत्पत्ति, उपयोग, प्रजाति–वनस्पति उपयोग, कृषि पद्धतियों, फसलोपरांत प्रबंधन पद्धतियों, विपणन आदि सम्मिलित हैं, के वितरण केंद्र के रूप में कार्य करे। एसएमपीबी को संस्थागत सुदृढ़ करना और आयुष पद्धतियों की रणनीतिक पहुंच को अनुकूल बनाने के लिए उन्हें क्षेत्रीय केंद्र बनाना।
- जलवायु परिवर्तन प्रशमन कार्यनीतियों में औषधीय पादपों को मुख्यधारा में लाने को बढ़ावा देना और कार्बन पृथक्करण के प्रति औषधीय पादप वृक्ष प्रजातियों के पुनर्सृजन/पौधा–रोपण को बढ़ावा देना।
- औषधीय पादप जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना।

कार्यनीति

इस स्कीम को औषधीय पादपों के संरक्षण और फसलोपरांत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने हेतु दीर्घकालीन सुस्थिरता के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाकर वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 के दौरान कार्यान्वयन किया जाने का प्रस्ताव हैः –

क) औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एमपीसीए) द्वारा औषध उपयोग वाली औषधीय एवं देशी सुगंधित प्रजातियों की मौजूदा प्राकृतिक संख्या का व्यवस्थित सर्वेक्षण और जियो रिफ्रेंसिंग।

ख) स्व–स्थाने और बाह्य–स्थाने संसाधन संवर्द्धन के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देना और औषधीय एवं सुगंधित पादपों की प्रजातियों की स्थानीय संख्या को कृत्रिम पुनर्सृजन के माध्यम से बढ़ाना।

ग) उत्तम गुणवत्ता की प्रसार सामग्री को बनाए रखने के लिए पौधशालाओं के निर्माण से संबद्ध औषधीय महत्व की औषधीय एवं सुगंधित पादपों की प्रजातियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करना।

घ) उच्च व्यापारिक मांग और जैव कार्य निर्देशित फाइटो–रसायनिक अध्ययन इत्यादि के साथअति दुर्लभ/लुप्तप्राय और संकटग्रस्त (आरईटी) सूचीबद्ध पादपों और प्रजातियों सहित महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के विकल्पों की विशेष रूप से गुणवत्ता, प्रलेखन, पहचान से संबंधित प्रौद्योगिकी कमियों को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

ड़) गुणवत्ता मानकों, उत्तम कृषि पद्धति (जीएपी), उत्तम कृषि क्षेत्र संग्रहण पद्धति (जीएफसीपी) और उत्तम भंडारण पद्धति (जीएसपी) मूल्य संवर्धन और विपणन अवसंरचना के लिए उत्पादन, फसलोपरांत तकनीक और प्रमाणन तंत्र में सुधार करना।

च) औषधीय पादपों के संरक्षण, उपलब्धता, व्यापार, गुणवत्ता आश्वासन को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास के बराबर बनाये रखना।

छ) वन निवासियों, किसानों, स्थानीय वैद्यों और अन्य हितधारकों को आजीविका और आर्थिक लाभ प्रदान करना।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की स्थापना दिनांक 24 नवम्बर, 2000 को सरकार के अधिसूचित संकल्प के तहत हुई थी। इस बोर्ड की स्थापना करने का उद्देश्य किसी ऐसी एजेंसी की स्थापना करना था जो औषधीय पादपों से संबंधित सभी प्रकार के मामलों के समन्वय के प्रति उत्तरदायी हो। बोर्ड का कार्य सामान्यतः औषधीय पादपों के विकास के लिए मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समन्वय करना और विशेषतः निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करना हैः

- देश और विदेश दोनों में औषधीय पादपों से संबंधित मांग/आपूर्ति की स्थिति का आकलन करना।
- औषधीय पादपों के विकास हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित नीतिगत मामलों पर मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को परामर्श देना।
- कृषि हेतु भूमि एवं औषधीय पादपों की खेती करने तथा संग्रहण, भंडारण करने और परिवहन हेतु अवसंरचना कार्य करने वाली एजेंसियों द्वारा कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- औषधीय पादपों की पहचान, सूचीकरण और गणना।
- औषधीय पादपों का स्व–स्थाने एवं बाह्य–स्थाने संरक्षण और संसाधन संवर्द्धन करना।
- संग्राहकों और उत्पादकों के मध्य सहयोगपरक व सहकारिता के प्रयासों को बढ़ावा देना और उनकी उपज का प्रभावी ढंग से भंडारण, ढुलाई और विपणन करने में उनको सहयोग देना।
- औषधीय पादपों के संबंध में डॉटा–बेस की स्थापना करना, सूचना का प्रचार–प्रसार और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाले पादप संबंधी पेटेंट को रोकने में सहायता प्रदान करना।
- देश और विदेश में उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता संबंधी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु उनका विपणन करने के लिए

- देश और विदेश में उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता संबंधी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु उनका विपणन करने के लिए बेहतर तकनीकों को अपनाने सहित कच्ची सामग्री के साथ–साथ मूल्य वर्धित उत्पादों, चाहे वे औषधियों, खाद्य पूरकों के रूप में हों अथवा जड़ी–बूटीय सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हों, के आयात/निर्यात से संबंधित मामले।
- वैज्ञानिक, तकनीकी अनुसंधान और लागत प्रभावकारिता संबंधी अध्ययन कार्य कराना और सौंपना।
- कृषि और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल का विकास करना।
- पेटेंट अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों/आईपीआर के संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

स्कीम के संघटक

1. बहु–आयामी कार्यनीति के माध्यम से औषधीय पादपों का संरक्षण

1.1 स्व–स्थाने संरक्षण

(क) औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास विकास क्षेत्र (एमपीसीडीए)

उद्देश्यः

औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्र (एमपीसीडीए) की स्थापना करके महत्वपूर्ण औषधीय पादपों का उनके प्राकृतिक उत्पत्ति स्थल/पर्यावास में स्व–स्थाने संरक्षण के साथ–साथ सर्वेक्षण, सूचीकरण, प्रलेखन, संरक्षण करने के माध्यम से मौजूदा औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एमपीसीए) का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन करना और पर्यावास प्रबंधन दृष्टिकोण से औषधीय पादपों को मुख्य धारा में लाना।

कार्यकलाप

क. औषधीय और सुगंधित पादपों की मौजूदा प्राकृतिक संख्या के सर्वेक्षण, प्रलेखन और जिओ रेफरेंसिंग के माध्यम से औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) की स्थापना करना। इसमें निम्नलिखित का समावेश रहेगाः

- वनों से पारंपरिक रूप से प्राप्त विभिन्न औषधीय पादप प्रजातियों के विलुप्त होने की स्थिति जानना/ज्ञात करना।
- संकटग्रस्त प्रजातियों के विलुप्त होने के प्रमुख कारणों की पहचान करना और उनके संभावित उपाय तलाशना।
- महत्वपूर्ण औषधीय पादप प्रजातियों का संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार करना।
- हितधारकों का कौशल विकास, प्रलेखन (उत्तम गुणवत्तापरक सचित्र निर्देशिका सहित) को वेबसाइट पर अपलोड करना, उनके सतत उपयोग के लिए प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययन आदि कराना, संबंधित राज्य एजेंसी/एसएमपीबी द्वारा इस प्रयोजनार्थ योग्य वर्गीकरणकर्ताओं और अन्य आवश्यक पेशेवरों की सेवाएं प्राप्त करना, केस स्टडीज की तैयारी करना, संरक्षण के महत्व/सुस्थिरता को बढ़ावा देना।

ख. उन्नयन, संरक्षा में सुधार लाना, प्रलेखन को क्षेत्र प्रबंधन योजना से सम्बद्ध करके संचार/प्रसार, भौगोलिक संदर्भ/जिओ रेफरेंसिंग, अल्पकालिक आधार पर पेशेवरों को रखना, कौशल विकास, सामुदायिक जुड़ाव, वेबसाइट पर होस्टिंग, उपयोग/सुस्थिरता आदि पर प्रायोगिक अध्ययन करने जैसे विषयों पर और अधिक विकास करने के लिए पूर्व नामित एमपीसीए (विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों से ज्यादा समय से स्थापित) का पुनरीक्षण, समीक्षा और प्रलेखन करना।

ग. उत्तम वनस्पति संवर्द्धन विज्ञान/प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण से औषधीय पादपों के संरक्षण को मुख्य धारा से जोड़ना, औषधीय महत्व वाले स्थानीय औषधीय और सुगंधित पादपों का सुव्यवस्थित तरीके से सर्वेक्षण करना, और कार्यपरक/प्रबंध योजनाओं और हितधारकों के लिए प्रभावी सम्प्रेषण में उनके प्रबंधन के लिए उचित वैज्ञानिक सिद्धांतों को समाविष्ट करना। जहां एमपीसीडीए का गठन हो गया है, तो प्रबंध आयोजनाओं में उनके ब्यौरे भी सम्मिलित किए जाने चाहिए।

पात्रता

- राज्य वन/वन्यजीव विभाग/वन विकास निगम/संघ/राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुसंधान संगठन/विश्वविद्यालय।
- इस कार्य–क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त गैर–सरकारी/स्वैच्छिक संगठन (संबंधित वन विभाग की सिफारिश के अध्यधीन)।

क्षेत्र विस्तार/कवरेज

औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्र (एमपीसीडीए) के लिए औसतन विस्तार 200 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक होना चाहिए। यद्यपि, पावन उपवन को भी महत्वपूर्ण औषधीय पादप जैव विविधता के छोटे क्षेत्र के संबंध में भी एमपीसीडीए के लिए विचार किया जा सकता है।

सहायता के मानदण्ड

- औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्र (एमपीसीडीए) की स्थापना करने के लिए 20,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- पहले से अधिनामित औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एमपीसीए), जो विभिन्न राज्यों में एनएमपीबी या अन्य स्कीमों के तहत तीन वर्ष से अधिक पहले स्थापित किए गए थे, के उन्नयन/समीक्षा/सुदृढ़ीकरण हेतु 5,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तम प्रबंधन/वनस्पति विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण में औषधीय पादप संरक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संबंधित वन/वन्यजीव प्रभाग को 1.50 लाख रूपये प्रति वन प्रभाग तक एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

इस संबंध में राज्य वन/वन्य जीव विभाग के प्रस्ताव संगत प्रपत्र में एनएमपीबी को ऑन–लाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि प्रस्ताव वन प्रभाग/ मंडल/सर्किल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी एक प्रति अनिवार्यतः पीसीसीएफ/एसएमपीबी/मुख्य वन्य जीव वार्डन को प्रेषित की जानी चाहिए, जो परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता प्रदान करेंगे।

प्रबंधन सहायता

संघटक के लिए राज्य को जांच, कार्यान्वयन, निगरानी और तकनीकी सहायता से संबंधित कार्यकलापों के लिए एनएमपीबी स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के साथ–साथ कार्यालय सहायक/डॉटा एंट्री आप्रेटर को कार्य पर रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ख) स्व–स्थाने संसाधन संवर्द्धनः

उद्देश्य

औषधीय पादपों की जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए औषधीय और सुगंधित पादप प्रजातियों की स्थानीय उपज का प्राकृतिक पुनर्सृजन या कृत्रिम पुनर्सृजन करने में सहायता करना जिसके परिणाम स्वरूप देश के द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के हिस्से के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे अन्य जैव विविधता परिरक्षण और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के उपाय करने में सहयोग देना।

कार्यकलाप

समर्थित प्राकृतिक पुनर्सृजन के माध्यम से औषधीय प्रजातियों का स्व–स्थाने संसाधन संवर्द्धन। ऐसी प्रजातियों, जिनकी पर्यावास के अवक्रमण और फसल की अनिश्चितता के कारण वन उपज घट गई हो,के मामले में विशेषतः महत्वपूर्ण औषधीय और सुगंधित पादपों की स्थानीय उपज का कृत्रिम पुनर्सृजन। इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण समुदायों की सक्रिय रुचि और जुड़ाव समग्र औषधीय पादप क्षेत्र की सुस्थिरता को बनाए रखने पर ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण उपादान है, इसलिए प्रारंभिक स्तर के कार्यकलापों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

पात्रता

- राज्य वन / वन्य जीव विभाग / वन विकास निगमः
- सार्वजनिक क्षेत्र के निगम / ऐसे कार्यकलाप करने लिए अधिदेश प्राप्त संघ, इस तरह के कार्य–क्षेत्र की अनुभवी स्वैच्छिक एजेंसियां / गैर–सरकारी संगठन (केवल तकनीकी सहायता और कौशल विकास के लिए)
- वन विभाग के साथ करार करने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुसंधान संगठन / विश्वविद्यालय।

सहायता के मानदंड

औषधीय वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी–बूटियों, बेलों और बारहमासी पादपों के लिए स्व–स्थाने संसाधन संवर्द्धन और रोपण विषयक लागत मानदंड **संलग्नक–I** में दिए गए हैं।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

राज्य के वन / वन्य जीव विभाग के संगत प्रपत्र में प्रस्ताव एनएमपीबी को ऑन–लाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि वन विभाग / मंडल / सर्किल द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी एक प्रति पीसीसीएफ / एसएमपीबी / मुख्य वन्य जीव वार्डन को प्रेषित की जानी चाहिए। इससे परियोजना कार्यान्वयन के दौरान उनकी निगरानी करने में सहायता मिलेगी।

प्रबंधन सहायता

जांच, कार्यान्वयन, निगरानी इत्यादि से संबंधित कार्यकलापों के लिए एनएमपीबी स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के साथ कार्यालय सहायक / डॉटा एंट्री आप्रेटर कार्य पर रखा जाएगा।

1.2 बाह्य–स्थाने संरक्षण

उद्देश्य

औषधीय पादप प्रजातियों का बाह्य–स्थाने संरक्षण औषधीय पादप प्रजातियों की जैव विविधता के संरक्षण का पूरक कार्य होता है जिससे वन्य उपजों पर दबाव कम हो जाता है और कच्ची सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि होती है। वनोपज की कई प्रजातियों की उपज नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है और इन प्रजातियों की संभाव्य उपज स्व–स्थाने संरक्षण कार्य प्रारम्भ करने के लिए उपलब्ध नहीं है। बाह्य–स्थाने संरक्षण /औषधीय पादपों के उद्यान विश्वसनीय बीज स्रोत बनेंगे और यह कृषि भूमि जीन बैंक के रूप में भी कार्य करेगा। इससे अनेकानेक हितधारकों को महत्वपूर्ण औषधीय पादपों और औषधीय महत्व की सुगंधित प्रजातियों का उत्पादन और उनका पुनर्सृजन करने के कार्य से जोड़ने/लगाने में भी सहायता मिलेगी।

कार्यकलाप

- औषधीय पादपों और औषधीय महत्व की सुगंधित प्रजातियों के तहत क्षेत्र का विस्तार करने हेतु औषधीय पादपों का रोपण निर्दिष्ट वनों से बाहर की भूमि पर किया जाएगा। ऐसे रोपण ग्रामीण के साथ–साथ इलाकों/शहरी परिधीय स्थानों के ब्लॉकों, पट्टियों, परिसीमाओं, सीमांत भूमि, कृषि वानिकी मॉडलों आदि में किए जा सकते हैं।
- इस तरह के पौधारोपण कार्य ऐसे संगठनों द्वारा द्वारा किए जाएंगे जो भूमि के स्वामी हों, जिनके पास भूमि का दीर्घकालिक पट्टा हो और उनके पास या तो स्वयं की अथवा फिर किराए पर ली गई/आउटसोर्स से ली गई अपेक्षित तकनीकी दक्षता हो।

पात्रता

- राज्य वन विभाग/सामाजिक वानिकी प्रभाग/राज्य वन्य जीव विभाग।
- वन विकास निगम/फेडरेशन/एसएमपीबी/एकीकृत जनजातीय विकास निगम/अ.जा./अ.ज.जा.निगम (अ.जा./अ.ज.जा.की भूमि पर)/नगर निगम निकाय/आवासीय सोसायटी/सार्वजनिक उपक्रम/इस कार्य का अनुभव रखने वाले स्वैच्छिक संगठन बशर्ते कि वे अपेक्षित तकनीकी दक्षता/योग्यता रखते हों ।
- औषधीय पादपों के कार्य करने का अधिदेश प्राप्त/क्षमतावान और रूचि रखने वैज्ञानिक संगठन और आयुष संस्थान तथा अन्य सरकारी एजेंसियां ।
- भू–मालिकों और पंचायतों/वन पंचायतों/बीएमसी/जेएफएमसी के साथ साझेदारी में कॉर्पोरेट सेक्टर (प्रतिष्ठित आयुष निर्माताओं सहित) को परियोजना आधार पर सहायता प्रदान के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे इस प्रयोजन के लिए समर्पित किए जाने वाले प्रारंभिक कॉर्पस हेतु कम से कम 5.00 लाख रूपए का अंशदान करके विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हों और उसमें से कम से कम 3.75 लाख रूपये का योगदान कॉर्पोरेट भागीदार द्वारा किया जाएगा ।

सहायता के मानदंड

औषधीय वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी–बूटियों, बेलों और बारहमासी पादपों का बाह्य–स्थाने रोपण करने के लिए लागत मानदंड **संलग्नक–I** में दिए गए हैं।

- जीएपी और जीएफसीपी को अपनाने के साथ परिसीमा रोपण, पट्टी रोपण, कृषि वानिकी आदि सहित बाह्य–स्थाने रोपण के लिए कॉरपोरेट सेक्टर (प्रतिष्ठित आयुष निर्माता सहित) को भी सहायता प्रदान की जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठित आयुष निर्माताओं और पंचायतों या भू–मालिकों को सम्मिलित करते हुए विशेष प्रयोजन वाहन/स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। प्रारंभिक कॉर्पस कोष के रूप में 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे जिसमें से कम से कम 75% का अंशदान संबंधित कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। एनएमपीबी द्वारा परियोजना मोड में वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा और तत्संबंधी निधियां एसपीवी के नाम से खोले जाने वाले अलग बैंक खाते में अंतरित की जाएंगी। ऐसे प्रस्तावों को परियोजना मोड में सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

राज्य वन/वन्य जीव विभाग से इस बारे में प्रस्ताव संगत प्रपत्र में एनएमपीबी को ऑन–लाइन प्रस्तुत किये जाएगें यदि प्रस्ताव वन प्रभाग/सर्किल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी प्रति अनिवार्यतः पीसीसीएफ/मुख्य वन्य जीव वार्डन प्रेषित की जानी चाहिए जो इसके कार्यान्वयन के दौरान परियोजना की निगरानी करने में सहायता करेंगे। कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा प्रस्ताव एनएमपीबी के साथ–साथ संबधित समवर्ती एसएमपीबी को प्रस्तुत किए जाएंगे। एसएमपीबी कार्यालय प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपने इनपुट्स, यदि कोई हों, सहित एनएमपीबी के साथ–साथ संबंधित संगठन को प्रदान करेगा और ऐसा न किए जाने पर प्रस्ताव पीएससी /पीएसी के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रबंधन सहायता

जांच, कार्यान्वयन, निगरानी और राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने से संबंधित कार्यकलापों के लिए एनएमपीबी स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के साथ कार्यालय सहायक/डॉटा एंट्री आप्रेटर कार्य पर रखा जाएगा।

1.3 संकटग्रस्त औषधीय पादप पर्यावास के पुनर्वास हेतु पर्यावरण कार्य बल/इको टास्क फोर्स का गठन

उद्देश्य

औषधीय और सुगंधित पादपों के रोपण के माध्यम से पारिस्थितिकीय बहाली/इको–रेस्टोरेशन के साथ–साथ देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक पर्यावासों को बहाल करना/उनके तीव्र अवक्रमण को रोकना।

कार्यकलाप

विभिन्न संकटपूर्ण औषधीय पादपों के प्राकृतिक पर्यावास/उत्पत्ति स्थल तीव्र अवक्रमण/निम्नीकरण के खतरों का सामना कर रहे हैं। इस तरह के संकट को कम करने के लिए, देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक पर्यावासों को बहाल करने/उनको अधिक अवक्रमित होने से बचाने के लिए इको–टास्क फोर्सेस को सफलतापूर्वक लगाया गया है। इसलिए, यह प्रस्ताव रखा जाता है कि पूर्व–सैनिकों/प्रदेशिक सेना को शामिल करते हुए इको–टास्क फोर्स की सेवाएं ली जाएं। इस प्रयास को पीएसी द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रोजेक्ट मोड में शुरू की जाती है। ऐसी कोई पहल शुरू करने के लिए संबंधित राज्य वन विभाग, रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से परामर्श लिया जाएगा। इस घटक के तहत प्रस्तावों में कम से कम 60% क्षेत्र में औषधीय पादपों की मूल प्रजातियों का रोपण होना चाहिए।

पात्रता

देश के विभिन्न भागों में गठित इको टास्क फोर्स।

कवरेज/क्षेत्र विस्तार

प्रति वर्ष प्रत्येक ईको टास्क फोर्स द्वारा कम से कम 400 हेक्टेयर भूमि पर रोपण किया जाएगा।

सहायता के मानदंड

इन कार्यकलापों के लिए लागत मानदंड परियोजना के आधार पर होंगे।

प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

एनएमपीबी द्वारा राज्यों से प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे जो परियोजना पर विधिवत विचार किए जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और सेना मुख्यालय के साथ त्रिपक्षीय प्रारंभिक परामर्श किया जाएगा।

प्रबंधन सहायता

जांच, कार्यान्वयन, निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान करने से संबंधित कार्यकलापों के लिए एनएमपीबी स्तर पर एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के साथ कार्यालय सहायकध डाटा एंट्री ऑपरेटर को कार्य पर रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

1.4 मूल्यवर्द्धन, शुष्कन, भंडारण और विपणन संबंधी अवसंरचना बढ़ाने आदि के लिए स्थानीय समूह की स्थापना करने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) / पंचायतों / वन पंचायतों / स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को सहायता प्रदान करना।

उद्देश्य

उन औषधीय पादपों और औषधीय महत्व की सुगंधित प्रजातियों, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, की सतत फसल, उत्तम संग्रहण पद्धतियों को अपनाने, उचित फसलोपरांत व्यवस्था, विपणन और गैर–इमारती वनोपज (एनटीएफपी) इत्यादि के पुनर्सृजन को बढ़ावा देने के बारे में जेएफएमसी / वन पंचायत / पंचायतों / स्थानीय एसएचजी / बीएमसी के कौशल विकास के माध्यम से औषधीय पादपों के उत्पादन को दिशा देने और सतत आपूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस कार्यकलाप से स्थानीय और वनों में रह रहे समुदायों की आजीविका में वृद्धि होगी।

कार्यकलाप

- सुविधाओं के सृजन (जिसमें शुष्कन, कंकड़ / गुठली रहित करना, सफाई, ग्रेडिंग करना, पिसाई, प्रसंस्करण, चूर्ण बनाने, बिलेटिंग और पैकेजिंग करने, अर्क निकालने, भंडारण करने आदि के जरिए मूल्य संवर्द्धन हेतु उपकरण आदि शामिल हैं) और उत्तम संग्रहण प्रथाओं, कृषिकरण पद्धतियों और ऑर्गेनिक प्रमाणन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुभव दौरों से कौशल विकास करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
- वन विकास एजेंसी (एफडीए) को जिला / मंडल स्तर पर हितधारकों / क्रेता–विक्रेताओं के सगठनों का सम्मेलन आयोजित करने, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए उद्यमिता विकास करने (प्रशिक्षण) हेतु विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- अलग–अलग जेएफएमसी / बीएमसी में सृजित पैकेजिंग / हैंडलिंग उपकरणों, परीक्षण सुविधाओं अथवा एक से अधिक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) / बीएमसी / गांवों / पंचायतों में पूल की गई सुविधाएं दिलाने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि स्कीम के किसी भी अन्य घटकों के तहत सहायता नहीं मिलती है तो औषधीय पादपों और औषधीय महत्व की सुगंधित प्रजातियों के पौद का सीमित संसाधन संवर्द्धन और उत्पादन करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्राथमिक संग्राहकों, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), एनटीएफपी कार्य से सम्बद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, जनजातीय कल्याण विभाग और स्थानीय वन विभाग / एसएमपीबी द्वारा विधिवत अनुशंसित फ्रंटलाइन वानिकी कार्मिकों का क्षमता निर्माण / कौशल विकास।
- औषधीय पादपों के संग्रहण के माध्यम से आजीविका के सृजन को इस तरह संग्रहित उपज के विपणन से अनिवार्यतः सम्बद्ध किए जाने की जरूरत है। संग्रहकर्ताओं की आजीविका को सुविधाजनक बनाने, संग्रहण और वास्तविक विपणन के बीच अंतर–संबद्धता करने में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है जो वन विकास निगम जैसे संगठन या स्कीम की किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपज के लिए किए गए अंतिम भुगतान से वसूल किया जाएगा। इस कार्य के लिए यह

वांछनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन से संबंधित एजेंसी के लिए कार्यशील पूंजी निर्धारित की जानी चाहिए। एनएमपीबी कार्यशील पूंजी के रूप में राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्रदान की गई धनराशि का 50% अंशदान करेगा।

- विभिन्न गाँवों की ऐसी अनेक स्थानीय संस्थाओं को शामिल करके गठित जेएफएमसी/पंचायतों/ग्राम संस्था के संसाधनों को सामान्य रणनीतिक नोडल स्थानों पर सामूहिक कार्यकलापों/उपायों के लिए पूल तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार संबंधित विभाग/एजेंसियां अपने प्रस्तावों में क्लस्टर दृष्टिकोण (जहां संभव हो) पर विचार कर सकती हैं ताकि किसी इकाई में किया गया निवेश का वास्तव में समीपवर्ती जेएफएमसी/पंचायता/उपग्रामों, आदि पर लाभकारी प्रभाव पड़े और रणनीतिक रूप से अवस्थित सामूहिक प्रसंस्करण या अन्य सामान्य सुविधाएं सृजित करने के लिए परियोजना संसाधन का पूल तैयार किया जा सके।

पात्रता

- वन विकास एजेंसियों (एफडीए)/वन विभागों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी)।
- पंचायत/वन पंचायत/बीएमसी/ ईको विकास समितियां।
- औषधीय पादपों के संग्रहण और व्यापार के लिए इनचार्ज अन्य राज्य सहकारी/कॉर्पोरेट निकाय।
- उत्तम ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित करने वाले योग्य प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन/शैक्षणिक संगठन (केवल सामुदायिक संघटन, संचालन, क्षमता निर्माण, एक्सपोजर विजिट, विपणन संपर्क आदि जैसे कार्यकलापों के लिए)

सहायता के मानदंड

वन विकास एजेंसियों (एफडीए)/जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के माध्यम से पात्र एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी और यह प्रत्येक जेएफएमसी/वन पंचायत/बीएमसी के लिए अधिकतम 15.00 लाख रुपये तक सीमित होगी। परियोजना के प्रस्तावों का एफडीए/जिला स्तर पर समेकन किया जाना चाहिए और राज्य सरकार/एसएमपीबी को अग्रेषित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिएः –

- ऐसे क्षेत्र का आकार जो औषधीय पादपों का संग्रहण करने के लिए जेएफएमसी /वन पंचायत की पहुंच में हो ;
- उन औषधीय पादपों की प्रजातियों का ब्यौरा जिनका वर्ष के विभिन्न मौसमों में स्थानीय/ग्राम हाट/मंडियों और साप्ताहिक बाजारों में पारंपरिक रूप से कारोबार किया जा रहा है;
- औषधीय पादपों का संग्रहण करने में सम्मिलित स्थानीय हितधारक और जिन्हें परियोजना से लाभान्वित होने की संभावना हैं
- समुदाय की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतों के लिए स्थानीय पारंपरिक वैद्यों, औषधीय पादपों पर उनकी निर्भरता;
- सामुदाय का कौशल विकास और संचालन के लिए श्रेष्ठतम एनजीओ भागीदारों की उपलब्धता;
- व्यापार केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, यदि क्षेत्र में कोई मौजूद हो, की अवसंरचना का ब्यौरा;
- जेएफएमसी/बीएमसी /एसएचजी आदि के सदस्यों के लिए अन्य वैकल्पिक आजीविका के अवसरों की उपलब्धता;
- संसाधन संवर्द्धन, सतत संग्रहण और बाजार संबद्धता की संभावनाएं।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

संगत प्रपत्र में पात्र एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव राज्य वन/वन्य जीव विभाग के माध्यम से एनएमपीबी को प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि प्रस्ताव वन प्रभाग/ मंडल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी प्रति अनिवार्य रूप से पीसीसीएफ/मुख्य वन्य जीव वार्डन को प्रेषित की जानी चाहिए, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान इसकी निगरानी करने में सहायता मिलेगी।

प्रबंधन सहायता

राज्य को जांच, कार्यान्वयन, निगरानी और तकनीकी सहायता से संबंधित कार्यकलापों के लिए एनएमपीबी स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के साथ कार्यालय सहायक / डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य पर रखा जाएगा।

2. अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और गुणवत्ता आश्वासन

2.1 अनुसंधान और विकास

उद्देश्य

देश में औषधीय पादप क्षेत्र के विकास को विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में छुटपुट और अपर्याप्त अनुसंधान से नुकसान हो रहा है। अनुसंधान संबंधी ऐसी जरूरतों का पता लगाने के लिए अनुसंधान विषयक परिणामों को समेकित किए जाने, कमियों की पहचान करने और नई पहल प्रारम्भ करने की जरूरत है।

कार्यकलाप

(क) परियोजना मोड में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास किए जाने हेतु सहायता प्रदान की जा सकती हैः

- फसल की कटाई से लेकर उपभोग स्तर तक कच्ची औषध की प्राप्यता;
- अंकुरण और बीज शोधन नियम / प्रोटोकॉल और प्रमाणन;
- औषधीय पादपों और औषधीय महत्व की सुगंधित पादप प्रजातियों (एमएएस) के जैव–पूर्वेक्षण, जीव संख्या आकलन और संरक्षण;
- चयनित औषधीय पादपों और उनके आयुर्वेदीय, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंडएच) योगों और तत्संबंधी व्यापक मोनोग्राफ के नुस्खों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रकाशित वैज्ञानिक सूचना का संग्रहण, संकलन, प्रलेखन, सत्यापन और डिजिटलीकरण;
- औषधीय पादपों को भेषजसंहिता में सम्मिलित किए जाने के लिए भेषजीय औषध विज्ञान संबंधी और आणविक मापदंडों का उपयोग करके लिए व्यापारिक औषधीय पादपों के लिए विकल्पा / अपमिश्रणों की पहचान करना ;
- आरईटी सूचीबद्ध औषधीय पादपों के लिए विकल्प खोजना और सतत वैकल्पिक पादप के भागों का उपयोग करना;
- अनुसंधान एवं विकास संबंधी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अर्क, फाइटोकेमिकल्स, प्राकृतिक रंग, स्वाद और सुगंधित पादपों की खेती और उत्पादन की लागत को कम करने के उद्देश्य से अनुसंधान;
- जैव कार्यकलाप द्वारा मांग निर्देशित अंशांकन;
- फाइटो–घटक (अधिमानतः जैव–क्रिया / मार्कर यौगिक) और इन विधियों का सत्यापन के लिए
- डीएनए बारकोडिंग, स्पेक्ट्रोमेट्री एचपीएलसी विधियों आदि का विकास;
- व्यापार स्तर पर प्रचार के लिए उपलब्ध जीनोटाइप्स, केमोटाइप्स, इकोटाइप आदि में फाइटो–रासायनिक विविधताओं का अध्ययन, फसलोपरांत व्यवस्था का विकास, उत्तम गुणवत्तायुक्त जर्मप्लाज्म की खोज और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का विकास;
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वनस्पति विज्ञान की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए विषाक्तता और भारी धातु सामग्रीकी मात्रा से संबंधित मानदंडों के बारे में गुणवत्ता मानकों का निर्माण;
- अपने उदगम स्रोतों में औषधीय पादपों और औषधीय महत्व की सुगंधित पादप प्रजातियों (एमएएस) सहित औषधीय पादपों की संरक्षा और प्रभावकारिता पर देशी औषधीय पादपों के पर्यावासों और बाह्य सामग्री पर आक्रामक प्रजातियों का प्रभाव;
- औषधीय पादपों से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों (बीटी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर आधारित उपकरणों के अनुप्रयोगों का विकास;

- एथनो–औषधीय प्रलेखन और अन्वेषणय
- औषधीय पादपों से संबंधित विपणन, अर्थमितीय संबंधी नीतियां / नियामक मुद्दे;
- संदर्भों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कच्ची औषध भंडारण केन्द्रों की स्थापना करना ;
- पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे ग्लोबल वार्मिंग और स्थलाकृतिक विभिन्न्ताओं के औषधीय पादपों पर प्रभावका अध्ययन करना;
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वानस्पतिक संदर्भ (बीआरएस) मानकों की स्थापना करना ;
- उन्नत रोपण सामग्री, जर्म प्लाज्म बैंक का विकास करना और उन्नत पादपों की विकसित
- विशिष्ट किस्मों आदि का विकास करना ;
- चयनित औषधीय पादपों की कृषि–तकनीकों का विकास;
- कोई अन्य उभरते विषय अथवा पीएसी द्वारा दिए गए सुझाव।

(ख) देश के विभिन्न शैक्षणिक / अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से औषधीय पादपों से संबंधित विषयों पर एम–फिल० / पीएचडी / पोस्ट–डॉक्टरल फैलोशिप कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। एनएमपीबी की परियोजना जांच समिति द्वारा आवेदनों की जांच–पड़ताल की जाएगी, जो अन्य समान संस्थानों में प्रचलित व्यवस्थाओं के आधार पर परिलब्धियों को भी अंतिम रूप देगी। एनएमपीबी विशेष परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (यूजीसी / डीएसटी)मानदंडों के अनुसार कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जेआरएफ) / वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (एसआरएफ) / अनुसंधान सहायकों, आदि को सीमित संख्या (पाँच तक) में सीधे कार्य पर रखेगा, जबकि उन्हें डॉक्टरेट / अन्य अध्ययनों को पूरा करने / जारी रखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े रहने की अनुमति देगा। अनुसंधान हेतु कार्य पर रखने और तत्संबंधी परिलब्धियों को परियोजना जांच समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर उसे पीएसी के ध्यान में लाया जाएगा।

पात्रता

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), आयुष मंत्रालय की परिषदों आदि के अधीन अनुसंधान एवं विकास संस्थान।
- यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय।
- अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) संबंधी सुविधाओं सहित सार्वजनिक और गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योग।
- प्रमाणित विशेषज्ञता और अवसंरचना वाले गैर–सरकारी संगठन / स्वैच्छिक संगठन।
- उत्तम ट्रैक रिकॅार्ड, अवसंरचना और विशेषज्ञता रखने वाले सरकारी वित्त पोषित संस्थान / कॉलेज।

सहायता के मानदंड

सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बद्ध अनुसंधान एवं विकास संस्थान / विश्वविद्यालय / सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय आदि 100% सहायता पाने के लिए पात्र होंगे। तथापि, निजी क्षेत्र के संगठन / विश्वविद्यालय / प्रयोगशालाएं / संस्थान 50% सहायता पाने के पात्र होंगे।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे ताकि सक्षम संगठनों / वैज्ञानिक पेशेवरों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक अनुसंधान कार्य सौंपा जाए। पात्र संगठन संगत प्रपत्र में सीधे ऑनलाइन आवेदन एनएमपीबी को भेज सकते हैं। संबंधित प्रस्ताव को पीएसी द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा जांच–पड़ताल की जाएगी। पीएससी के समक्ष रखे जाने से पहले, जहां भी उचित समझा जाएगा, एनएमपीबी द्वारा अनुसंधान के प्रस्तावों की गुणवत्ता के संबंध में किसी विशेषज्ञ की राय जानने के लिए विषय के विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। ऐसी जांच के लिए एनएमपीबी द्वारा इस क्षेत्र के विशेषज्ञ को विषय पीएसी द्वारा यथानुमोदित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

प्रबंधन सहायता

राज्य को जांच, कार्यान्वयन, निगरानी और तकनीकी सहायता देने से संबंधित कार्यकलापों के लिए एनएमपीबीस्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु कार्यालय सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता कार्य पर रखे जाएंगे।

2.2 गुणवत्ता आश्वासन

उद्देश्य

इस समय वैश्विक कंपनियां अपने स्रोत से कच्ची सामग्री की तलाश कर रही हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता तभी उत्तम हो सकती है जब उस घटक को तैयार करने वाले गुणवत्ता युक्त हों। अतएव,कच्ची सामग्री का संग्रहण, खेती और फसलोपरांत प्रबंधन करते समय उत्तम मानकों को बनाए रखने के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2.2.1 उत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देना

- हमें भारत को औषधीय पादपों के प्रसंस्करण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इस क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है मध्यस्थों का वह समूह जो संग्राहकों/उत्पादकों से कच्ची सामग्री के अंतिम उपयोगकर्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये मध्यस्थ अधिकांशतः निजी क्षेत्र में मौजूद हैं और भारी मात्रामें कच्ची सामग्री को खरीद कर गोदामों में रखने और मंडियों में बिक्री के कार्य में लगे हुए हैं। यह वह चरण है जिसमें सामान्य स्वच्छता की कमी के कारण कच्ची सामग्री में संदूषण की अत्यधिक संभावना बनी रहती है। जड़ी–बूटी उत्पादों में सूक्ष्म जीव/माइक्रोबियल की अधिकता के मुद्दों से निपटने के लिए संदूषण के ऐसे स्रोतों का उन्मूलन करना अत्यावश्यक है। ऐसा करने के लिए, मध्यस्थों का व्यापक कौशल विकास करने की आवश्यकता होती है। सग्राहकों, उत्पादकों, कच्ची सामग्री के अन्य संचालकों और व्यापारियों में स्वच्छता के उच्च मानकों के बनाये रखने के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। यह कौशल विकास हितधारकों के लिए बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के निरंतर आयोजन के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके लिए औषधीय पादपों की बाजार आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण मध्यस्थों के पंजीकरण/विनियमन तैयार करने के लिए कार्यनीति बनायी जाएगी। यह कार्य उपयुक्त एजेंसियों को परियोजना मोड में सहायता प्रदान करके किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, हमें कच्ची सामग्री का उचित रख–रखाव/हैंडलिंग के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है, अर्थात जहां तक कच्ची औषध के रख–रखाव/हैंडलिंग का संबंध है, उत्तम कृषि पद्धति में क्या–क्या सम्मिलित है। साथ ही, मंडियों में सहकक्ष समूहों के माध्यम से स्व–विनियमन की सुसंगत व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ परामर्शी अध्ययन शुरू किया जाएगा। पीएसी के अनुमोदन के माध्यम से केंद्रित परियोजनाओं के जरिए भी ध्यान दिया जाएगा।
- वर्तमान में अधिकांशतः तैयार उत्पादों का ही परीक्षण किया जाता है। इस उद्योग में हमेशा से यह बात कही जाती है कि संदूषण मुक्त कच्ची सामग्री की आपूर्ति के अभाव में, यह अपेक्षा करना उचित नहीं हैकि उत्पादों के कड़े परीक्षण किए जाएं। अतएव, उत्तम किस्म की गुणवत्तापरक कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तम प्रथाओं की श्रृंखला बनाये जाने से एक ओर उत्पादकों/व्यापारियों के लिए बेहतर कीमतें मिलेंगी और दूसरी ओर व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित करके निर्माताओं/व्यापारियों के लिए सुखद स्थिति पैदा होगी। इस कार्य के लिए परामर्शी/परियोजना मोड में भी सहायता प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने हेतु परियोजना/परामर्शी मोड में निम्नलिखित उपाय भी किए जाएंगेः

क) चयनित औषधीय पादपों की कृषि तकनीक का विकास।

ख) उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी), उत्तम क्षेत्र संग्रहण पद्धतियों (जीएफसीपी), उत्तम फसल–कटाई पद्धतियों (जीएचपी) और उत्तम फसलोपरांत प्रबंधन पद्धतियों और उत्तम भंडारण पद्धतियों (जीएसपी) का संरक्षण। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा जीएपी एवं जीएफसीपी के लिए किए गए कार्य को 11वीं योजना में परियोजना मोड में वास्तविक कृषि कार्यान्वयन को और आगे ले जाया जाएगा।

ग) परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता, हितधारकों को परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति करना।

घ) परियोजना मोड में बीजों, रोपण सामग्री और वनों से कच्ची औषध के सतत फसल प्रमाणन प्रोटोकॉल का विकास करना।

ड़) गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रमों के लिए यथा आवश्यक अन्य उपाय ।

2.2.2 कच्ची औषध भंडारण केंद्र

गुणवत्ता का अन्य महत्वपूर्ण पहलू जड़ी–बूटी की असली वानस्पतिक पहचान करना है। उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, कच्ची औषधि भंडारण केंद्रों (आरडीआर) की स्थापना करने की आवश्यकता है जो लागत के आधार पर संदर्भ मानकों के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय औषधीय पादपों के प्रमाणित नमूनों की आपूर्ति कर सकते हैं।

कसौटी पर जांचने–परखने के प्रयोजनार्थ फाइटोकेमिकल संदर्भ मानक (पीआरएस) की आवश्यकता होती है। भारतीय औषधीय पादपों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न फार्माकोपिया द्वारा अपेक्षित पीआरएस की सतत आपूर्ति / बिक्री करने के लिए भारत में तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

इस प्रयोजनार्थ, देश के विभिन्न भागों में काफी संख्या में कच्ची औषध भंडारण केंद्रों की स्थापना करना अत्यावश्यक है। प्रत्येक कच्ची औषध भंडारण केंद्र (आरडीआर) को उपरोक्त सूचीबद्ध वैज्ञानिक क्षेत्रों में से कुछ में प्रवीणता / वास्तविक सक्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

कच्ची औषध भंडारण केंद्रों (आरडीआर) को आदर्श रूप से भारतीय औषधीय पादपों के 'प्रमुख पहचान स्वरूप'(केडीसी) के विकास पर कार्य करना चाहिए ताकि वे उनके सदृश स्वरूप / अपमिश्रण को अलग से पहचाना जा सके। इसकी कुछ तकनीक निम्नलिखित हैं:

- मैक्रोस्कोपी (ऑर्गेनोलेप्टिक स्वरूप) जैसे फार्माकोग्नॉसी पैरामीटर;
- माइक्रोस्कोपी (संरचना और पाउडर माइक्रोस्कोपी), टीएलसी, एचपीएलसी आदि;
- डीएनए बारकोडिंग और फिंगर प्रिंटिंग;
- अभिलक्षण / मार्कर यौगिकों का पता लगाना;
- एलसी–एमएस–एमएस और एनएमआर प्रोफाइल आदि जैसी नई तकनीकों का उपयोग करते हुए फिंगर प्रिंटिंग।

सहायता के मानदंड

प्रत्येक सरकारी संगठन के राष्ट्रीय कच्ची औषध भंडारण केंद्र / बीआरएस के लिए कुल स्वीकाय / ग्राह्य सहायता सहायता 10 करोड़ रूपये है, जब कि क्षेत्रीय कच्ची औषध भंडारण केंद्र के लिए यह 5.00 करोड़ रूपये है।

3. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) नीति के माध्यम से हितधारकों को जागरूक करना, अनुभव दौरे कराना, शिक्षा और कौशल विकास

औषधीय पादप क्षेत्र में विभिन्न संसाधन प्रबंधकों, कृषकों, संग्राहकों, आपूर्ति श्रृंखला मध्यस्थों, व्यापारियों, स्थानीय वैद्यों, अनुसंधानकर्ताओं से लेकर निर्माताओं और निर्यातकों आदि हितधारकों की पूरी श्रृंखला है। उपयुक्त आउटरीच रणनीति, कौशल विकास और उचित पहचान, प्रोत्साहन इत्यादि के माध्यम से विकास और प्रबंधन के महत्व के बारे में विभिन्न लक्षित समूहों में वनों से फसल, कृषि तकनीक, विनिर्माण, कच्ची सामग्री, व्यापार, आदि जैसे औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करना अत्यावश्यक है।

कार्यकलाप

- प्रदर्शनियों / मेलों में नियमित सहभागिता के माध्यम से प्रचार

- औषधि वनस्पति मित्र कार्यक्रम (एवीएमपी)
- कार्यशालाओं / सेमिनारों / सम्मेलनों / आरोग्य मेलों आदि का आयोजन
- औषधीय पादप विशेष प्रजाति के लिए अभियान
- मल्टीमीडिया और अन्य उपयुक्त संचार साधनों का सुव्यवस्थित उपयोग
- पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन
- वेब पोर्टल की स्थापना और प्रचालन
- प्रशिक्षण और कौशल विकास संबंधी पहल

3.1 प्रदर्शनी / मेलों में भागीदारी और प्रचार सामग्री

भारतीय औषधीय पादपों के संदेश का प्रसार करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के सभी महत्वपूर्ण हितधारक समूहों का सहयोग लेकर अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तर की प्रदर्शनियों / मेलों में भाग लिया जाए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा हितधारकों और आम लोगों में औषधीय पादपों की महत्ता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए व्यापार मेलों या औषधीय पादप एक्सपो आदि के लिए भी सहायता प्रदान की जाए अथवा उनका आयोजन किया जाए।

कार्यकलाप

- राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति विज्ञान पर फोकस करने के साथ प्रदर्शनियों / मेलों में भाग लेना। उद्योगों और अन्य हितधारकों को ऐसे एक्स्पो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेगा।
- प्रदर्शन और वितरण हेतु स्मारिका, पर्चे / पैम्फलेट, पुस्तकाएं / बुकलेट तैयार करना। बच्चों और छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों (क्विज शो) का आयोजन करना, इंटरैक्टिव कियोस्क और स्पर्श पटल / टच स्क्रीन की स्थापना करना और नुक्कड़ नाटक तैयार करना।
- आगंतुकों, किसानों और अन्य हितधारकों को वितरण करने हेतु विभिन्न प्रकार की हर्बल किटों का विकास करना।
- औषधीय पादपों के संरक्षण, खेती और उपयोग आदि के संबंध में नुक्कड़ नाटक, ऑडियो विजुअल, विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से औषधीय पादपों के संदेश का प्रसार करने के लिए चलते–फिरती / मोबाइल प्रदर्शनियों अथवा औषध चेतना यात्रा प्रारम्भ करना।

पात्रता

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी), उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संस्थान / विश्वविद्यालयों, सरकारी संगठनों के साथ–साथ सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, गैर–सरकारी संगठन / स्वैच्छिक संगठन आदि।

सहायता का स्वरूप / पैटर्न

संगठनों द्वारा मेलों आदि में सहभागिता करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि संबंधित संगठन द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) से पूर्वानुमति प्राप्त की जाती हो। व्यय की प्रतिपूर्ति योग्य मदों में किराया–भाड़ा प्रभार, स्टॉल निर्माण, प्रचार सामग्री का विकास, यात्रा और आवास आदि सम्मिलित होंगे। इस तरह की सहभागिता करने हेतु कुल वित्तीय भार राज्य स्तर के लिए 1.00 लाख रूपए, राष्ट्रीय स्तर के लिए 2.00 लाख रूपये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर 3.00 लाख रूपये प्रति कार्यक्रम होगा। उद्योग सहित निजी संगठनों के लिए इस लागत की प्रतिपूर्ति उपरोक्त का 50% अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, (जिसमें यात्रा, आवास, किराया शुल्क, स्टाल निर्माण, प्रचार, आदि सम्मिलित हैं) तक सीमित होगी। एन एम पी बी की भागीदारी वास्तविक व्यय के अनुसार होगी। अन्य कार्यकलाप परियोजना मोड में होंगे।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

मेलों / प्रदर्शनियों में सहभागिता करने की समयबद्धता रहने के कारण प्रस्ताव जब कभी प्राप्त होते हैं, तो उनकी जांच किए जाने की जरूरत होती है। प्रायः, जब तक प्रस्तावों की पीएससी द्वारा की जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही होती है और पीएससी द्वारा अनुमोदन किया जा रहा होता है, तब तक कार्यक्रमों की तारीखें समाप्त हो चुकी होती हैं। इसलिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनएमपीबी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ऐसे कार्यकलापों पर व्यय का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

पात्र संगठन संगत प्रपत्र में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) को आवेदन भेज सकते हैं।

3.2 औषधि वनस्पति मित्र कार्यक्रम (एवीएमपी)

इसका उद्देश्य एमएपी के संरक्षण / खेती, फसलोपरांत प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास, विपणन इत्यादि से सम्बद्ध व्यक्तियों / समुदायों / संस्थानों की पहल का सम्मान करना / मान्यता देना है। ये ऐसी अनुकरणीय और सफल पहल होनी चाहिए जो रचनात्मक, सतत हों और औषधीय पादपों की कच्ची सामग्री की उपलब्धता में सुधार लाने में मददगार साबित हुई हों।

पात्रता

एसएमपीबी या संबंधित एसएमपीबी द्वारा संस्तुत राज्य स्तर के किसी अन्य उपयुक्त संगठन संबंधित राज्य के औषधि वनस्पति मित्र कार्यक्रम के तहत ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

सहायता के मानदंड

कार्यक्रम का आयोजन एवं अन्य संचालन व्यवस्था पर व्यय करने हेतु प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष तीन नकद पुरस्कारों (कुल मिलाकर 65,000/- रूपये से अधिक नहीं) के व्यय हेतु कुल 2.00 लाख रूपये उपलब्ध कराये जाएंगे। राज्य जमीनी वास्तविकता के आधार पर, यदि चाहें तो, पुरस्कारों की धनराशि और संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

एसएमपीबी परियोजना मोड में एनएमपीबी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसे परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा उस प्रस्ताव की जांच–पड़ताल की जाएगी।

3.3 कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / सम्मेलनों का आयोजन और आरोग्य मेलों में सहभागिता

आयुष मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों में समय–समय पर आरोग्य मेलों का आयोजन करता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मेलों में स्टॉल स्थापित करे और उसमें सामग्री प्रदर्शित करे। इसके लिए ऐसी समर्पित एजेंसी की आवश्यकता होती है जो न केवल आरोग्य मेले में स्टाल की स्थापना करेगी, अपितु ऐसे अन्य मेलों, क्रेताः विक्रेता सम्मेलनों में भी इसी तरह के कार्य करेगी। एजेंसी का चयन सामान्य वित्तीय नियमावली / जीएफआर के अनुसार किया जाएगा।

उद्देश्य

औषधीय पादपों से संबंधित अद्यतन सूचनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न हितधारकों को प्लेटफार्म / मंच उपलब्ध कराना है।

कार्यकलाप

औषधीय पादपों के संवर्धन और उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जिला, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी / कार्यशाला / सम्मेलन / प्रदर्शनी / आरोग्य मेलों का आयोजन किया जाना है।

पात्रता

- केंद्र और राज्य सरकार के संगठन;
- सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों सहित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक /अनुसंधान/शैक्षिक संस्थान;
- अलाभप्रद आधार पर कार्यरत पंजीकृत पेशेवर और अन्य परोपकारी संगठन और
- औषधीय पादपों के क्षेत्र में अवसंरचना और अनुभव वाले पंजीकृत गैर–सरकारी संगठन(एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठन/ट्रस्ट ।

सहायता के मानदंड

ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए जिला स्तर पर 1.00 लाख रुपये, राज्य स्तर पर 2.00 लाख रुपये, क्षेत्रीय स्तर पर 3.00 लाख रुपये,राष्ट्रीय स्तर पर 5.00 लाख रूपये और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायर्कम के लिए 10.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

पात्र संगठन संगत प्रपत्र में एनएमपीबी को ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जा सकते हैं जहां परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्ताव की जांच–पड़ताल की जाएगी।

3.4 पत्र–पत्रिकाओं और न्यूज–लैटर का प्रकाशन

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) उन विश्वसनीय संगठनों के माध्यम से पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करा सकता है जिसने इस क्षेत्र में कार्य करने में सक्षमता हासिल की हो।

कार्यकलाप

- औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकों का प्रकाशन;
- आउटसोर्सिंग के माध्यम से न्यूज लैटर का प्रकाशन;
- औषधीय महत्व के साथ औषधीय और सुगंधित पादपों के महत्व पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवधिक पत्र–पत्रिकाओं/जर्नल आदि की सदस्यता हेतु चन्दा/ खरीद; और
- जब कभी अपेक्षित हो, औषधीय पादपों पर समाचार पत्र/मीडिया में विज्ञापन।

पात्रता

उन संगठनों के प्रस्तावों पर विचार जाएगा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कार्य करने में योग्यता अथवा सक्षमता साबित की हो।

सहायता के मानदंड

परियोजना मोड में 100% सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

पात्र संगठन ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) को प्रेषित कर सकते हैं जहां स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्ताव की जांच–पड़ताल की जाएगी।

3.5 वेबपोर्टल की स्थापना और संचालन

इसकी प्रायः जरूरत महसूस की जाती है क्योंकि एनएमपीबी को भारत सरकार के मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा यदा–कदा आमंत्रित किया जाता है कि वे उन मुद्दों पर परामर्श दें जिनके लिए इन–हाउस सक्षमता में कमी होती है और सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी, सुलभ सूचना स्रोत का सृजन किया जा सके। विभिन्न हितधारकों के लिए सुलभ औषधीय पादपों के संबंध में इंटर–एक्टिव पोर्टल से सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इसमें डॉटाबेस, प्रलेखन, भौगोलिक वर्गीकरण, क्लस्टर, उत्पादों और अन्य संबंधित तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचना जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हुए पूछताछ आधारित प्लेटफॉर्म सम्मिलित किए जा सकते हैं। खेती, संरक्षण, आईपीआर मुद्दों, उभरते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवृतियों आदि से लेकर औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में इस पोर्टल के लिए विशेषज्ञों के पैनल का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।अन्य संगठनों द्वारा विकसित किए गए मौजूदा सुस्थापित पोर्टलों का भी उपयोग किया जा सकता है, उनको उन्नत और बनाए रखा जा सकता है।

पात्रता

उन संगठनों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कार्य करने में योग्यता/सक्षमता हासिल की हो।

सहायता के मानदंड

- पीएससी के परामर्श से विशेषज्ञों को निश्चित पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा।
- पोर्टल का विकास करने, स्थापित करने और रख–रखाव करने से संबंधित अन्य लागत परियोजना आधारित होंगी।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

संगठन एनएमपीबीको ऑन–लाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां प्रस्ताव को परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा जांच–पड़ताल की जाएगी।

3.6 प्रशिक्षण और कौशल विकास

संरक्षण, खेती, उत्तम कृषि पद्धतियों, उत्तम क्षेत्र संग्रहण कार्य, फसलोपरांत प्रबंधन, विपणन आदि से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार करने में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसानों, संरक्षणकर्ताओं, व्यापारियों, आपूर्ति श्रृंखला मध्यस्थों, नीति नियंताओं और उपयोगकर्ताओं जैसे विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

कार्यकलाप

- औषधीय पादपों के संबंध में हितधारकों का कौशल विकास/क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (खेती, संरक्षण, जीएपी, जीएफसीपी, जीएमपी, भंडारण, पीएचएम और विपणन सूचना सहित); और
- किसानों के खेतों/संरक्षण क्षेत्रों और प्राकृतिक पर्यावास/उत्पत्ति स्थलों में संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन।

पात्रता

- केंद्र और राज्य सरकार के संगठन;
- मान्यता प्राप्त अनुसंधान/अकादमिक/ शैक्षणिक संस्थान;
- अलाभकारी आधार पर कार्यरत पंजीकृत पेशेवर और अन्य परोपकारी संगठन;
- औषधीय पादपों के क्षेत्र में अवसंरचना और विशिष्ट अनुभव वाले पंजीकृत गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)/ स्वैच्छिक संगठन/ ट्रस्ट।

सहायता के मानदंड

- राज्य के भीतर न्यूनतम दो दिनों के लिए प्रति प्रशिक्षु 2,000 / — रूपये और राज्य से बाहर प्रति प्रशिक्षु 5,000 / — रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें अनुभव दौरे / एक्सपोजर विजिट सम्मिलित होंगे।
- राज्य के भीतर अधिकारियों को प्रशिक्षण / अनुभव दौरे के लिए प्रति प्रशिक्षु 5,000 / — रूपये और उनके राज्य के बाहर यह लागत 10,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु तक सीमित होगी।
- यात्रा लागत उपरोक्त लागत के अतिरिक्त होगी। यात्रा लागत प्रति प्रतिभागी थर्ड एसी ट्रेन के किराये तक सीमित होगी। तथापि, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी पात्रता के अनुसार होगी।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

पात्र संगठन संगत प्रोफार्मा में एनएमपीबी को आवेदन भेज सकते हैं जहां परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा प्रस्ताव की जांच—पड़ताल की जाएगी।

4. जड़ी—बूटी उद्यानों (हर्बल गार्डन) को बढ़ावा देना

औषधीय पादपों के परंपरागत उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से इस स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के जड़ी—बूटी उद्यानों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन जड़ी—बूटी उद्यानों में राष्ट्रीय और राज्य के महत्व जड़ी—बूटी उद्यानों के साथ—साथ संस्थागत, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के स्तर के जड़ी—बूटी उद्यान सम्मिलित होंगे।

पात्रता

- सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और स्कूल;
- गैर—सरकारी संगठन (एनजीओ), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, फेडरेशन्स, सहकारी समितियां और आवासीय सोसायटियों सहित अन्य सोसायटियां इत्यादि ।

4.1 विद्यालय जड़ी—बूटी उद्यान (स्कूल हर्बल गार्डन)

बच्चों के मन—मस्तिष्क तक पहुँचने और उन्हें सामान्य रूप से उपलब्ध और अक्सर उपयोग किए जाने वाले औषधीय पादपों से परिचित कराने / ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यालयों में जड़ी—बूटी उद्यानों की स्थापना एक उत्तम तरीका है।

कार्यकलाप

- विद्यालयों को अपने विद्यालय परिसर में जड़ी—बूटी उद्यान की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालय में विभिन्न वृक्ष प्रजातियों सहित औषधीय पादपों की 10—15 पादप प्रजातियां के लिए कुल 500 वर्ग मीटर का अलग भू—खंड रख सकते हैं।
- छात्रों और अभिभावक—शिक्षक संघों / गैर—सरकारी संगठनों के सक्रिय सहयोग से सिंचाई सहित और विद्यालय की अवकाश अवधि के दौरान रखरखाव करने के विशेष व्यवस्था भी करेंगे। पौधों को लेबल लगाने, सिंचाई और निराई—गुड़ाई करने आदि के कार्यों में छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा। इससे उनके द्वारा पोषित प्रजातियों के लाभ और उपयोग के विषय में छात्रों का ज्ञान बढ़ेगा।
- विद्यालय जड़ी—बूटी उद्यानों से प्राप्त सामग्री का उपयोग आगे प्रसार के लिए किया जा सकेगा।

सहायता के मानदंड

जड़ी–बूटी उद्यान की स्थापना करने के लिए पहले वर्ष 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में प्रति विद्यालय 25,000/– रूपये की दर से सहायता दी जाएगी और अगले चार साल तक विद्यालय को रखरखाव लागत के रूप में 7,000/– रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष सहायता दी जाएगी। यदि विद्यालय जड़ी–बूटी उद्यान के लिए प्रस्तावित कर रहे भू–खंड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से कम या अधिक है तो दिए गए औचित्य के आधार पर समानुपातिक आधार पर सहायता देने पर विचार किया जा सकता है।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

पात्र संगठन संगत प्रपत्र में राज्य औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) को ऑनलाइन आवेदन प्रेषित कर सकते हैं जहां परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्तावों की जांच की जाएगी।

4.2 संस्थागत/सार्वजनिक जड़ी–बूटी उद्यान (हर्बल गार्डन)/आयुष वन

आयुष प्रोफेशनल कॉलेज के छात्रों/सामान्य रूप से आम जनता को स्वदेशी ज्ञान पर आधारित औषधीय पादपों के उपयोग बारे में जागरूक करने हेतु महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, शैक्षिक/मनोरंजन/सार्वजनिक महत्व के अन्य स्थानों पर बड़े जड़ी–बूटी उद्यानों के लिए योजना बनाने और उनकी स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

आयुष वनः संस्थागत जड़ी–बूटी उद्यान की तर्ज पर जड़ी–बूटी उद्यान के मौजूदा लागत मानदंड के अनुसार आयुष वन के लिए योजना बनाने और स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

कार्यकलाप

- संबंधित क्षेत्र की प्रजातियों /किस्मों के महत्व को ध्यान में रखते हुए औषधीय पादपों और औषधीय महत्व के सुगंधित पादपों को शामिल कर जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना करना ;
- उचित कृषि पद्धतियों का उपयोग;
- उद्यानों में स्थापित किए जाने वाले पैदल पथ, साइनेज आदि;
- उचित प्रलेखन, डॉटा संग्रहण, फसल और फसलोपरांत प्रबंधन कार्य जड़ी–बूटी उद्यान का हिस्सा होंगे और
- मूल्य संवर्धन या आगे प्रचार–प्रसार के लिए कटाई की गई सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा।

सहायता के मानदंड

- भूमि विकास, स्थल सुरक्षा, सिंचाई की सुविधाओं की स्थापना करना और बुनियादी रोपण सामग्री की खरीद, क्यारियां बनाना, रोपण, प्रारंभिक रखरखाव, साइनेज, पैदल मार्ग बनाना आदि कार्य प्रदत्त सहायता में सम्मिलित होंगे और उद्यान स्थापना के लिए 3 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।
- उसके बाद, जड़ी–बूटी उद्यान के वार्षिक रखरखाव हेतु अधिकतम चार वर्षों के लिए 60,000/– प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

पात्र संगठन संगत प्रपत्र में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जहां परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्तावों की जांच–पड़ताल की जाएगी।

4.3 राज्य और राष्ट्रीय महत्व के जड़ी–बूटी उद्यान/हर्बल गार्डन

राष्ट्रीय महत्व के देश के विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों/ईको क्षेत्रों में कतिपय जड़ी–बूटी उद्यानों के लिए परियोजना मोड में सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरह, राज्य महत्व के जड़ी–बूटी उद्यान बड़े स्तर पर व्यवस्थित रूप में औषधीय पादपों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए स्थापित किए जा सकते हैं। इस प्रकार के उद्यान राष्ट्रपति/राज्यपाल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख स्थानों पर पहले स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए लंबी अवधि तक रखरखाव के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, राज्य सचिवालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, प्रमुख पर्यटन स्थलों, रक्षा प्रतिष्ठानों, रेलवे, निगमों और नगर पालिकाओं इत्यादि में जड़ी–बूटी उद्यान परियोजना मोड में स्थापित किए जा सकते हैं। एनएमपीबी के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थलों पर प्रत्येक राज्य में दो से चार ऐसे जड़ी–बूटी उद्यानों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

कार्यकलाप

पैदल पथ, संकेतों/साइनेज, भूनिर्माण/लैंडस्केपिंग, क्यारियों में पौधारोपण और उचित प्रलेखन आदि जैसी सभी अपेक्षित रूपात्मकताओं /तौर–तरीकों को ध्यान में रखते हुए जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना और रख–रखाव करना। प्रचार–प्रसार/ कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने में जड़ी–बूटी उद्यानों के उपयोग की भी संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

सहायता के मानदंड

परियोजना मोड में प्राप्त प्रस्ताव की पीएससी स्तर पर जांच की जाएगी और पीएसी, एनएमपीबी के अनुमोदन से वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

पात्र संगठन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) को ऑनलाइन आवेदन प्रेषित कर सकते हैं जहां परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्तावों की जांच–पड़ताल की जाएगी।

प्रबंधन सहायता

राज्य के जांच, कार्यान्वयन, निगरानी और तकनीकी सहायता से संबंधित कार्यकलापों के लिए एनएमपीबी स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु कार्यालय सहायक/ डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार कार्य पर रखे जाएंगे।

5. अन्य विकासपरक कार्यकलाप

पौधशालाओं (नर्सरियों) की स्थापना करने और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का विकास/ जर्म प्लाज्म बैंकों का विकास करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

कार्यकलाप

खेती के अतिरिक्त परियोजना प्रस्ताव के भाग के रूप में छोटी पौधशाला की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

सहायता के मानदंड

1 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधशाला/नर्सरी बनाने हेतु प्रति यूनिट 6.25 लाख रुपये की सहायता दो किस्तों में दिए जाएंगे। यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र /स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को 100% तक और निजी क्षेत्र को 3.125 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के अधीन लागत के 50% तक प्रदान की जाएगी। पौधशाला में 50,000 से 70,000 पादपों को संभालने के लिए उचित अवसंरचना संबंधी सुविधाएं (नेट हाउस, क्यारियाँ, वर्मी–खाद, साइनेज, सिंचाई प्रणाली) रखी जाएंगी। संगठन के पास धारणीय योजना होनी चाहिए।

प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

पात्र संगठन एनएमपीबी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जहां परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने से पहले उसकी परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा जांच–पड़ताल की जाएगी।

6. अन्य उपाय

6.1 द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग

आयुष मंत्रालय अन्य देशों के साथ औषधीय पादपों के क्षेत्र में द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। औषधीय पादपों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के लिए पहले ही तैयार कर लिया गया है जिसे किसी देश विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु समुचित सहयोग के अनुरूप बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, औषधीय पादपों के विकास की कार्य नीतियों को मुख्यधारा से जोडने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), यूएनडीपी, टीआरएएफएफआईसी, जीईएफ आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

जेनेटिक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक ज्ञान को टीके एंड जीआर जैसे पहुंच एवं लाभ साझाकरण (एबीएस), पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) आदि संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अंतर्गत लाये जाने की आवश्यकता है। इन सभी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते और प्रोटोकॉल हैं जिनकी निरन्तर वृद्धि हो रही है और हमें न केवल ऐसे सभी कार्यकलापों को समझना है, अपितु उन्हें भारत के हितों के अनुरूप भी बनाये जाने की जरूरत है बशर्ते कि हम सही समय पर अपने मंतव्य/दृष्टिकोण रखने की स्थिति में हों। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के पास अपेक्षित प्रारंभिक कार्य करने हेतु समर्पित तंत्र मौजूद होना चाहिए जिससे वह धीरे–धीरे समरूप देशों से संबंध विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने में सफल हो सके और जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन (सीबीडी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) जैसे संबंधित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, विशेष रूप से नागोया प्रोटोकॉल के तहत जारी कार्यों, पहुंच और लाभ साझाकरण संबंधी मामलों, जैव सुरक्षा संबंधी कार्टाजेना प्रोटोकॉल के तहत सीमा–पार के मुद्दों आदि पर बहस करने के लिए सार्थक विचार प्रस्तुत कर सके।

कार्यकलाप

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित एजेंसियों की बैठकों में भाग लेना;
- विशेषकर इस विषय में रूचि रखने वाले उन देशों,जिनकी जैव–भौगोलिक स्थिति भारत के समान है, के विशेषज्ञों के दौरों का आदान–प्रदान करना।
- इनग्रेडिएंट्स रसिया, फूड इनग्रेडिएंट चाइना, वीटा फूड्स दक्षिण अमेरिका, कनाडियन हेल्थ फूड एसोसिएशन, इंटरनेशनल फूड इनग्रेडिएंट्स एण्ड एडिटिव्स (आईएफआईए), जापान, सप्लाई साइड वेस्ट, सीपीएचआई, वर्ल्ड वाइड जैसी वानस्पतिक संबंधी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; पीएसी द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूची तैयार की जाएगी। यह ऐसी भागीदारी के इच्छुक अनुदान प्राप्त उद्योगों को प्रतिपूर्ति के आधार पर भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा।
- विदेश में भारतीय मिशनों में औषधीय पादपों के संबंध में सूचना केंद्र की स्थापना करना;
- अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- उत्पाद पंजीकरण, जीआरएएस (सामान्यतरू संरक्षित रूप में मान्यता प्राप्त) पुष्टिकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन, आयातकर्ता देशों में भारतीय वानस्पतिकों की सकारात्मक सूची (अर्थात टीजीए का एआरटीजी) जैसे बाजार विशिष्ट विपणन संवर्द्धनात्मक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना;
- ऐसे वानस्पतिक संघटकों के मामलों का समाधान करना जिन पर कुछ/किसी अंतरराष्ट्रीय विनियामक निकायों द्वारा असंगत तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया हो;
- औषधीय पादप क्षेत्रमें अंतर्राष्ट्रीय विनियमनों पर अध्ययन प्रारम्भ करना क्योंकि वर्तमान में इस विषय पर ज्ञान अत्यल्प है।

पात्रता

औषधीय पादपों पर अंतरराष्ट्रीय विनियमनों के अनुभवी उद्योगों और प्रतिष्ठित एजेंसियों से अध्ययन प्रारम्भ कराने के लिए परियोजना मोड में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

सहायता के मानदंड

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों आदि में भाग लेने के लिए उद्योग संगठनों द्वारा वहन किए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि संबंधित संगठन द्वारा भाग लेने हेतु एनएमपीबी से पूर्वानुमति की जा रही हो। व्यय की प्रतिपूर्ति योग्य मदों में किराया–भाड़ा प्रभार, स्टॉल निर्माण व्यय, प्रचार सामग्री तैयार करना, यात्रा और आवास व्यय इत्यादि सम्मिलित हैं। यह प्रतिपूर्ति 3.00 लाख रुपये के व्यय का 50%, जो भी कम हो, तक सीमित होगी। अन्य कार्यकलापों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता और निजी क्षेत्र को परियोजना लागत के 50% तक सहायता परियोजना मोड में प्रदान की जाएगी। एनएमपीबीभी इन कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर सकता है /इनमें भाग ले सकता है।

क) विदेशों में भारतीय मिशनों में सूचना केंद्रों की स्थापना करना

- भारतीय औषधीय पादपों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए औषधीय पादप सूचना केंद्र एक उत्तम तरीका है। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता की सीमा/मात्रा का निर्धारण संबंधित भारतीय दूतावास की सिफारिश पर प्रत्येक देश के आधार पर वास्तविक वित्तीय भार के अनुसार किया जाएगा।
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा परियोजना मोड में तैयार किए गए प्रस्तावों की जांच–पड़ताल और उनका अनुमोदन पीएसी द्वारा किया जाएगा।

(ख) औषधीय पादपों के विशेष पहलुओं पर अध्ययन प्रारम्भ कराना

उद्देश्य

औषधीय पादपों की कच्ची सामग्री के लिए मांग की बढ़ती प्रवृत्ति से तालमेल बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक हो जाता है कि उत्पादन, संग्रहण, आपूर्ति और विपणन जैसे विभिन्न पहलुओं की सूचनाओं को समय–समय पर अद्यतन किया जाए। विषय विशेष अध्ययन प्रारम्भ करके ये समय–समय पर अद्यतन किए जाएंगे। औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सांख्यिकीय सूचना का संग्रहण करने के लिए एसएमपीबी अथवा एनएमपीबी या राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में योग्यता प्राप्त पहचान की गई अन्य एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाए।

अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र

विषयों की उदाहरणात्मक सूची निम्नलिखित हैः –

- औषधीय पादपों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापारियों के आंकड़े तैयार करना और उनके पंजीकरण का कार्य शुरू करना;
- किसानों/काश्तकारों के आंकड़े तैयार करना;
- औषधीय पादपों की मांग और आपूर्ति;
- आजीविका/उपज अध्ययन;
- आपूर्ति श्रृंखला मापन/मैपिंग;
- पारगमन/ट्रांजिट पास प्रणाली का युक्तिकरण;
- उपज का समेकन;

- थोक बिक्री मूल्य डॉटा; और
- केस अध्ययन और सफलता की कहानियां तैयार करना

इस प्रकार के अध्ययन जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार कराये जाएंगे।

सहायता के लिए मानदंड

परियोजना आधारित प्रस्तावों पर पीएससी /पीएसी द्वारा विचार किया जाएगा।

6.2 विपणन

तकनीकों और वाणिज्यिक अवसरों पर डोमेन सूचना की कमी, क्षेत्रीय एमएपी फसलों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले संसाधन केंद्रों के न होने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बहुत कम या अत्यल्प पहुंच आदि विपणन सूचना सेवाओं में कमियां रही हैं। वर्तमान में एमएपी का विपणन मंडियों और वस्तु बोर्डों, कृषि उपज विपणन समितियों आदि के माध्यम से होता है। इसमें अनेक मध्यस्थ होते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य इसके उदाहरण हैं जहां राज्य वन विकास निगम ने अचल (फिक्स्ड) और चल (फ्लोटिंग) दोनों प्रकार की मंडियों की शुरुआत की है, जो संग्राहकों के घरों से एमएपीकी खरीद करती हैं और इस प्रकार, उन्हें शोषण से बचाती हैं और उन्हें लाभकारी मूल्य भी सुनिश्चित कराती हैं।

इस बारे मेँ निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

एएसयू उद्योग की घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक उत्पादक कंपनियों (पीपीसी) को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तत्पश्चात, इन संगठनों को उनकी उपज (खेती की गई हो या वनों से एकत्र की गई हो) की बिक्री हेतु आगे लाया जाएगा।

- आईटी समर्पित तंत्र के माध्यम से एमएपी की खरीद को बढ़ावा देना और सूचना का प्रसार करना;
- एमएपी के लिए कृषि मंडियों का नेटवर्क।
- उत्पादकों/किसानों का डेटाबेस;
- संविदा पर निष्कर्षण (पीएचएम)
- आधुनिक भण्डारण और आपूर्ति श्रृंखला का विकास
- तकनीकी वाणिज्यिक सूचनाओं के साथ सभी पोर्टलों का एकीकरण;
- ऑनलाइन एमएपी ट्रेड एक्सचेंज का सृजन करना;
- कृषक कॉल सेंटरों, केवीके इत्यादि के साथ एकीकरण।

(क) विपणन उपाय

इस समय, औषधीय पादप के उत्पादन का विपणन मंडियों और अन्य थोक बाजारों के माध्यम से होता है। व्यापार की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और मूल्यों, आवकों और अन्य रुझानों के बारे में सूचना किसानों/उत्पादकों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। इस अंतर को पाटने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारम्भ किए जाएंगे:

- व्यापारिक पद्धतियों का दस्तावेजीकरण करना।
- उत्पादकों और क्रेताओं दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न बाजारों में थोक मूल्यों, बाजार में आने वाले उत्पादों/आवकों और प्रवृतियों के संबंध में सूचना प्राप्त करना।

- मार्केट डॉटा का त्वरित संग्रहण और प्रचार–प्रसार तथा उसके प्रभावी और सामयिक उपयोग के लिए संचार नेटवर्क की स्थापना करना।
- कृषकों के लाभ के लिए उनकी आय में वृद्धि करने के लिए किसान परामर्शिका तैयार करना और उसका प्रकाशन करना।
- किसानों और पादपों की विकसित विशिष्ट किस्मों का डॉटाबेस विकास करना।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल पर कृषक कॉल–सेंटरों सहित कॉल सेंटरों के माध्यम से औषधीय पादपों का एकीकरण और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना।
- वनों से प्राप्त उत्पादों की तुलना में खेती से प्राप्त उपज के संबंध में उचित मूल्य निर्धारण व्यवस्था स्थापित करना ताकि खेती को प्रोत्साहित किया जा सके और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम किया जा सके।
- एचएस कोड को सुविधाजनक बनाना।

पात्रता

अध्ययन प्रारंभ करने के लिए औषधीय पादपों का अनुभव रखने वाली प्रतिष्ठित एजेंसियों से परियोजना मोड में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा ।

प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

पात्र संगठन एनएमपीबी को आवेदन प्रेषित कर सकते हैं जहां प्रस्ताव पर परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा जांच की जाएगी।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

औषधीय पादपों के सतत संग्रहण को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए एनएमपीबी औषधीय पादपों की खरीद कार्य से सम्बद्ध राज्य एजेंसियों को उनके द्वारा संग्राहकों को प्रदत्त धनराशि की 25% की सीमा तक सहायता प्रदान करेगा।

- एनएमपीबी से ऐसी सहायता उन राज्य सरकारों को प्रदान की जाएगी, जिनके पास औषधीय पादपों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहायता प्रदान करने के लिए सुनिश्चित तंत्र विद्यमान हो।
- औषधीय पादपों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सहायता यद्यपि स्वतः नहीं दी जाएगी किन्तु उस पर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों के आधार पर परियोजना मोड में मामला–दर–आधार पर विचार किया जाएगा और जिन मामलों में सहायता किए जाने अथवा इसके परिणामस्वरूप संरक्षण और सतत आजीविका में सहायता मिलने की संभावना है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहायता की धनराशि दो किस्तों में राज्यों को इस शर्त पर जारी की जाएगी कि इस उपाय का संरक्षण करने और आजीविका देने मेँ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार, उत्पादित सामग्री का उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है ।

प्रबंधन सहायता

राज्य के जांच, कार्यान्वयन, निगरानी और तकनीकी सहायता देने से संबंधित कार्यकलापों के लिए एनएमपीबी स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यालय सहायक / डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार को कार्य पर रखा जाएगा।

7. मल्टीमीडिया के उपयोग सहित औषधीय पादप प्रजातियों के लिए विशेष अभियान

संस्थानों, स्कूलों, घरों आदि मेँ पिपली, चिरायता, आरईटी प्रजाति, आंवला, मोरिंगा आदि जैसे औषधीय महत्व पादपों के उपयोग और उनके रोपण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर पर प्रजाति विशेष अभियान चलाये जाएंगे। इन अभियानों के द्वारा ऐसी प्रजातियों की व्यापक उपलब्धता और उपयोग करने मेँ आ रही बाधाओं की भी पहचान की जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार के मीडिया प्रचार भी अभियान का हिस्सा होंगे और ये अभियान एसएमपीबी व एनएमपीबी दोनों द्वारा चलाये जाएंगे। महत्वपूर्ण औषधीय पादपों और उसके उत्पादों के लिए रेडियो, टीवी और प्रिंट के माध्यम से मल्टीमीडिया अभियान चलाये जाएंगे ताकि दैनिक जीवन में चिकित्सीय पादपों के महत्व के बारे में सूचना प्रदान की जा सके। इस प्रयोजन के लिए चयनित एजेंसियों के माध्यम से टीवी स्पॉट विकसित किए जाएंगे और टीवी, रेडियो और आउटडोर होर्डिंग्स आदि पर प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रेडियो और टीवी पर टॉक शो और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन और वृत्तचित्र/केस अध्ययन आदि की तैयारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

पात्रता

- एसएमपीबी और राज्य सरकार के अन्य संगठन;
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक/अनुसंधान /षैक्षिक संस्थान;
- औषधीय पादपों के क्षेत्र में सम्बद्ध कार्यों ध्अनुभव के साथ अलाभकारी आधार पर कार्यरत पंजीकृत पेशेवर, गैर–सरकारी संगठन और अन्य लोक हितैषी संगठन ।

सहायता के मानदंड

प्रजाति विशेष के औषधीय पादप अभियान के लिए पात्र संगठनों को परियोजना मोड में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत करना

पात्र संगठन एनएमपीबी को ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं जहां परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा प्रस्तावों पर अनुमोदन किए जाने से पहले परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा जांच–पड़ताल की जाएगी।

8 संस्थागत सुदृढ़ीकरण

8.1. राज्य औषधीय पादप बोर्डों (एसएमपीबी) का सुदृढ़ीकरण

एनएमपीबी,आयुष मंत्रालय की स्कीम के तहत समर्थित विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ–साथ समन्वय करने के अतिरिक्त एसएमपीबी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह औषधीय पादपों से संबंधित राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में सहयोग करे। राज्यों को एसएमपीबी का स्वतंत्र कार्यालय रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और पूर्वोत्तर राज्यों के एसएमपीबी को छोड़कर अन्य एसएमपीबी को प्रतिवर्ष 35.00 लाख रूपये तक और ऐसे एसएमपीबी, जो संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) और पूर्वोत्तर राज्यों के अधीन कार्यरत हैं, को 27.00 लाख रुपये तक प्रति वर्ष अनुदान–सहायता वार्षिक आधार पर दी जा सकती है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक (अनुबंध आधार पर) व्यय और कार्यालय व्यय, उपकरणों की खरीद, कार्यालय रखरखाव, आवागमन सहायता और टीए/डीए/पीओएल, मुद्रण, प्रचार, बैठक/सम्मेलन, विषय–वस्तु विशेषज्ञ/सांख्यिकीय इकाई आदि सहित विविध आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय के लिए सहायता/बजट प्रदान किया जाएगा। एनएमपीबी समन्वय और सहयोग करने हेतु राज्यों को निर्देश देगा कि व्यापारियों, काश्तकारों का डॉटाबेस तैयार करने, उपज के डॉटा का संकलन करने, वन विभाग और उत्पादकों जैसे विभिन्न स्रोतों से औषधीय पादपों की मांग और आपूर्ति, केस स्टडी, प्रकाशन, औषधीय पादपों से संबंधित कार्यक्रमों में सहभागिता, हितधारकों के अनुभव हेतु दौरे आदि जैसे विशेष प्रयोजनों के लिए उपयुक्त संसाधन/परामर्शदाता नियुक्त करे। एनएमपीबी समय–समय पर एसएमपीबी की कार्य–प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए भी विशेष अध्ययन को बढ़ावा दे सकता है। एसएमपीबी में कर्मचारियों का शीर्षक–वार सांकेतिक ढांचा और विस्तृत ब्यौरा **संलग्नक–II** में दिया गया है। राज्य बजट में एसएमपीबी के लिए पूर्णकालिक सीईओ/सदस्य सचिव और पृथक बजट शीर्ष को एकल केन्द्रीय अनुदान के लिए प्राथमिकता दी जाएगी अथवा अन्यथा इसे एनएमपीबी द्वारा आशोधित किया जा सकता है।

- एसएमपीबी से अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न कार्यकलापों और कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए वार्षिक कार्य योजनाओं को अग्रिम रूप से प्रस्तुत करें, जिन्हें वे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर राज्य में आयोजित करना चाहते हैं ।
- एकल केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त, पूर्व योजना अवधि के संविदात्मक कृषि कार्यकलापों / परियोजनाओं के दायित्वों, यदि कोई हों, को पूरा करने के लिए एसएमपीबी के लिए अनुदान–सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
- एसएमपीबी से अपेक्षा की जाती है कि वे एनएमपीबी के क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) और औषधीय पादपों से संबंधित अन्य राज्य एजेंसियों के साथ गहन समन्वय से कार्य करें ।

8.2. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एनएमपीबी के क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) (मौजूदा सरकारी संस्थानों, निगमों, उत्कृष्टता केंद्रों के भीतर) की स्थापना करना।

देश के विभिन्न भागों में औषधीय पादपों के भौगोलिक प्रसार और उपलब्ध महत्वपूर्ण पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आयुष प्रणाली की सफलता वास्तव में क्षेत्र और स्थान विशेष के बारे में ज्ञान और स्कीम के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय एककों की सक्रिय भागीदारी और तत्संबंधी सुविधाओं पर निर्भर करती है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एनएमपीबी की स्कीमों के संबंध में राज्यों के साथ समन्वय वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त आउटरीच के अभाव में निरुद्ध और हानिकर है। इसलिए, क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, कोई बहुत बड़ी अवसंरचनात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर एसएफसी के अनुमोदन से एनएमपीबी द्वारा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके देश के विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी विभागों / संस्थानों (जैसे आईसीएआर, सीएसआईआर, आईसीएफआरई, विश्वविद्यालयों, आयुष संस्थानों आदि) के भीतर क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) स्थापित किए जाएंगे। देश के भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी) को भी इन आरसीएफसी द्वारा परामर्श / सलाह दी जाएगी। एसएमपीबी के तकनीकी मामलों पर आयोजित बैठकों में क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्र सक्रिय रूप से कार्य करेंगे और एनएमपीबी द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं और अन्य सौंपे गए कार्यों की निगरानी करने में भी सहयोग करेंगे।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि मौजूदा क्षेत्रीय संस्थानों में सात ऐसे आरसीएफसी की स्थापना की जाएं और उनका कवरेज निम्नलिखित होंगा :

क्र. सं .	क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) का नाम	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
1.	उत्तरी क्षेत्र–1	चंडीगढ, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश
2.	उत्तरी क्षेत्र–2	जम्मू–कश्मीर, लद्दाख
3.	मध्य क्षेत्र	छतीसगढ, मध्य प्रदेश
4.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल
5.	दक्षिणी क्षेत्र	अंडमान और निकाबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना
6.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
7.	पश्चिमी क्षेत्र	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र,राजस्थान

क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) के रूप में संस्थानों का चयन

उपरोक्त क्षेत्रों में उल्लिखित अनुसंधान और विस्तार संगठनों या विश्वविद्यालयों की पहचान समाचार पत्रों में खुले विज्ञापन द्वारा की जाएगी। विभिन्न संस्थानों में क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्रों का चयन 4 अथवा 5 विशेषज्ञों की सलाहकार समिति के माध्यम से किया जाएगा। समिति का गठन, जब कभी अपेक्षित होगा, किया जाएगा। वही समिति आरसीएफसी के कार्यकलापों के क्रियान्वयन में प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करेगी और एनएमपीबी को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इन क्षेत्रीय केंद्रों को परियोजना मोड में सहायता प्रदान की जाएगी और सचिव, आयुष मंत्रालय/परियोजना अनुमोदन समिति के अनुमोदन से सहायता का निर्णय किया जाएगा। पीएसी के अनुमोदन से इसके बजट और कार्यकलाप,जब कभी अपेक्षित हो, का निर्णय किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न/स्वरूपः

- सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों (पर्याप्त सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान), विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों आदि सहित सरकारी विभागों और संगठनों के लिए सचिव, आयुष मंत्रालय/परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के अनुमोदन से यथा निर्धारित 100% वित्तीय सहायता (परियोजना मोड में) प्रदान की जाएगी।
- औषधीय पादपों से संबंधित कार्यकलापों से सक्रिय रूप से जुड़े और पर्याप्त विशेषज्ञता एवं अवसरंचना रखने वाले कतिपय क्षेत्रीय केंद्रों को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में समझा जा सकता है।

प्रबंधन सहयोगः

एनएमपीबी स्तर पर कार्यक्रम/ कार्यकलापों मेँ समन्वय करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कार्यालय सहायक/डॉटा एन्ट्री आप्रेटर आदि सहायक कर्मचारियों सहित कार्यक्रम प्रबंधक, डोमेन विशेषज्ञ, सलाहकार, कनिष्ठ सलाहकार कार्य पर रखे जाएंगे।

9. एनएमपीबी का प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंध

एनएमपीबी की औषधीय पादपों संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्र स्कीम की अपेक्षाओं के अनुसार गठित परियोजना जांचध्संवीक्षा समितियों (पीएससी), परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) और अन्य समितियों द्वारा एनएमपीबी को सहयोग प्रदान किया जाता है।

9.1 परियोजना जांच समितियों (पीएससी)

बोर्ड को प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए परियोजना जांच समितियों (पीएससी) का गठन किया जाएगा। समिति के गठन/संयोजन में परिवर्तन किया जा सकता है और स्कीम के तहत कार्यकलापों के आधार पर विभिन्न समितियों का गठन किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक समिति मेँ कार्यकलापों और निगरानी करने के लिए सबसे उपयुक्त पेशेवरों को सूचीबद्ध किया जाएगा और प्रत्येक समिति की बैठक का अध्यक्ष सरकारी सदस्य होगा जिसे सचिव (आयुष) द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा।

9.1.1 'अनुसंधान एवं विकास'से संबंधित परियोजना जांच समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

I)	सचिव (आयुष) द्वारा नामित	अध्यक्ष
II)	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का प्रतिनिधि	सदस्य
III)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
Iv)	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
V)	केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक/प्रतिनिधि	सदस्य
VI)	जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

VII)	डोमेन विशेषज्ञ (सरकारी/गैर–सरकारी)	सदस्य – दो
VIII)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य सचिव

9.1.2 अन्य परियोजनाओं (स्व–स्थाने/बाह्य–स्थाने संरक्षण, जड़ी–बूटी उद्यान, सूचना, शिक्षा और संचार, विपणन आदि से संबंधित परियोजना जांच/स्क्रीनिंग समिति की संरचना निम्नलिखित होगीः

I)	सचिव (आयुष) द्वारा नामित अधिकारी सदस्य	अध्यक्ष
II)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
III)	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का प्रतिनिधि	सदस्य
Iv)	आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
V)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
VI)	केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक/प्रतिनिधि	सदस्य
VII)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
VIII)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
IX)	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
X)	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) का प्रतिनिधि	सदस्य
XI)	आयुष उद्योग का प्रतिनिधि	सदस्य
XII)	डोमेन विशेषज्ञ (सरकारी/गैर–सरकारी)	सदस्य – दो
XIII)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड अथवा उनका/उनकी प्रतिनिधि	सदस्य सचिव

9.2 सलाहकार समिति क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी):
क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) की प्रगति/कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए सलाहकार समिति की संरचना निम्नस्थ होगीः

I)	सचिव (आयुष) द्वारा द्वारा निर्णय लिया जाना	अध्यक्ष
II)	आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के विशेषज्ञ (निदेशक स्तर)	सदस्य
III)	आयुष ध्औषधीय पादप क्षेत्र के गैर–सरकारी संगठन के विशेषज्ञ	सदस्य
IV)	आयुष उद्योग के विशेषज्ञ	सदस्य
V)	राज्य सरकार आयुष/आईएसएम विभाग/औषधीय पादप संगठन के विशेषज्ञ (निदेशक स्तर)	सदस्य
VI)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय	सदस्य सचिव

क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) की प्रगति/कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए सलाहकार समिति के कार्य इस प्रकार हैं :

(I) एनएमपीबी यथा निर्धारित समझौते या किसी अन्य प्रलेख यथा समाविष्ट में निहित उपलब्धियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप परियोजना की प्रगति की निगरानी करना

(ii) (क) समग्र अनुमोदित उद्देश्यों, बजट और समय–सीमा के भीतर परियोजना के किसी भी घटक को बंद करना अथवा छोड़ना या संशोधित करना।

(ख) यदि, अनुदान प्राप्तकर्ता परियोजना के हित में ऐसे साझेदारों को शामिल करने का अनुरोध करता है तो अतिरिक्त औद्योगिक/संस्थागत साझेदारों को सम्मिलित करना, और

(ग) अनुदान प्राप्तकर्ता को वित्तपोषण सहायता में संशोधन /जारी रखने के संबंध में सिफारिश करना।

(iii) आरसीएफसी के कार्यकलापों के तकनीकी पहलुओं पर परामर्श देना।

(iv) एनएमपीबी द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले में परामर्श देना।

9.3 परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी)

बोर्ड को निम्नलिखित सदस्यों की परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता हैः

I) सचिव (आयुष), अध्यक्ष

ii) अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार अथवा प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयय

iii) संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

iv) संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग

v) संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

vi) संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

vii) संयुक्त सचिव अथवा मिशन निदेशक या प्रतिनिधि,राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि और सहकारिता विभाग

viii) आयुर्वेदिक उद्योग के प्रतिनिधि

ix) औषधीय/जड़ी–बूटीय उत्पादों के निर्यातकों का प्रतिनिधि

x) उत्पादक संघों/परिसंघों के प्रतिनिधि

xi) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रतिनिधि

xii) पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के प्रतिनिधि

xiii) सचिव आयुष द्वारा नामित (अनुसंधान और विकास, संरक्षण, फसलोपरांत प्रबंधन, कौशल विकास आदि के अनुभवी अधिकारी) डोमेन विशेषज्ञ–दो

xiv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड – सदस्य सचिव ।

पीएसी के अध्यक्ष को औषधीय पादप क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, योजना और अन्य संबंधित विषयों में सम्बद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों, विशेष गण्मान्य लोगों को आमंत्रित करने का अधिकार होगा।

इस स्कीम/योजना के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के कार्य निम्नलिखित होंगेः

i) अनुदान जारी करने के लिए शामिल किए जाने वाले किसी भी वित्तीय प्रस्ताव पर विचार करना और अनुमोदन करना।

ii) नये पदों के सृजन हेतु प्रस्तावों पर विचार करना एवं अनुशंसा करना।

iii) व्यक्तिगत परियोजनाओं के उन संघटकों पर विचार करना और अनुमोदन करना, जिनके लिए लागत मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं और जब भी आवश्यक हो, मौजूदा लागत मानदंडों में संशोधन को अनुमोदन करना।

iv) दिशानिर्देशों में दिए गए संघटकों के अतिरिक्त कोई भी संबंधित कार्य जिसे बोर्ड संदर्भित कर सकता है।

v) नए उभरते तथ्यों/स्थितियों के आधार पर दिशानिर्देशों में कोई भी बदलाव पीएसी द्वारा तय किया जा सकता है।

vi) पीएसी को किसी भी अप्रत्याशित/आकस्मिक आवश्यकता के प्रबंधन के लिए विशेष हस्तक्षेप का अनुमोदन करने का अधिकार है।

vii) पीएसी अधिकार प्राप्त निगरानी समिति (ईएमसी)/उप–समिति (एससी) का गठन भी कर सकता है और किसी भी प्रशासनिक/वित्तीय मुद्दे के लिए सीईओ, एनएमपीबी को अधिकार दे सकता है।

टिप्पणीः सभी उपरोक्त परियोजना जांच समितियों (पीएससी) मेँ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के दो

अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित) प्रत्येक समिति का हिस्सा होंगे।

परियोजना जांच समिति (पीएससी)/परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) और अन्य समितियों के सदस्य (राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) और आयुष मंत्रालय को छोड़ कर) परियोजना जांच समिति (पीएससी) / परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) अथवा अन्य समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार बैठक शुल्क पाने के पात्र होंगे।

10. परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन करने हेतु कार्रवाई करने की प्रक्रिया

1) सभी परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी)को प्रस्तुत किए जाएंगे। जब ये प्रस्ताव बोर्ड कार्यालय को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी प्रारंभिक जांच की जाएगी और फिर बोर्ड की संबंधित परियोजना जांच समिति (पीएससी) के समक्ष रखे जाएंगे। परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा समीक्षाकृत और संस्तुत किए प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के समक्ष रखे जाएंगे।

2) अन्य मामलों में, जब कोई संगठन संबंधित एसएमपीबी के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो एसएमपीबी प्रस्ताव के प्राप्त होने के एक माह की अवधि के भीतर अपने विचार/इनपुट्स प्रस्तुत करने होंगे। यदि वे समय–सीमा के भीतर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) को कोई विशेष विचार/इनपुट नहीं भेजते हैं, तो यह समझा जाएगा कि एसएमपीबी प्रस्तावों से सहमत है और यदि पीएसी द्वारा परियोजना का अनुमोदन कर दिया जाता है, तो कार्यान्वयन एजेंसी को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

3) बोर्ड,जहां कहीं आवश्यक हो, किसी भी व्यक्ति/एजेंसी से परियोजना प्रस्तावों पर विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4) परियोजनाओं को प्रस्तावित करने वाले संस्थान संस्थागत शुल्क लगाने के लिए पात्र हैं, जो विशेष रूप से अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण आदि के लिए स्कीम की कुल लागत का अधिकतम 5% और अन्य परियोजनाओं के लिए पीएसी के अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

5) एक बार जब बोर्ड नई परियोजना का अनुमोदन कर देता है, तो इसकी स्वीकृति बोर्ड द्वारा मेजबान संस्थान को सूचित कर दी जाएगी और इस स्वीकृति पत्र में विभिन्न व्यापक शीर्ष अर्थात कर्मचारी, उपकरण, कार्य,आवर्ती आकस्मिकताओं, आदि के लिए प्रत्येक मामले में अंतिम रूप से यथा अनुमोदित व्यय की जानकारी सूचित की जाएगी ।

11. कार्यान्वयन और निगरानी

- ऐसे सभी परियोजना प्रस्ताव, जिनकी अवधि एक वर्ष है, अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के 3 माह के भीतर कार्यान्वयन सामान्यत प्रारम्भ दिया जाना चाहिए और ऐसा न किए जाने पर प्रदत्त स्वीकृतियां वापस ली जा सकती हैं। अन्य परियोजना प्रस्तावों, जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक है,के मामलों का भी कार्यान्वयन आमतौर पर 3 माह के भीतर प्रारम्भ करना होगा अन्यथा परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के संबंध में पीआई द्वारा उसका औचित्य सूचित करना चाहिए।
- प्रधान अन्वेषक/परियोजना प्रभारी (पीआई) अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। किए गए कार्यों, उपलब्धियों, परिणामों आदि के ब्यौरे का वार्षिक रिपोर्ट में समावेश होना चाहिए।
- एजेंसी को अनुमोदित की गईं/चल रहीं अथवा किसी पिछली परियोजना पर कार्य किए जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र और प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत न किए जाने पर अथवा कार्य संतोषजनक न होने पर पारित की जाने वाली निधियों को रोका जा सकता है।
- परियोजना के पूर्ण हो जाने पर, प्रधान अन्वेषक/ परियोजना प्रभारी (पीआई) निर्धारित प्रोफार्मा में अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जिसकी बोर्ड के संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा परियोजना के परिणामों, महत्व और उसके संबंध में अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई हेतु मूल्यांकन के लिए जांच की जाएगी।
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा समर्थित परियोजना के तहत प्रकाशित सभी प्रकाशनों (पुस्तकें, शोध पत्र, लोकप्रिय आलेख) में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) का विधिवत रूप से आभार व्यक्त किया जाएगा।

सामान्य शर्तें

I) परियोजना प्रस्ताव सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के हो सकते हैं। तथापि, समन्वित/नेटवर्क परियोजना मामलों में, परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के विवेकानुसार परियोजना अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक की जा सकती है। एमपीसीडीए, स्व–स्थाने संसाधन संवर्धन, बाह्य–स्थाने संरक्षण, इको–टास्क फोर्स और जड़ी–बूटी उद्यान/हर्बल गार्डन के सृजन (गृह जड़ी–बूटी उद्यानों को छोड़कर) संबंधी परियोजनाओं की अवधि भी पांच साल की होगी। अनुमोदित कार्यकाल से अधिक परियोजना अवधि के विस्तार पर विचार प्रत्येक प्रस्ताव की गुणवत्ता और औचित्य के आधार पर पीएससी के अनुमोदन से किया जाएगा।

ii) वैज्ञानिक, अध्यापक, संबंधित शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले अधिकारी, योग्य एनजीओ ही पीआई /सह–पीआई बनने के लिए पात्र होंगे। यदि पीआई किसी सरकारी संगठन में कार्यरत है तो कम से कम 3 वर्ष की सेवा अवधि उसकी सेवानिवृत होने से पहले शेष रहनी चाहिए।

iii) अन्य अतिरिक्त वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी संविदा के आधार पर रखे जाएंगे और उनका वेतन, उपकरणों पर व्यय, आवर्ती आकस्मिकता, टीए (पीआई और संविदात्मक कर्मचारी) आदि व्यय परियोजना अनुदान से वहन किया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास डीएसटी पैटर्न के अनुसार और अन्य के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा यथानिर्धारित परिलब्धियाँ देय होंगी।

iv) निजी अनुसंधान एवं विकास कंपनियों/संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं को बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण के नियम और शर्तों का अनुपालन करना होगा और सरकारी हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित होंगे।

v) दर्ज कराये गए किसी भी पेटेंट पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) और संबंधित संगठन/ प्रधान अन्वेषक का संयुक्त स्वामित्व होगा।

vi) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के मामले में, एजेंसी को पूर्व अनुभव और उपलब्धियों द्वारा समर्थित संबंधित क्षेत्र का कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित उसका उत्तम ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही, एजेंसी के पास परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए योग्य,अनुभवी एवं दक्ष महत्वपूर्ण संसाधन सम्पन्न कर्मचारी भी उपलब्ध होने चाहिए। उनसे उन परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत करनी भी अपेक्षित होगी जिनके लिए उन्हें विगत पांच वर्षों के दौरान किन स्रोतों से धनराशि प्राप्त हुई है और उनके इस तरह के कार्यों से क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए। एनजीओ/कंपनियों द्वारा एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने अपेक्षित होंगे।

vii) सभी एनजीओ को सहकारी समिति के रजिस्ट्रर/उपायुक्त/अन्य संबंधित सीविल प्राधिकरण से भूमि के स्वामित्व (जड़ी–बूटी उद्यान के संबंध में) का भू–प्रमाण पत्र और उसकी सत्यता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

viii) सभी परियोजनाओं में सृजित परिसंपत्ति के रखरखाव के लिए प्रस्तावित तंत्र का उल्लेख करते हुए को स्पष्ट निकास नीति का उल्लेख करना चाहिए।

ix) पीआई को सह–पीआई और अन्य कर्मचारियों का चयन करने का अधिकार होगा। नियुक्ति नियमित स्वरूप की नहीं होगी, किंतु वह संविदा के आधार पर परियोजना/ स्कीम चलने तक ही सीमित रहेगी।

x) पीआई का स्थानांतरण होने/कार्य से हटने के मामले में, सह–पीआई परियोजना का कार्यभार ग्रहण करेंगे और पीआई के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि कोई सह–पीआई नहीं है, तो मेजबान संस्थान परियोजना को संभालने के लिए किसी अन्य उपयुक्त पीआई के नाम का सुझाव देगा। पीआई के स्थानांतरण हो जाने पर और पूर्व संगठन के पास परियोजना को संभालने के लिए उपयुक्त संसाधन संपन्न व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में परियोजना को संबंधित पीआई के अनुरोध पर किसी दूसरे संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। सीईओ, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा ऐसे निर्णय मामला–दर–मामला के आधार पर लिए जाएंगे और पीएससी को अवगत कराया जाएगा।

xi) कार्यान्वयनाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जिनके संबंध में पीएससी को तकनीकी इनपुट की आवश्यकता होती है, के लिए पीआई को समय–समय पर पीएससी द्वारा प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ताकि ऐसे चल रहे कार्यों से सर्वोत्तम उपलब्धि प्राप्त की जा सके।

xii) गैर–आवर्ती शीर्ष के तहत केवल परियोजना संबंधी कार्य के लिए अपेक्षित और छोटे–मौटे कार्यों के लिए अपेक्षित उपकरणों/चुनिंदा, अत्यावश्यक और विशेष वस्तुओं,मौजूदा ढ़ांचे में आशोधन/परिवर्तन करने के लिए ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

xiii) सीईओ, एनएमपीबी के अनुमोदन के बिना कार्यान्वयनकर्ता संस्था आवर्ती आकस्मिक व्यय के मामले को छोड़कर स्कीम के व्यय के विभिन्न शीर्षों के बीच निधियों को पुनर्विनियोजन नहीं करेगी।

xiv) भूमि का किराया /पट्टा किराये के मूल्य संबंधी घटक परियोजना लागत के 10% से अधिक नहीं होगा।

xv) पर्यवेक्षण के लिए मानव संसाधन और अन्य तकनीकी इनपुट पर व्यय आवश्यकतानुसार होंगे।

xvi) दिशानिर्देशों अथवा स्वीकृति पत्र में अन्यत्र कहीं यथा सूचित नियमों व शर्तों के अध्यधीन सहायतानुदान होगा।

xvii) परियोजना का कार्यान्वयन करते समय सभी कानूनों की विधिवत अनुपालना करना पीआई और उसके संगठन का पूर्ण कर्तव्य/दायित्व होगा।

xviii) उच्च अल्पाइन क्षेत्रों और हिमालयीन क्षेत्रों में कार्यकलाप करने के लिए लागत मानदंड अन्यथा विनिर्धारित मानदंडों का डेढ़ गुना तक हो सकते हैं। परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर इन पर निर्णय लिया जा सकता है।

xix) स्कीम के किसी अन्य संघटकों, जिनके लिए लागत के कोई विशेष मानदंड नहीं दिए गए हैं, पर परियोजना मोड में परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा विचार किया जाएगा।

xx) अनुमोदित परियोजना अवधि में वर्ष में जारी किया गया अनुदान, प्रारंभिक वर्ष में पूर्णतया उपयोग नहीं हो पाता है तो अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया समझा जाएगा।

xxi) बदलती स्थितियों में कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण में, परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) स्कीम के समग्र परिव्यय के भीतर अतिरिक्त कार्यकलापों को सम्मिलित करने का निर्णय ले सकती है।

xxii) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की वेबसाइट पर प्रोफार्मा और नियम व शर्तें अपलोड की जाएंगी। पीएससी द्वारा इनकी समय–समय पर समीक्षा भी की जाएगी/ उन्हें समयानुकूल भी बनाया जाएगा और पीएसी को इसकी विधिवत सूचना दी जाएगी।

xxiii) पीआई से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों की राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी ताकि यह निर्णय किया जा सकें कि प्रगति संतोषजनक है अथवा उसमें कोई कमी है या उसमें किसी ऐसे सुधार की आवश्यकता है जिसके लिए कार्यान्वयनकर्ता संगठन को फीडबैक दिए जाने हैं।

xxiv) संरक्षण और संसाधन संवर्धन संबंधी परियोजनाओं हेतु संस्वीकृत धनराशि के परिव्यय में 10% की वार्षिक वृद्धि प्रदान की जाएगी।

12. निगरानी और मूल्यांकन

I. राज्य औषधीय पादप बोर्डों द्वारा निगरानी और मूल्यांकन

राज्य औषधीय पादप बोर्डों (जहां वे स्वयं कार्यान्वयन एजेंसी नहीं हों) को उनके अपने नियत विशेषज्ञों के माध्यम से जमीनी स्तर पर अनुवीक्षण/मेंटोरिंग करने और सुधारात्मक उपाय का सुझाव देने के लिए परियोजनाओं की मॉनीटरिंग में सम्मिलित किया जा सकता है। एसएमपीबी ऐसे कार्य को करने के लिए अपनी अभिरूचि व्यक्त करने हेतु एनएमपीबी से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए, राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी)/अन्य संगठनों द्वारा सभी परियोजनाओं की फील्ड मेंटोरिंग और मॉनीटरिंग की जा सकती है और इस प्रयोजन के लिए राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी)/अन्य संगठनों के लिए इस अनुमोदित अनुदान में से वन/बागवानी/ कृषि विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों, वैज्ञानिकों आदि की किराए पर सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

II. तृतीय पक्षकार निगरानी

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही किसी भी स्कीम की सफलता के लिए तृतीय पक्षकार द्वारा निगरानी बहुत महत्व रखती है। इसके लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं – या तो अपने विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से अथवा फिर किसी एजेंसी को किराए पर रखने के माध्यम से। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और अवसंरचना रखने वाली यथा आवश्यक एक या एक से अधिक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को कार्य करने हेतु रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) विशेष परियोजनाओं के लिए समय–समय पर यथा आवश्यक मेंटोरिंग–सह–मॉनीटरिंग टीमों का गठन भी कर सकता है।

III. परामर्श के लिए मुख्य तकनीकी सलाहकार/डोमेन विशेषज्ञ

एनएमपीबी विशेषज्ञों की सूची तैयार करेगा और औषधीय पादपों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों/थीमों पर थीम–वार/प्रजातिवार विशेषज्ञों को मुख्य तकनीकी सलाहकार (सीटीए) के रूप में नामित करेगा। राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को संचालन सहायता प्रदान करने और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य तकनीकी सलाहकार (सीटीए) को समय–समय पर राज्यों/परियोजना कार्यान्वयन स्थलों का दौरा करने के निदेश दिए जाएंगे। सीटीए को रेल से एसी–II टायर/वायुयान से इकोनॉमी क्लास के किराए और स्थानीय यात्रा व्यय, बोर्डिंग/आवास शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति की जाएगी और वे नियमानुसार बैठक शुल्क के लिए भी पात्र होंगे। तथापि, ऐसे हैंड होल्डिंग असाइनमेंट (उनके मुख्यालय से यात्रा के समय को छोड़कर) कम अवधि के होंगे (3 दिन या उससे कम) और बाद में सीटीए ऐसे प्रत्येक असाइनमेंट की रिपोर्ट एनएमपीबी को प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन और निगरानी/मॉनीटरिंग के लिए आवश्यकतानुसार डोमेन विशेषज्ञ को भी कार्य पर रख सकता है।

नोटः एनएमपीबी की वेबसाइट पर प्रस्ताव और उपयोगिता प्रमाण–पत्र, प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट

एक नजर में
संघटक सहायता के लिए महत्वपूर्ण लागत मानदंड

क्र. सं.	घटक	लागत	अभ्युक्ति / टिप्पणी
1.	**स्व–स्थाने संरक्षण**		
	क) औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्र (एमपीसीडीए) की स्थापना	20,000 रूपये प्रति हेक्टेयर	100% केंद्रीय सहायता
	ख) एमपीसीए का पुनरीक्षण और उन्नयन	5000 रूपये प्रति हेक्टेयर	100% सहायता
	ग) औषधीय पादपों को प्रबंधन / कार्यशील योजनाओं को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सहायता	1.50 लाख रूपये प्रति वन प्रभाग / वन्यजीव प्रभाग	100% सहायता
	घ) स्व–स्थाने संसाधन संवर्धन	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लागत मानदंड	100% सहायता
2.	**बाह्य–स्थाने संरक्षण**		
	क) बाह्य–स्थाने संरक्षण	राष्ट्रीय वनीरोपण कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत पर्यावरण, वनऔर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लागत मानदंड	पैरा 1.2 के अनुसार
3.	**महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के पर्यावास के पुनर्वास के लिए इको टास्क फोर्स**		
	इको टास्क फोर्स	परियोजना के आधार पर	पात्र संगठनों को 100% सहायता
4.	**जेएफएमसी /पंचायतों /वन पंचायतों /स्वयं–सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता**		
	मूल्यवर्धन, शुष्कन, भण्डारण व विपणन संबंधी अवसंरचना संवर्द्धन आदि।	प्रति जेएफएमसी / पंचायतों / वन पंचायतों / एसएचजी / बीएमसी 15.00 लाख रूपये	प्रति जेएफएमसी / पंचायतों / वन पंचायतों / एसएचजी / बीएमसी 100% सहायता
5.	**अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और गुणवत्ता आश्वासन**		
	I) विषयपरक क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	परियोजना के आधार पर	सरकारी संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और अपेक्षित विशेषज्ञता वाले गैर–अलाभकारी परोपकारी संगठनों के लिए 100% सहायता। निजी क्षेत्र संगठनों से प्राप्त परियोजनाओं के लिए 50% सहायता।

	ii) दो या अधिक संस्थानों को मिलाकर नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं	परियोजना के आधार पर	सरकारी संस्थानों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं और अपेक्षित विशेषज्ञता वाले अलाभकारी परोपकारी संगठनों को 100% सहायता। निजी क्षेत्र संगठनों से प्राप्त परियोजनाओं के लिए 50% सहायता।
	iii) औषधीय पादपों के कच्ची औषध भंडारण केंद्रों की स्थापना	राष्ट्रीय कच्ची औषध भंडारण केंद्र के लिए 10.00 करोड़ रूपये और प्रत्येक क्षेत्रीय कच्ची औषध भंडारण केंद्र के लिए 5.00 करोड़ रूपये।	सरकारी संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 100% सहायता। निजी संगठनों के लिए सहायता का निर्णय पीएसी द्वारा परियोजना मोड में लिया जाएगा।
	गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन की स्थापना करना एवं अन्य उपाय जिनका और अन्य कहीं उल्लेख न हो।	परियोजना के आधार पर	100% सहायता।
6.	**आईईसी के माध्यम से हितधारकों को जागरूक करना, अनुभव दौरे, शिक्षा और कौशल विकास**		
	वन विभागों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, बागवानी विभागों, कृषि विभाग, उत्पादकों और संग्राहकों के क्षेत्र कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम	क) राज्य के भीतर न्यूनतम दो दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु (किसान) 2,000/–रूपये। ख) अन्य राज्यों के अनुभव करने के लिए प्रति व्यक्ति 5,000/–रूपये। ग) राज्य के भीतर अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय 5,000 रूपये प्रति अधिकारी होगा और राज्य से बाहर की लागत 10,000 रूपये प्रति अधिकारी (यात्रा लागत अतिरिक्त होगी)।	100% सहायता 1. यात्रा लागतप्रति प्रतिभागी के लिए 3 एसी ट्रेन किराए तक सीमित होगी। तथापि, सरकारी कर्मचारियों के यह उनकी पात्रता के अनुसार होगी। 2. जो स्थान रेल से नहीं जुड़े हैं, पीएसस/पीएसी द्वारा यथा अनुमोदित उन स्थानों तक आवागमन के लिए, उपलब्ध साधनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी ।
	कार्यशाला /संगोष्ठी / आरोग्य मेला	क) जिला स्तर के लिए 1.00 लाख रूपये, ख) राज्य स्तर के लिए 2.00 लाख रूपये, ग) क्षेत्रीय स्तर के लिए 3.00 लाख रूपये, घ) राष्ट्रीय स्तर के लिए 5.00 लाख रूपये, ड.) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए 10.00 लाख रूपये।	100% सहायता

	प्रदर्शनी /मेले में भागीदारी	अन्य एजेंसियों द्वारा भागीदारी के लिए क) राज्य स्तर के लिए 1.00 लाख रूपये, ख) राष्ट्रीय स्तर के लिए 2.00 लाख रूपये, ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए 3.00 लाख रूपये	सरकारी संगठनों के लिए 100% सहायता। उद्योगों सहित निजी संगठनों के लिए निर्धारित लागत अथवा वास्तविक व्यय का 50%, जो भी कम हो (जिसमें यात्रा, आवास, किराया प्रभार, स्टाल फैब्रिकेशन आदि सम्मिलित हैं), की प्रतिपूर्ति की जाएगी। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा भागीदारी वास्तविक व्यय के अनुसार होगी।
7.	**जड़ी–बूटी उद्यानों को बढ़ावा देना**		
	राज्य और राष्ट्रीय महत्व के जड़ी–बूटी उद्यान/हर्बल गार्डन	परियोजना प्रस्ताव के अनुसार	100% सहायता
	संस्थागत/सार्वजनिक जड़ी–बूटी उद्यान/आयुष वन	क) स्थापना के लिए प्रति हेक्टेयर 3.00 लाख रूपये ख) अगले चार वर्ष के लिए प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 60,000 तक की दर से जड़ी–बूटी उद्यान के वार्षिक रखरखाव हेतु ।	100% सहायता
	विद्यालयी जड़ी–बूटी उद्यान	क) 500 वर्गमीटर के क्षेत्र के लिए प्रति विद्यालय 25,000/–रूपये ख) अगले चार वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव हेतु प्रति वर्ष/प्रति स्कूल 7,000/– रूपये तक	100% सहायता
8.	**प्रबंधन सहायता**		
	राज्य और राष्ट्रीय महत्व के जड़ी–बूटी उद्यान/हर्बल गार्डन	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की स्कीम के तहत परिव्यय का 5% तक।	इसमें एनएमपीबी के संवेतन एवं प्रशासनिक व्यय प्रत्येक घटक के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति, निगरानी, प्रचार, विज्ञापन आदि सहित टीई, ओई, सम्मिलित होंगे।

संलग्नक–I

औषधीय वृक्षों, जड़ी–बूटियों और बारहमासी झाड़ियों का स्व–स्थाने संसाधन संवर्धन, बाह्य–स्थाने संरक्षण और रोपण संबंधी लागत मानदंड

(पर्यावरण, वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों से अंगीकृत)

क्र. सं.	मॉडल / उपाय	रख–रखाव सहित रोपण	मृदा एवं नमी संरक्षण (रोपण लागत 15%)	एम एंड ई, माइक्रो आयोजना, बाड़ा लगाने, जागरूक करने (रोपण लागत का 10%)	ऊपरि व्यय (रोपण लागत का 10%)	प्रारंभिक कार्यकलाप (निर्धारित)	कुल
1.	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्सृजन (200 पादप / हेक्टेयर	9750	1460	975	975	4000	17160
2.	कृत्रिम पुनर्सृजन (1100 पादप / हेक्टेयर)	17100	2565	1710	1710	4000	27085
3.	एम.एफ.पी. और औषधीय महत्व वाले वृक्षों का मिश्रित रोपण (1100 पादप / हेक्टेयर)	17100	2565	1710	1710	4000	27085
4.	औषधीय महत्व की बारहमासी जड़ी–बूटियों और झाड़ियों का पुनर्सृजन (2000 पादप / हेक्टेयर)	20400	3060	2040	2040	4000	31540

1. उपरोक्त दर्शाये गए लागत व्यय में प्रति हेक्टेयर पादपों की संख्या स्वीकार्य है। परियोजना प्रस्ताव में रोपण घनत्व में किसी परिवर्तन की परिकल्पना को लागत मानदंडों में यथानुपात तदनुरूपी परिवर्तन किए जाने के लिए पात्र होंगे। संबंधित राज्य सरकारी एजेंसी को यह प्रमाणित करना होगा कि परियोजना को तैयार करते समय कृषि–जलवायु संबंधी कारकों पर यथोचित ध्यान दिया गया है।

2. उपरोक्त तालिका में लागत मानदंड में मजदूरी दर 75.00 रूपये प्रति दिन की दर से परिकलित की गई है। राज्य सरकारों को लागत में वृद्धि करने की अनुमति केवल यह सुनिश्चित करने के पश्चात दी जाएगी कि राज्य में उनकी अनुमोदित मजदूरी दर / दिहाड़ी 75.00 रुपये प्रति दिन की दर की से अधिक है। लागत मानदंडों में वृद्धि मजदूरी में वृद्धि के समानुपात में की जाएगी। यदि मजदूरी दर / दिहाड़ी 75.00 रुपये प्रति दिन से कम होने की दशा में स्कीम में प्रस्तावित दरों की अपेक्षा (यथा अनुपात के आधार पर) कम होगी।

3. लागत का वर्गीकरण करते समय, कुल व्यय में निम्नलिखित मदों को मिलाकर व्यय रोपण लागत के 20% से अधिक नहीं होगाः

I) ऊपरी व्यय / ओवरहेड्स स्टाफ / स्थापना / वाहन आदि सहित (10% से अधिक नहीं)

ii) समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन (2% से अनधिक)

iii) सूक्ष्म रोपण (2% से अनधिक)

iv) बाड़ लगाना / फेंसिंग (5% से अधिक नहीं)। बाड़ लगाने के लिए अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए उपरोक्त मद (i) के तहत किए गए आवंटन में उपयुक्त रूप से कमी करके रोपण लागत में 10ः तक निधियां प्राधिकृत की जा सकती हैं।

अ) जागरूकता में वृद्धि (1% से अधिक नहीं)

4. ऊपरि व्यय के तहत उपकरण खरीदे जाएंगे। रोपण के पश्चात 5 वर्षों तक निगरानी घटकों की अनुमति दी जाएगी क्योंकि रखरखाव के लिए तैनात कर्मियों को निगरानी के कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

5 उपर्युक्त किसी भी मद के तहत बचत को उक्त मद (i) के अलावा अन्य मदों में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ, बाड़ लगाने और ऊपरी व्यय की बचत का विस्तार / प्रवेश स्थल कार्य के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

6. ऊंचे पठार, दुर्गम्य, लवणीय, अम्लीय / क्षारीय और अम्लीय भूमि, अत्यधिक खरपतवार से संक्रमित, कम वर्षा प्रवण वाले क्षेत्र, शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र, मृदा के प्रतिस्थापन की अपेक्षा वाले क्षेत्र और सिंचाई के महत्वपूर्ण औजार आदि जैसे अधिक चुनौतीपूर्ण स्थलों के लिए इसी प्रकार के समान संव्यवहार मॉडल पर 25% अधिक की अनुमति होगी। ऐसे समस्यामूलक स्थलों का ब्यौरा पूरे औचित्य के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अल्पाइन / हिमालयी क्षेत्र के लिए लागत मानदंड परियोजना लागत के डेढ़ गुना होंगे।

7. टिशू कल्चर, क्लोनल सीडलिंग आदि के उपयोग जैसी उन्नत आयोजना तकनीक के लिए भी समान उपचार मॉडल से 25% अधिक की राशि की अनुमति दी जाएगी। अपनायी गई उन्नत तकनीक का ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

संलग्नक–II

उन संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और पूर्वोत्तर संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को छोड़कर एसएमपीबी के एकल केन्द्रों/न्यूकलस सेंटर के रखरखाव के लिए अनुदान का निर्देशात्मक संघटक/शीर्ष–वार व्यय।

तालिका–1

क्र. सं.	संघटक/षीर्ष	इकाई लागत	कुल (रूपये लाख में)	सकल योग (रूपये लाख में)
1.	संविदा के आधार पर परामर्शदाता (सं. 03) के लिए प्रावधान – (i) परामर्शदाता (औषधीय पादप)– (सं. 01) (ii) परामर्शदाता (कृषि/बागवानी)– (सं. 01) (iii) परामर्शदाता	35000/–रूपये की दर से 1* 12 35000/–रूपये की दर से 1* 12 35000/–रूपये की दर से 1* 12	4.20 4.20 4.20	12.60
2.	संविदा के आधार पर सहायक स्टाफ के लिए प्रावधान – (सं. 04) (i) लेखा सहायक – (सं.01) (ii) कार्यालय सहायक/सचिवालयी सहायक – (सं.02) (iii) चपरासी / संदेशवाहक – (सं.01)	22500 रूपये की दर से 1* 12 20000 रूपये की दर से 2* 12 12000 रूपये की दर से 1* 12	2.70 4.80 1.44	8.94
3.	(I) कार्यालय व्यय (ii) विज्ञापन ध्प्रचार ध्मुद्रण (iii) कार्यालय उपस्कर पर आवर्ती व्यय आकस्मिकताएं	- - -	2.00 2.00 1.46	5.46
4.	आवागमन सहायता/ टीए, डीए आदि सहित पीओएल	-	2.00	2.00
5.	(I) आईईसी कार्यकलाप (सम्मेलन, संगोष्ठी/वेबिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आदि का आयोजन) (ii) डॉटा संग्रहण, रखरखाव/प्रलेखन, पुस्तकों की खरीद आदि।	- -	3.60 2.40	6.00
			कुल	35.00

टिप्पणीः संबंधित राज्य की अपेक्षाओं के कारण कुल परिव्यय के भीतर घटकों मैं किसी भी परिवर्तन पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएमपीबी के पूर्वानुमोदन से विचार किया जा सकता है।

उन एसएमपीबी के एकल केन्द्रोंध्न्यूकलस सेंटर के रखरखाव के लिए अनुदान का निर्देशात्मक घटक/शीर्ष–वार व्यय जो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और पूर्वोत्तर राज्यों के अतर्गत आते हैं।

तालिका – 2

क्र. सं.	संघटक /शीर्ष	इकाई लागत	कुल (रूपये लाख में)	सकल योग (रूपये लाख में)
1.	संविदा के आधार पर परामर्शदाता (सं० 02) के लिए प्रावधान –			
	(I) परामर्शदाता (औषधीय पादप) – (सं. 01) अथवा परामर्शदाता (कृषि/बागवानी)– (सं. 01)	35000/-रूपये की दर से 1* 12	4.20	8.40
	(ii) परामर्शदाता (वनस्पति विज्ञान/टेक्सोनॉमी) – (सं.1)	35000/-रूपये की दर से 1* 12	4.20	
2.	संविदा के आधार पर सहायक स्टाफ के लिए प्रावधान – (सं. 03)			
	(I) लेखा सहायक – (सं.01)	22500 रूपये की दर से 1* 12	2.70	6.54
	(ii) कार्यालय सहायक/सचिवालयी सहायक – (सं.01)	20000 रूपये की दर से 2* 12	2.40	
	(iii) चपरासी /संदेशवाहक – (सं.01)	12000 रूपये की दर से 1* 12	1.44	
3.	(i) कार्यालय व्यय	-	2.00	5.00
	(ii) विज्ञापन /प्रचार /ध्मुद्रण	-	2.00	
	(iii) कार्यालय उपस्कर पर आवर्ती व्यय आकस्मिकताएं	-	1.00	
4.	आवागमन सहायता/ टीए, डीए आदि सहित पीओएल	-	1.80	1.80
5.	(I) आईईसी कार्यकलाप (सम्मेलन, संगोष्ठी/वेबिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आदि का आयोजन)	-	3.00	5.26
	(ii) डॉटा संकलन, रखरखाव/प्रलेखन, पुस्तकों की खरीद आदि।	-	2.26	
			कुल	27.00

टिप्पणीः राज्य की अपेक्षाओं के कारण कुल परिव्यय के भीतर संबंधित घटकों में किसी भी परिवर्तन पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएमपीबी के पूर्वानुमोदन से विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
वित्तीय सहायता (अनुदान) के नियम और शर्तें

1. संस्था/संगठन/प्रधान अन्वेषक (पीआई) एक अलग लेखा विवरण/रजिस्टर रखेगा। संगठन को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक खाता रखना है। दो पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से खाते का परिचालन किया जाना चाहिए। वानिकी परियोजनाओं के संबंध में सहायतानुदान एफडीए/एसएफडीए/एफडीसी के माध्यम से जारी की जाएगी और अन्य परियोजनाओं के लिए सहायतानुदान संबंधित संस्थान/संगठन के माध्यम से जारी की जाएगी।

2. अनुदानग्राही (एनजीओ) दो जमानतदारों के साथ 100/- रुपये के स्टांप पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का बांड निष्पादित करेगा कि अनुदानग्राही द्वारा अनुदान की सभी शर्तों की अनुपालना की जाएगी। इन शर्तों की अनुपालना करने में किसी भी प्रकार की विफलता अथवा बांड से संबंधित किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर, अनुदानग्राही जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से बॉन्ड में यथानिर्धारित ब्याज दर के साथ अनुदान की एक साथ पूरी धनराशि भारत सरकार को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि अनुदानग्राही संस्थान/संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है या सहकारी समिति है, तो दो जमानतदार प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब बांड पर दो जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो दोनों जमानतदार ऋण शोधक्षम और इतने मूल्य की ऐसी परिसंपत्ति का मालिक होना चाहिए जो बॉन्ड की राशि से कम न हो जिसे न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन में कुर्की करके बेचा जा सके। इस तथ्य को जिला मजिस्ट्रेट या अन्य समकक्ष प्राधिकारी द्वारा बांड की बॉडी पर सत्यापित किया जाना चाहिए।

3. जिस परियोजना के लिए सहायता अनुदान मांगी जा रही है, अनुदान राशि की प्राप्ति की तारीख से 3 माह के भीतर उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ होना चाहिए।

4. यदि अनुदान या उसके किसी भाग को उस प्रयोजन, जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया है,से अलग उपयोग में लाया जाना है तो अनुदानग्राही को इसके लिए बोर्ड का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

5. अनुदानग्राही द्वारा संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के पश्चात इस बोर्ड के द्वारा सहायतानुदान की धनराशि का भुगतान रेखांकित मांग ड्राफ्ट/आरटीजीएस/ईसीएस मोड के माध्यम से किया जाएगा।

6. जिन पीआईने एनएमपीबी द्वारा समर्थित परियोजनाओं के कार्य का असंतोषजनक रूप में निष्पादन किया है, तो ऐसे पीआई के उस परियोजना प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लगातार 3 वर्षों के लिए एनएमपीबी द्वारा वित्तपोषण के लिए उसके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. एनएमपीबी द्वारा जारी सहायतानुदान पर अर्जित ब्याज एनएमपीबी को वापस/प्रतिदाय किया जाना है ।

8. अनुदान का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन हैः

   क) एजेंसी और बैंक के ब्यौरे का प्रस्तुतिकरण।

   ख) सहायतानुदान राशि की पूर्व–रसीद।

   ग) अनुदानग्राही इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वचन–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अनुदानग्राही संगठन की निधियों का परिचालन करने और रखने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत है।

   घ) अनुदानग्राही को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संगठन के खाते या अपने पदधारकों में से किसी के भी आचरण के संबंध में अनुदानग्राही किसी न्यायालय की कार्यवाही में संलिप्त नहीं है। उसे इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए कि संस्था किसी भी भ्रष्ट कार्य में संलिप्त नहीं है।

   ङ) अनुदानग्राही को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि अनुदानग्राही को इसी अवधि के दौरान केंद्र सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य एजेंसी द्वारा उसी प्रयोजनार्थ सहायतानुदान प्रदान/संस्वीकृत नहीं किया गया है।

च) भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना अनुदानग्राही अनुदान से सृजित या अधिग्रहित की गई स्थायी अथवा अर्ध स्थायी परिसम्पत्तियों को किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं करेगा और न ही अन्यत्र भेजेगा/बेचेगा। जब कभी ऐसे निकाय को भंग किया जाता है, तो परिसंपत्तियां सरकार को वापस लौटायी जानी है।

छ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार परीक्षण जांच और नियमित लेखा परीक्षा के लिए भी अनुदानग्राही द्वारा अपने खातों/लेखों को खुला रखना चाहिए।

ज) अनुदान के किसी भी अंश का उपयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा।

झ) अनुदानग्राही संगठन/संस्थान को लिखित रूप में वचन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि अनुदानग्राही इसके संलग्नक और संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित अनुदान की शर्तों की अनुपालना किए जाने के लिए सहमत है।

ञ) 5.00 लाख रूपये और उससे अधिक का आवर्ती सहायतानुदान पाने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर लेखापरीक्षित लेखा विवरण के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट की 05 प्रतियां (अंग्रेजी अथवा हिंदीं) सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रस्तुत करेंगे।

ट) अनुदानग्राही द्वारा वर्ष के अंत में उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और लेखा परीक्षित विवरणों के साथ वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (प्राप्त किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य का उल्लेख करते हुए) की पांच (05) प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी और ऐसा न करने पर अनुदान को रोक दिया जाएगा।

9. उपयोग प्रमाण–पत्र निम्नलिखित के अध्यधीन स्वीकार किए जाएंगे :

क) अनुदानग्राही द्वारा जीएफआर के अनुसार इस अनुदान से उपार्जित सभी परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर बनाया जाएगा। ऐसी स्वीकृति के संबंध में अलग से रजिस्टर रखा जाना अपेक्षित है और अनुदानग्राही द्वारा उसकी विधिवत हस्ताक्षरित दो प्रतियां प्रति वर्ष इस बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ख) अनुदानग्राही द्वारा रखे गए परिसंपत्तियों के रजिस्टर को लेखा परीक्षा या इस मंत्रालय की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संवीक्षा किए जाने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

ग) अनुदानग्राही द्वारा जीएफआर –12ए और जीएफआर –12सी के रूप में उपयोग प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण हर हालत में वित्तीय वर्ष के समापन के बाद उसके छह माह केभीतर एनएमपीबी को अग्रेषित किए जाने चाहिए और उन पर चार्टर्ड एकाउंटेंट /सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित और उन पर प्रधान अन्वेषक (पीआई) के प्रति हस्ताक्षर भी होने चाहिए।

10. यूपीएस सहित कंप्यूटर और अन्य सभी उप साधनों की लागत न्यूनतम व यथोचित और प्रचलित बाजार दर के अनुसार होनी चाहिए।

11. परियोजनाओं में प्रस्तावित विभिन्न निर्माण कार्य कराने के लिए देय मजदूरी की दरें राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्र सरकार के संस्थानों में प्रचलित दर सूची के अनुरूप होंगी।

12. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भू–स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। सरकारी संगठनों द्वारा भूमि की स्थिति के बारे में विवरण सूचित करना होगा।

13. प्रशिक्षण, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि जैसे विकासात्मक कार्यकलापों के लिए भोजन, आवास और परिवहन संबंधी भुगतान की अनुमत सीमा भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप स्वीकार्य होंगे।

14. भारत सरकार के मौजूदा मानदंडों के अनुसार संसाधन संपन्न व्यक्तियों/विशेषज्ञों को मानदेय और टीए / डीए का भुगतान किया जा सकता है।

15. उपकरणों पर व्यय आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि वैसे उपकरण संस्थान/संगठन में पहले से ही उपलब्ध हों तो उस परियोजना में उन उपकरणों की खरीदने की यथा संभव अनुमति नहीं दी जाए।

16. संविदागत कर्मचारियों के संवेतन न्यूनतम रखे जाएं। आर एंड डी परियोजनाओं या अन्य परियोजनाओं के तहत संविदात्मक कर्मचारियों की परिलब्धियां डीएसटी या सीएसआईआर के मानदंडों के अनुसार होंगी।

17. संस्थान / संगठन के प्रधान अन्वेषक/पीआई/सह–प्रधान अन्वेषक/सीओ–पीआई सहित नियमित/ स्थायी या किराए पर लिए गए कर्मचारी इस अनुदान से संवेतन का भुगतान लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. परियोजना में उप संविदा करने की अनुमति नहीं है।

19. अन्य नियम और शर्तें, जैसा भी मामला हो, राज्य / केंद्र सरकार के संस्थानों पर यथा लागू शर्तों के अनुसार होंगी।

20. प्रधान अन्वेषकों को यह प्रमाणित करना होगा कि परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय सभी लागू कानूनों /नियमों और कानूनी उपबंधों की अनुपालना की जाती है।

21. यह भी प्रमाणित किया जाना है कि औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना के दिशानिर्देशों के सुसंगत प्रावधानों /खंडों के अनुसार परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

22. एनएमपीबी की वित्त पोषित परियोजना के परिणाम के रूप में फाइल किए या संस्वीकृत कोई भी पेटेंट एनएमपीबी और अनुदान प्राप्त संगठन की संयुक्त संपत्ति होगी। एनएमपीबी की स्पष्ट स्वीकृति से पेटेंट का किसी प्रकार का व्यवसायीकरण किया जाएगा।

औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती/फॉरवर्ड और पश्चवर्ती/ बैकवर्ड संबद्धता/लिंकेज (एकीकृत घटक)

II. औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संबद्धता (एकीकृत घटक)

1.0 परिचय

1.1 औषधीय पादप क्षेत्र के अस्तित्व के लिए औषधीय पादप आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन निर्णायक होता है। गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की मांग आधारित उपलब्धता, प्रशिक्षण, फसलोपरांत प्रबंधन की अवसंरचना और औषधीय पादपों की उपज के विपणन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, औषधीय पादपों के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, फसलोपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और विपणन के साथ–साथ सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) क्रियाकलापों और गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन के लिए समर्पित अवसंरचना का नेटवर्क आजीविका पर प्रभाव बढ़ाने में भी सहायक होगा। इससे फसलोत्तर क्षति को भी मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से कम किया जा सकता है। इन अवसंरचनाओं को ई–चरक पोर्टल से एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।

1.2 वनों से असंधारणीय संग्रहण किए जाने से जहां एक ओर कतिपय प्रजातियों के लुप्त होने संबंधी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और वहीं दूसरी ओर गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उगाने /बीज के लिए पौधशालाएं, फसलोपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, विपणन के लिए अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी, कौशल विकास के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम, कार्यान्वयन एजेंसियों को उचित वित्तीय सहायता का समर्थन करके सहक्रियात्मक तरीके से गुणवत्तापरक कच्ची सामग्री का प्रमाणन करने जैसी सुविधाएं प्रदान करके किसानों को प्रोत्साहित करना अनिवार्य हो जाता हैं।

2.0 उद्देश्य

I. औषधीय पादपों की खेती/रोपण करने के लिए उत्पादकों के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री/बीज उगाने के लिए पौधशाला /बीज जर्म प्लाज्म केंद्र की स्थापना करना।

II. औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं (खेती, जीएपी, जीएफसीपी, भंडारण, पीएचएम तकनीक, मूल्य संवर्धन, बाजार सूचना इत्यादि सहित) पर किसानों, उद्यमियों, बाजार पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों में सामान्य जागरूकता उत्पन्न करना और प्रशिक्षण प्रदान करना।

III. बाजार लिंकेज की सुविधा के लिए फसलोपरांत प्रबंधन इकाईयों, मूल्य संवर्धन सहित प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयों और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करना।

IV. गुणवत्तापरक मानकों के लिए परीक्षण और प्रमाणन तंत्र का कार्यान्वयन और सहयोग करना।

3.0 एकीकृत परियोजना – संघटक

3.1 औषधीय पादपों के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के लिए अवसंरचना

3.1.1 बीज/सीड जर्म प्लाज्म केंद्र की स्थापनाः

औषधीय पादपों की खेती और ऐसी खेती से अंतिम प्रतिलाभ बहुत हद तक प्रयुक्त रोपण सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तथापि, व्यावसायिक पैमाने पर गुणवत्तायुक्त जर्मप्लाज्म प्रदान करने या गुणवत्तायुक्त रोपण स्टॉक का उत्पादन करने के लिए विशेष तंत्र विद्यमान नहीं है। इसलिए, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और सीएसआईआर, आईसीएआर संस्थान इत्यादि में पौधशाला और बीज बैंकों के साथ बीज जर्म प्लाज्म केंद्र की स्थापना करने की आवश्यकता है। प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादप प्रजातियों की खेती के लिए प्रमाणित भंडारण और उसकी आपूर्ति करने के लिए औषधीय पादपों के कार्यकलापों से जुड़े वन विभागों/अनुसंधान संगठनों/कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों (सार्वजनिकध निजी) को बीज जर्म प्लाज्म केंद्र की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। बीज उन पादपों से उपजाये जाएं जो मुख्यतः बीजों से उगाये जा सकते हों। एक बीज जर्म प्लाज्म केन्द्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 04 हेक्टेयर होना चाहिए।

सहायता के मानदंडः—

इसके तहत 25.00 लाख रूपये तक सहायता स्वीकार्य होगी। इसके लागत मानदंड **संलग्नक—I** में दिए गए हैं।

3.1.2. गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए पौधशालाओं की स्थापना

I. आदर्श/मॉडल पौधशालाः

खेती के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तहत नई पौधशालाओंके लिए सहायता प्रदान की जाएगी। आदर्श/मॉडल पौधशालाओं के लिए अवसंरचना हेतु निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखे जाने होंगेः

- प्रतिकूल मौसम की स्थिति से रक्षा करने के लिए मदर स्टॉक सुरक्षित रखना ।
- नेट हाउस स्थितियों में जड/रूट स्टॉक पौध उगाना।
- खुला हवादार/वेंटिलेशनयुक्त प्रवर्धन गृह, जिसके किनारों पर कीटरोधी जाली लगी हो। फॉगिंग तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति भी उपलब्ध हो।
- लाइट स्क्रीनिंग गुणों और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रद्धतियों के साथ कीटरोधी नेट हाउस से सुरक्षित भवन/रखरखाव।
- पर्याप्त सिंचाई और जल संचयन हेतु पंप हाउस।

रोपण करने के लिए उपयुक्त पादपों के लिए अपेक्षित इनपुट लागत और समय के आधार पर एक आदर्श पौधशाला औषधीय पादपों की 2—3 लाख पौध का उत्पादन करेगी। रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व नर्सरियों/पौधशालाओं पर होगा। ऐसी आदर्श/मॉडल पौधशाला के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 04 हेक्टेयर होना चाहिए।

II. **लघु पौधशालाः**— न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की पौधशाला में औषधीय पादपों की 50,000 से 70,000 पौध रखने/धारण करने के लिए उचित अवसंरचना सुविधाएं (नेट हाउस, क्यारियां, वर्मी—कम्पोस्ट, साइनेज, माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति) होनी चाहिए। कंटेनरों की आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने/छोटे से बड़े कंटेनरों में बदलने के लिए पौधशाला में मृदा मीडिया के सोलर स्टरलाइजेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। संगठन के पास सतत आयोजना होनी चाहिए। रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पौधशालाओं का होगा। निजी पौधशालाओं को भी स्व—मान्यता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इलाके/परियोजना क्षेत्र में रोपण सामग्री की आवश्यकताओं के आधार पर पौधशाला बहु—फसल या फसल विशेष की हो सकती हैं। इसलिए, स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित पौधशाला का स्वरूप स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

सहायता के मानदंडः

आदर्श/मॉडल पौधशाला के लिए 25 लाख रूपये प्रति यूनिट (4 हेक्टेयर) की दर से और लघु पौधशाला के लिए 6.25 लाख रूपये प्रति यूनिट (1 हेक्टेयर) की अधिकतम सहायता। इसके लागत मानदंड **संलग्नक—I** में दिए गए हैं।

iii. मौजूदा औषधीय पादप पौधशाला का रखरखावः— एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित न्यूनतम पांच वर्ष पुरानी मौजूदा औषधीय पादप पौधशाला को उचित औचित्य के आधार पर औषधीय पादपों की 50,000—70,000 (लगभग) पौध उगाने के लिए 1.50 लाख रुपय/हेक्टेयर तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, पांच वर्ष की अवधि के बाद यदि अपेक्षित हो, तो अधिकतम दो बार अनुरक्षण/रख—रखाव अनुदान प्रदान किया जाएगा।

iv. गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उगाने के लिए औषधीय पादपों की सांकेतिक सूची **संलग्नक—II** में दी गई है।

3.2 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप

खेती की सर्वोत्तम पद्धतियों, उत्तम कृषि पद्धतियों, उत्तम क्षेत्र संग्रहण पद्धतियों, फसलोपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, विपणन इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों, संग्रहकर्ताओं, व्यापारियों, आपूर्ति श्रृंखला मध्यस्थों, नीति निर्माताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं जैसे विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

कार्यकलापः—

- o औषधीय पादपों की खेती, उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी), फसलोपरांत प्रबंधन पद्धतियों (पीएचएम), भंडारण, मूल्य संवर्धन, बाजार सूचना इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- o संस्थानों द्वारा किसान के खेत में विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना।
- o बाजार संबद्धता / लिंकेज के लिए हितधारकों के लिए क्रेता—विक्रेता बैठकों का आयोजन करना।

सहायता के मानदंडः—

- o राज्य के भीतर न्यूनतम दो दिनों के लिए प्रति प्रशिक्षु 2,000 / — रुपये और राज्य से बाहर प्रति प्रशिक्षु 5,000 / — रुपये प्रदान किये जायेंगे जिसमें अनुभव दौरे / एक्सपोजर विजिट भी सम्मिलित होंगे। यात्रा लागत उपरोक्त लागत के अतिरिक्त होगी। यात्रा लागत प्रति प्रतिभागी थर्ड एसी ट्रेन के किराये तक सीमित होगी। तथापि, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह उनकी पात्रता के अनुसार होगा।
- o जिला स्तर पर क्रेता—विक्रेता बैठक का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता 1.00 लाख रूपये तक और यह राज्य स्तर पर आयोजन हेतु 2.00 लाख रूपये सीमित होगी।
- o इसके लागत मानदंड **संलग्नक—I** में दिए गए हैं।

3.3 फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के लिए अवसंरचना

यह आकलन किया जाता है कि विनिर्माताओं तक पहुंचने वाली 30% कच्ची सामग्री खराब / घटिया गुणवत्ता की होती है और इसलिए,उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः भंडारण गोदाम, सुखाने वाले यार्ड और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों / मूल्य संवर्धन अवसंरचना जैसी फसलोपरांत प्रबंधन की अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं औषधीय पादपों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज का मूल्य बढ़ाने, लाभप्रदता बढ़ाने और घाटे को कम करने के लिए आवश्यक हैं। यह योजना देश के विभिन्न क्षेत्रों के खेती वाले इलाकों के नजदीक फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। ऐसी बनाई जा रही सुविधाएं सभी शेयर धारकों द्वारा साझा की जाएंगी और भुगतान के आधार पर दूसरों के लिए उपलब्ध करायी जा सकती हैं। फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना में निर्मित की जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैंः

3.3.1 शुष्कन प्रांगण / ड्राईंग यार्डः

3.3.1 **शुष्कन प्रांगण / ड्राईंग यार्डः** उत्पादों को स्वच्छ स्थितियों में सुखाने का प्रारंभिक कार्य करने के लिए शुष्कन प्रांगण / सुखाने के यार्ड की जरूरत होती है। चूँकि, जड़ी—बूटियों को छाया में सुखाया जाना होत्ता है, इसलिए शेड नेट का प्रावधान या कम तापमान में सुखाने की सुविधाओं सहित सुखाने के लिए यार्ड बनाए जा सकते हैं। सुखाने के लिए सोलर ड्रायर जैसे उपकरण, यदि आवश्यक हो, तो खरीदे जा सकते हैं।

3.3.2 भंडारण गोदाम / स्टोरेज गोदामः

भंडारण गोदामों द्वारा समीपवर्ती सुखाने वाले यार्डों से उपज प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। सुखाने वाले यार्ड / शुष्कन प्रांगण और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के बीच भंडारण गोदाम एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। भंडारण गोदामों को पर्याप्त रूप से हवादार होना चाहिए और इनकी रणनीतिक स्थानों पर स्थापना की जानी चाहिए। भंडारण गोदाम और सुखाने वाले यार्ड इस तरह से स्थित होने चाहिए कि वे कृषि भूमि से बहुत दूर न हों।

3.3.3 मूल्य संवर्धन अवसंरचनाः

इस योजना का उद्देश्य खेती/संग्रहित औषधीय पादपों का मूल्य संवर्धन और एएसयूएंडएच उद्योग की बढ़ती घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना है। मूल्य संवर्धन के लिए डी–स्टोनिंग, सफाई, ग्रेडिंग, चूर्णीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, पाउडरिंग, बिलेटिंग और पैकेजिंग, निष्कर्षण, आदि जैसे उपकरण सहित प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

3.3.4 ग्रामीण संग्रहण केंद्रः

ग्रामीण संग्रहण केंद्र में सहायक सेवाओं के साथ वजन तोलन ब्रिज, नीलामी प्लेटफार्म, धुलाई और सुखाई, थोक बिक्री पैकेजिंग आदि जैसी अवसंरचनागत सुविधाएं हो सकती हैं।

सहायता के मानदंड :–

- o भंडारण गोदाम बनाने के लिए अधिकतम सहायता 10.00 लाख रूपये प्रति यूनिट।
- o षुष्कन प्रांगण/ड्राईंग यार्ड की स्थापना के लिए अधिकतम सहायता 10.00 लाख रूपये प्रति यूनिट।
- o मूल्य संवर्धन अवसंरचना की स्थापना के लिए अधिकतम सहायता रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट।
- o ग्रामीण संग्रहण केंद्र की स्थापना के लिए अधिकतम सहायता 20.00 लाख रूपये प्रति यूनिट।
- o संबंधित सार्वजनिक/एसएचजी/सहकारी समितियों द्वारा भूमि प्रदान की जाएगी और यह परियोजना लागत का हिस्सा नहीं बनेगी।
- o इसके लागत मानदंड **संलग्नक– I** में दिए गए हैं।

3.4 गुणवत्तापरक परीक्षण/क्वालिटी टेस्टिंग

उत्पादकों द्वारा उत्पादित जड़ी–बूटियों/औषधीय पादपों का गुणवत्तापरक परीक्षण लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने का मूल–सिद्धांत/कुंजी है। यदि आयुष/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जड़ी–बूटिया/औषधीय पादपों का परीक्षण कराया जाता है तो अधिकतम. 5000 रुपये की शर्त पर उत्पादक परीक्षण शुल्क के 50% के पात्र हो सकते हैं। तथापि, उचित औचित्य दिए जाने पर भिन्नता के लिए लचीलापन लागू है। इसके लागत मानदंड **संलग्नक–I** में दिए गए हैं।

3.5 प्रमाणन/सर्टिफिकेशन

औषधीय पादपों /जड़ी–बूटियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आर्गानिक और जीएपी प्रमाणन बहुत महत्वपूर्ण है और यह किसानों के लिए उनकी उपज की बेहतर कीमतों के माध्यम से और उपभोक्ताओं को हर्बल/आयुष उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से उचित लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। क्षेत्र समूह/संकुल में न्यूनतम 50 हेक्टेयर खेती करने के लिए ग्रुप के आधार पर 05 लाख रुपये की सीमा तक प्रमाणन शुल्क स्वीकृत किया जा सकता है। तथापि, उचित औचित्य दिए जाने पर भिन्नता के लिए लचीलापन लागू है। इसके लागत मानदंड **संलग्नक**–ट में दिए गए हैं।

4.0 पात्रता

I. एक एकीकृत परियोजना के लिए अधिकतम 1.20 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता। सरकारी संगठन 100% सहायतानुदान के लिए पात्र होंगे और निजी संगठन (जिन्हें औषधीय पादपों के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो) 50% सहायतानुदान के लिए पात्र होंगे।

ii. केवल उन्हीं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास परियोजना का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए गांव/ब्लॉक स्तर पर अवसंरचना सुविधाएं होंगी।

iii. एकीकृत संघटक के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी **संलग्नक–III** में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकती हैं।

5.0 विभिन्न संघटकों के लिए अधिकतम सहायता

5.1 औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संबद्धता/लिंकेज (एकीकृत घटक)

औषधीय पादप क्षेत्र के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन बहुत निर्णायक होती है। औषधीय पादपों की उपज के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता, प्रशिक्षण, फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और विपणन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) कार्यकलापों और गुणवत्तापरक परीक्षण और प्रमाणन के सहयोग के साथ औषधीय पादपों के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री और फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के लिए समर्पित अवसंरचना का नेटवर्क आजीविका पर प्रभाव बढ़ाने और मात्रात्मक कमी और गुणात्मक फसलोत्तर हानि को कम करने का साधन होंगे।

विभिन्न संघटकों के लिए अधिकतम सहायता :–

क्र. सं.	संघटकों का नाम	अधिकतम सहायता
1.	औषधीय पादपों के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उगाने के लिए अवसंरचना	50.00 लाख रूपए
2.	सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलाप	7.50 लाख रूपए
3.	फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के लिए अवसंरचना	55.00 लाख रूपए
4.	गुणवत्तापरक परीक्षण और प्रमाणन	7.50 लाख रूपए
	कुल परियोजना लागत	**120.00 लाख रूपए**

टिप्पणीः तथापि, योजना की कार्यात्मक प्रकृति के कारण, प्राप्त और अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों के आधार पर उचित औचित्य के साथ भिन्नता हेतु लचीलापन लागू है।

5.2 परियोजना अवधि

एक से तीन वर्ष (प्रजातियों के आधार पर)

5.3 निधियां जारी करना

धनराशि दो किस्तों में जारी की जाएंगी।

6.0 प्रस्ताव की प्रस्तुतिकरण

- 'औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रवर्ती/फॉरवर्ड और पश्वर्ती/बैकवर्ड संबद्धता/लिंकेज' (एकीकृत घटक) पर परियोजना प्रस्ताव **संलग्नक–II** के अनुसार संगत प्रोफार्मा में राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी) के माध्यम से एनएमपीबी को भेजे जाएं। जहां कहीं, एसएमपीबी कार्यात्मक नहीं है, ऐसे प्रस्ताव क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी) द्वारा एनएमपीबी को भेजे जाएं।

- एसएमपीबी/आरसीएफसी द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने के पश्चात् एकीकृत परियोजना प्रस्ताव एनएमपीबी को अग्रेषित किए जाएंगे।

- एनएमपीबी स्तर पर पीएसी (जैसा कि पृष्ठ –29 पर पैरा – 9.2 में वर्णित है) द्वारा अनुमोदनार्थ विचार करने से पहले परियोजना को परियोजना स्क्रीनिंग समिति (जैसा कि पृष्ठ – 28 पर पैरा – 9.1 में वर्णित है) के समक्ष रखा जाएगा। पीएससी के समक्ष रखे जाने से पहले, परियोजना को प्रस्ताव, जहां कहीं अपेक्षित हो, को पहले तकनीकी राय के लिए विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। एनएमपीबी द्वारा दिशानिर्देश के अनुसार इस तरह की जांच और टिप्पणियों करने के लिए डोमेन विशेषज्ञ को शुल्क का भुगतान किया जाएगा ।

- एनएमपीबी आवश्यक अनुमोदन हो जाने के पश्चात, दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां जारी करेगा ।

- एसएमपीबी/आरसीएफसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होंगे और परियोजना अन्वेषक द्वारा प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज (संबंधित एसएमपीबी/आरसीएफसी की निगरानी रिपोर्ट) एनएमपीबी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

7.0 कार्यान्वयन रूपरेखा

7.1 एकीकृत परियोजनाओं के लिए मानदंड

7.1.1 परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र में औषधीय पादपों की उपज के आधार पर योजना के तहत समर्थित की जाने वाली अवसंरचना की सटीक प्रकृति का निर्धारण किया जाएगा। औषधीय पादप क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और अनेक नवीन भंडारण, संरक्षण और न्यूनतम प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां दिन–प्रतिदिन विकसित की जा रही हैं, जिन पर स्थायी वित्त समिति /परियोजना अनुमोदन समिति की सिफारिश से योजना के अंतर्गत भी विचार जाएगा।

7.1.2 सुविधाओं की कार्यात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में कमी को दूर करने तथा परियोजना की उपयोग क्षमता और उसकी व्यवहार्यता को बढ़ाने की दृष्टि से, आवेदक अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों या राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं के संयोजन से इस योजना के तहत सहायता का लाभ उठा सकते हैं। तथापि, उन संघटकों/सुविधाओं के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी जिनके लिए सहायतानुदान पहले ही स्वीकृत/उपलब्ध हो चुका हो।

7.2 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/पीआई के लिए मानदंड इस प्रकार हैं:–

I. परियोजना अन्वेषक चिन्हित क्षेत्रों में औषधीय पादपों की मांग और आपूर्ति की स्थिति का निर्धारण करने के लिए विभिन्न भागों (जिला या जिलों का समूह, ब्लॉक आदि) में बेस–लाइन सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन करा सकता है।

ii. एकीकृत घटक के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों के लिए, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को यह वचन देना होगा कि केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत परियोजना क्षेत्र को कवर नहीं किया गया है/कवर किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

iii. कृषि जलवायु क्षेत्र के साथ–साथ उद्योगों की मांग के अनुसार औषधीय पादपों के लिए पहचान करना /रोपण सामग्री उगाना।

iv. चिन्हित क्षेत्र में क्यूपीएम की आपूर्ति के लिए खेती करने हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए (प्रारूप के अनुसार) खेती के लिए क्षेत्र और फसल, आधार संख्या, भूमि रिकॉर्ड (खसरा खतौनी संख्या), जीपीएस स्थान आदि जैसा किसानों का डॉटा रखने के लिए व्यक्तिगत किसानों /क्लस्टर की पहचान और उनका पंजीकरण करना।

v. औषधीय पादपों की खेती करने वाले किसानों को क्यूपीएम (बीज और अंकुर सामग्री/पादप) के साथ–साथ फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) सुविधाओं और समीपवर्ती क्षेत्र में मूल्य संवर्धन अवसंरचना और विपणन अवसंरचना से सम्बद्ध किया जाना।

vi. प्रारूप के अनुसार प्रजातिवार उपज का डॉटा उपलब्ध कराना।

vii. किसानों और एएसयूएंडएच उद्योग / विनिर्माण इकाइयों के बीच बाजार संबद्धता / लिंकेज को सुविधाजनक बनाना।

viii. कृषि तकनीकों, फसलोपरांत प्रबंधन तकनीक आदि के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम और चिन्हित क्षेत्र के किसानों के लिए क्रेता–विक्रेता बैठक,जहां क्यूपीएम वितरित किए जाने है, जैसे सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) कार्यकलापों का आयोजन करना।

ix. **संलग्नक–IV, V** और **VI** में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और उसे एसएमपीबी ध्आरसीएफसी के माध्यम से एनएमपीबी से साझा किया जाना।

x. उत्पादन आँकड़े, उपज का विपणन और परियोजना के आउटपुट और परिणाम सहित अन्य प्रबंधन रिकॉर्ड से संबंधित डॉटा का प्रलेखीकरण।

xi. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में खेती, प्रसंस्करण, विपणन, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण और प्रमाणन से संबंधित सभी कार्योंका समेकन किया जाएगा और बेहतर तालमेल के लिए उसका राज्य स्तर पर समन्वय किया जाएगा। परियोजना अन्वेषक योजना के उद्देश्यों को समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपना स्वयं का मॉडल चुनने, बनाने या मौजूदा संस्थानों को उन्मुख करने के लिए स्वतंत्र हैं।

xii. औषधीय पादपों (एकीकृत घट्क) की आपूर्ति श्रृंखला (एकीकृत संघटक) में अग्रवर्ती / फॉरवर्ड और पश्चवर्ती / बैकवर्ड लिंकेज़ के तहत गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, प्रौद्योगिकी प्रसार, फसलोपरांत प्रबंधन, प्राथमिक प्रसंस्करण / मूल्य संवर्धन अवसंरचना, विपणन आदि जैसे प्रमुख कार्यकलापों का कार्यान्वयन करने के लिए सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए।

xiii. लाभार्थियों की आजीविका पर प्रभाव के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

xiv. भूमि (पौधशाला, बीज जर्म प्लाज्म केंद्र, सुखाने वाले यार्ड, भंडारण गोदाम, मूल्य संवर्धन अवसंरचना और ग्रामीण संग्रहण केंद्र के संबंध में) के स्वामित्व के लिए सभी पीआई को भूमि प्रमाण पत्र और उपायुक्त / अन्य संबंधित सिविल प्राधिकारी आदि की सत्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

xv. इसके कार्यान्वयन के तहत उन एकीकृत परियोजनाओं, जिनके लिए पीएससी को तकनीकी इनपुट की आवश्यकता हो सकती है, के लिए पीआई को पीएससी द्वारा समय–समय पर प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित जा सकता है ताकि ऐसे चल रहे कार्यकलापों से सर्वोत्तम उपलब्धि हासिल की जा सके।

xvi. दिशानिर्देशों या स्वीकृति पत्र में यथाविनिर्दिष्ट 'नियम और शर्तों' के अधीन आगे सहायतानुदान उपलब्ध करायी जाएगी।

xvii. पीआई और उसके संगठन का यह पूर्ण कर्तव्य होगा कि परियोजना का कार्यान्वयन करते समय सभी कानूनों का विधिवत अनुपालन हो।

xviii. एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय परियोजना के किसी भी चरण में कोई भी स्पष्टीकरण और / या कोई दस्तावेज / सूचना मांग सकता है। मंत्रालय योजना के दिशानिर्देशों या यहां दिए गए किसी भी अन्य नियम और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xix. यदि किसी भी समय, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय के ध्यान में यह आता है कि किसी सूचना / तथ्यों में हेराफेरी / छिपाकर अनुदान प्राप्त किया गया है, तो वह उससे तुरंत वापस ले लिया जाएगा।

टिप्पणीः सामान्य शर्तें (जैसा कि पृष्ठ संख्या 32 पर उल्लिखित है) जहां भी अपेक्षित हों, पीआई और संगठन पर भी लागू होती हैं।

8.0 प्रशासनिक सहायता

प्रबंधन सहायता, कौशल विकास, सूचना तकनीक (आईटी) सहायता, लेखा परीक्षा/ऑडिट, निगरानी और मूल्यांकन।

राष्ट्रीय स्तरः एनएमपीबी एकीकृत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की भर्ती कर सकता हैः

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	परिलब्धियां/माह
1.	परियोजना प्रबंधक	01	85,000/– रूपये
2.	परियोजना परामर्शदाता	03	50,000/– रूपये
3.	कार्यालय सहायक	03	50,000/– रूपये

9.0 निगरानी और मूल्यांकन

केंद्रीय क्षेत्र योजना के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्र की विशेषज्ञ पेशेवर एजेंसियों को कार्य पर रख करके निगरानी और मूल्यांकन भी कराया जाएगा (बिंदु संख्या 12, पृष्ठ संख्या – 33 पर उल्लिखित) ।

10.0 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस योजना दिशानिर्देशों के तहत, प्रस्तावों के चयन और अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न कोई भी विवाद दिल्ली के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।

संलग्नक–I

फसलोपरांत प्रबंधन एवं विपणन, गुणवत्तापरक परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, आईईसी कार्यकलाप,अवसंरचना हेतु सहायता के मानदंड

क्र. सं.	कार्यक्रम	लागत मानदंड	अभ्युक्ति
1.0	**गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के लिए अवसंरचना (रोपण सामग्री का उत्पादन)**		
1.1	बीज / सीड जर्म प्लाज्म केन्द्र की स्थापना (4 हेक्टेयर)	25.00 लाख रूपये	सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदक 100% सहायतानुदान के लिए पात्र होंगे और निजी क्षेत्र के आवेदक 50% सहायतानुदान के लिए पात्र होंगे।
1.2	आदर्श / मॉडल पौधशाला (4 हेक्टेयर)	25.00 लाख रूपये	
1.3	लघु पौधशाला (1 हेक्टेयर)	6.25 लाख रूपये	
2.0	**सूचना, शिक्षा और संचार**		
2.1	किसानों का प्रशिक्षण (न्यूनतम दो दिन की अवधि के लिए)	राज्य में प्रति प्रशिक्षु 2,000/– रुपये और राज्य के बाहर प्रति प्रशिक्षु 5,000/–रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। यात्रा लागत उपरोक्त लागत के अतिरिक्त होगी। यात्रा लागत प्रति प्रतिभागी थर्ड एसी ट्रेन के किराये तक सीमित होगी। तथापि, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह उनकी पात्रता के अनुरूप होगा। जो स्थान रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए पीएससी / पीएसी द्वारा अनुमोदित उपलब्ध साधनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।	
2.2	क्रेता–विक्रेता बैठक	जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता 1.00 लाख रूपये तक और राज्य स्तर के लिए 2.00 लाख रूपये तक सीमित होगी।	
3.0	**फसलोपरांत प्रबंधन एवं विपणन के लिए अवसंरचना**		
3.1	सुखाने का यार्ड	10.00 लाख रूपये	सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदक 100% सहायतानुदान के लिए पात्र होंगे और निजी क्षेत्र के आवेदक 50% सहायतानुदान के लिए पात्र होंगे ।
3.2	भंडारण गोदाम	10.00 लाख रूपये	
3.3	मूल्य संवर्धन अवसंरचना	15.00 लाख रूपये	
3.4	ग्रामीण संग्रहण केंद्र	20.00 लाख रूपये	
4.0	**गुणवत्तापरक परीक्षण**	यदि जड़ी–बूटियों / औषधीय पादपों का आयुष / एनएबीएल प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया जाता है तो उत्पादक अधिकतम 5000 रुपये के अधीन 50% परीक्षण शुल्क के पात्र होंगे।	
5.0	**प्रमाणन**	समूह / संकुल में 50 हेक्टेयर खेती के लिए समूह के आधार पर 5.00 लाख रूपये की सीमा तक प्रमाणन शुल्क स्वीकार्य होगा।	

परियोजना अवधि – प्रजाति के आधार पर एक से तीन वर्ष (निधियां दो से तीन किस्तों में जारी की जाएंगी)।

संलग्नक–II

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उगाने के लिए औषधीय पादपों की सांकेतिक सूची

क्र. सं.	वानस्पतिक नाम	साधारण नाम
1.	एबिस वेबबियाना लिंडल	तालीसपत्र
2.	एब्रस प्रीकेटोरियस लिनन	चिरमती, चिन्नोटी,
3.	एकासिया केटेच (एल.एफ.) वाइल्ड	कथा
4.	एकोनिटम चस्मान्थम स्टाप	वत्सनाभ (एपीआई)
5.	एकोनिटम फेरॉक्स वॉल./ए. बाल्फोरी	वत्सनाभ
6.	एकोनिटम हेटरोफिलम वाल एक्स रोयल	अतीस
7.	एकोरस कैलमस लिनन.	वच
8.	अधाटोडा जेलेनिका मेडिक	अडूसा
9.	एगल मार्मेलोस (लिनन.) कोर.	बेल
10.	अल्बिजिया लेबबैक बेंथ.	शिरीष
11.	एलोवेरा (लिनन.) बर्न.	घृतकुमारी
12.	अल्पिनिया कैल्केराटा रोस्क.	लघु गलांगा
13.	अल्पिनिया गैलंगल वाइल्ड.	ग्रेटर गलांगा
14.	अल्स्टोनिया स्कॉलरिस आर.बी.आर.	सत्विन, सप्तपर्णा
15.	अल्टिंगिया एक्सेलसा नोरोन्हा	सिलारसा
16.	एनासाइक्लस पाइरेथ्रम डीसी.	एकरकरा
17.	एंड्रोग्रैफिस पैनिकुलता (लिनन.) बर्न.	कालमेघ
18.	एक्विलारिया एगैलोचा रॉक्सब.	अगर
19.	अर्टेमिसिया एनुआ (लिनन.)	अर्टेमिसिया
20.	एस्पेरेगस रेसेमोसस वाइल्ड.	शतावरी
21.	एट्रोपा बेलेडोना लिनन.	एट्रोपा
22.	अजादिराक्टा इंडिका ए. जस	नीम
23.	बकोपा मोनिएरी (लिनन.) पेनेल	ब्राह्मी
24.	बर्बेरिस अरिस्टाटा डीसी.	दारूहल्दी
25.	बर्गनिया सिलियाटा स्टर्न.	पाषणभेदा
26.	बोएरहाविया डिफ्यूसा लिनन.	पुनर्नवा
27.	कैसलपिनिया सप्पन लिनन.	पातंग
28.	कैसिया अन्गुस्टिफोलिया वाहल.	सेन्ना

29.	कैथरैन्थस रोजियस ((लिनन.) जी.डॉन)	सदाबहार
30.	सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड.	मालकांगनी, ज्योतिस्मथी
31.	सेंटेला एशियाटिका (लिनन.) अर्बन	मंडूकपर्णी
32.	क्लोरोफाइटम बोरिविलियनम सेंट.	श्वेतमुसली
33.	सिनामोमम तमाला (बच.–हैम.) टी.नीस एंड सी.एच.एबरम	तेजपत्ता
34.	सिनामोमम वेरम प्रेस्ल	दालचीनी
35.	सिनामोमम कैम्फोरा लिनन.	कपूर
36.	क्लेरोडेंड्रम फ्लोमोइड्स एल.एफ	अर्नी
37.	क्लिटोरिया टर्नेटिया लिनन. (ब्लू एंड व्हाइट वेराइटी)	अपराजिता
38.	कोलियस बारबेटस बेंथ.सिन. कोलियस फोर्सखोली	पाथेर चूर
39.	कोलियस वेट्टिवरोइड्स के.सी. जेकोब	ह्रीवेरा
40.	कॉमिफोरा वाइटी (अर्न.) भंडारी	गुग्गल
41.	कन्वोल्वुलस माइक्रोफिलस चॉइसी	शंखपुष्पी
42.	कॉप्टिस टीटा वाल.	ममीरा
43.	कोस्किनम फेनास्ट्रेटम (गर्टन) कोलब्र	पीला चंदन
44.	क्रैटेवा नूरवाला बुच – हाम.	वरूण
45.	क्रिप्टोलेपिस बुकानानी रोम एंड शुल्ट	कृष्णसारीव
46.	कर्कुलिगो ऑर्कियोइड्स गर्टन	काली मुसली, मुस्लिशिया
47.	करकुमा ऑगस्टिफोलिया रॉक्सब	तिखुर
48.	डेकालेपिस हैमिल्टनी वाइट एंड एर्न.	नन्नारी
49.	डैक्टिलोरिजा हतागिरिया (डी.डॉन)	सालमपंजा
50.	डेस्मोडियम गैंगेटिकम (एल.) डीसी.	सारिवन
51.	डिजिटलिस पुरपुरिया लिनन.	फॉक्सग्लोव
52.	डायोस्कोरिया बल्बिफेरा लिनन.	रोटालु, गेथी
53.	एक्लिप्टा अल्बा हस्क.	केसुरिया, भांगड़ा, भृंगराज
54.	एम्बेलिया रिब्स बर्म. एफ.	वै विदांग
55.	एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस गार्टन.	आंवला
56.	एफेड्रा जेरार्डियाना वाल.	सोमलता
57.	फेरूला फोटिडा रीगल.	हींग
58.	गार्सिनिया इंडिका चोइसी	कोकुम
59.	जेंटियाना कुरू रोयल	त्रयमाण
60.	जिन्कगो बिलोबा लिनन.	जिंकगो
61.	ग्लोरियोसा सुपरबा लिनन.	कलिहारी
62.	ग्लाइसीराइजा ग्लबरा लिनन.	लिकोरिस जड़ें, मुलेठी
63.	गमेलिना आर्बोरिया लिनन.	गम्भारी
64.	जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे आर. ब्र.	गुड़मार
65.	हेडिचियम स्पिकैटम बुच–हैम.एक्स स्मूथ	कपूरकचरी

66.	हेमिडेसमस इंडिकस आर.बी.आर.	अनंतमूल
67.	हिप्पोफे रमनोइड्स लिनन.	सीबकथोम
68.	होलारेना एंटीडिसेंटरिका वाल.	कुर्चीध्कुटज
69.	हायोसायमस नाइजर लिनन.	खुरासनियाजवाने
70.	इनुला रेसमोसा एच.के. एफ.	पुष्करमूल
71.	इपोमिया मॉरिटियाना ध् इपोमिया डिजिटाटा	बड़ा आलू
72.	इपोमिया पेटालोइडिया चोइसी	वृद्धदारुका
73.	इपोमिया टर्पेथम आर. ब्र.	त्रिवृत
74.	जुनिपेरस क्यूमिनिस लिनन.	हापुशाल, बेथर, हापुशा
75.	ज्यूरिनिया मैक्रोसेफला बेंथ.	धूप, जरी–धूप
76.	कैम्फेरिया गैलंगल लिनन.	इंडियन क्रोकस
77.	लेपिडम सैटिवम लिनन.	चन्द्रसूर
78.	लेप्टाडेनिया रेटिकुलेट (रेट्ज) डब्ल्यूटी.एंड एर्न.	जीवंती
79.	लित्सिया ग्लूटिनोसा (लूर.) सी.बी. रोब	लिस्टिया
80.	मैपिया फोटिडा मियर्स.	घनेरा
81.	मेसुआ फेरिया लिनन.	नागकेशर
82.	मोरिंगा ओलिफेरा लैम	सहजन
83.	मुकुना प्रुरियन्स लिनन.	कोंच
84.	नार्डोस्टैचिस जटामांसी डीसी.	जटामांसी
85.	ओसीमम सेंक्टम लिनन.	तुलसी
86.	ओनोस्मा हिस्पिडम वॉल.एक्स डॉन	रतनजोत
87.	ओरोक्सिलम इंडिकम वेंट.	स्योनाका
88.	पैनाक्स स्यूडो–जिनसेंग वाल.	जिंसेंग
89.	फिलैंथस एमरस शुम एंड थॉन.	भूमि अमलकी
90.	पिक्रोरिजा कुरोआ बेंथ.एक्स रोयल	कुटकी
91.	पाइपर क्यूबेबा लिनन. एफ.	कबाबचीनी
92.	पाइपर लोंगम लिनन.	पिप्पली
93.	प्लांटैगो ओवेट फोर्क्स	इसबगोल
94.	प्लुचिया लांसोलाटा (डीसी) सीबी क्लार्क	रसना
95.	प्लम्बैगो रोसिया लिनन.	लीडवॉर्ट
96.	प्लम्बैगो जेलेनिका लिनन.	चित्रक
97.	पोडोफिलम हेक्सांड्रम रॉयल.	बांककरी
98.	पॉलीगोनैटम सिरिफोलियम वाल.	महामेदा
99.	प्रेमना इंटीग्रिफोलिया लिनन.	अग्निमंथ
100.	स्यूडार्थ्रिया विसिडा (लिनन.) वाइट एंड एर्न.	मूविला
101.	सोरालिया कोरिलिफोलिया लिनन.	बकुची
102.	टेरोकार्पस मार्सुपियम रॉक्सब.	बीजासर

103.	टेरोकार्पस सैंटालिनस एल.एफ	रक्तचंदन
104.	पुएरेरिया ट्यूबरोसा डीसी.	विदारीकंद
105.	राउवोल्फिया सर्पेंटिना बेंथ.एक्स कुर्ज	सर्पगंधा
106.	रयूम इमोडी वॉल. एक्स मीस्न.	अर्चा
107.	रूबिया कॉर्डिफोलिया लिनन.	मंजिष्ठा
108.	सलासिया रेटिकुलाटा राइट	सप्तचक्र (सप्तरंगी)
109.	सैंटालम एल्बम लिनन..	चंदन
110.	सराका असोका (रोक्सब.) डी वाइल्ड	अशोक
111.	सोसुरिया कोस्टस सी.बी. क्लार्क	कुठ, कुस्थ
112.	सिडा कॉर्डिफोलिया लिनन.	फलालैन खरपतवार
113.	स्माईलैक्स चाइना लिनन.	हृद्धात्री
114.	सोलनम एंगुइवि लैम.	कठेली–बढ़ी
115.	सोलनम नाइग्रम लिनन.	मकोय
116.	स्टीरियोस्पर्मम सुवेओलेंस डीसी.	पटल
117.	स्टीविया रेबाउडियाना बर्टोनी.	मधुकरी
118.	स्वर्टिया चिराटा बुच–हैम	चिराता
119.	सिम्प्लोकोस रेसमोसा रॉक्सब	लोध / पठानी
120.	टैकोमेला अन्डुलेट (एस.एम.) सीम	रोहितक
121.	टैक्सस वालिचियाना लिनन.	थुनेर, तालीसपत्र
122.	टेफ्रोसिया पुरपुरिया पर्स	पावड़, शारपुन्खा,
123.	टर्मिनलिया अर्जुना (रॉक्सब.) डब्ल्यूटी.एंड एर्न.	अर्जुन
124.	टर्मिनलिया बेलिरिका गार्टन.	बेहरा
125.	टर्मिनलिया चेबुला रेट्ज.	हरड़
126.	टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मियर्स	गिलोय
127.	ट्रैगिया इन्वोलुकेता लिनन.	बरहंटा
128.	ट्राइकोसैंथेस कुकुमेरिना लिनन.	पटोलपंचांग
129.	ट्राइकोपस जेलेनिकस गार्टनर.	जीवानी
130.	टाइलोफोरा एस्थेमेटिका (एल.एफ.) वाइट एंड एर्न.	दमबूटी
131.	यूरेरिया पिक्टा (जैक.) डेसव.	पृष्णापर्णी
132.	वेलेरियाना हार्डविकी वाल.	तगर–गंथ
133.	वेलेरियाना वालिची डीसी.	इंडियन वेलेरियन
134.	वेटेरिया इंडिका लिनन.	मंदाधुपा, दुपा
135.	वेटिवेरिया ज़िज़ानोइड्स (लिनन.) नैश	खस–खास घास
136.	वियोला ओडोराटा लिनन.	बुनाफ्शा
137.	विटेक्स निगुंडो लिनन.	निर्गुंडी
138.	विथानिया सोम्नीफेरा (लिनन.) डनल	अश्वगंधा
139.	वुडफोर्डिया फ्रुटिकोसा कुर्ज.	धातकी
140.	ज़ैंथोक्सिलम एलैटम डीसी.	तिमूर

संलग्नक–III

विस्तृत एकीकृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रारूप

परियोजना प्रस्ताव का ब्यौरा

1.0	**पृष्ठभूमि सूचना (बेस लाइन सर्वेक्षण)**		**सूचना प्रस्तुत की जाएं**
	1.1	भूगोल और जलवायु	
	1.2	मांग, आपूर्ति और बाजार उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावित औषधीय पादपों की प्रजातियों की संभावना	
	1.3	मौजूदा अवसंरचना (वेयरहाउस / कोल्डस्टोरेज, बाजार, मंडियां, विनिर्माण इकाइयां, पौधशाला (सार्वजनिक / निजी क्षेत्र), अनुसंधान एवं विकास संस्थान, परीक्षण प्रयोगशालाएं / प्रमाणन एजेंसियां, किसान संघ / सहकारी समितियां / एसएचजी)	
	1.4	जीपीएस लोकेशन के साथ संगठन के पास भूमि की उपलब्धता	
	1.5	राज्य में मौजूदा प्रस्तावित औषधीय पादपों की उपलब्धता और उद्योगों की मांग की स्थिति	
	1.6	अन्य कोई सूचना	
2.0	**परियोजना प्रस्ताव**		
	2.1	उद्देश्य और रणनीति	
	2.2	संपर्क पता, फोन, ई–मेल आईडी सहित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	
	2.3	परियोजना के मुख्य पहलू और समय सीमा के साथ एकीकृत परियोजनाओं का संघटकवार कार्यान्वयन ब्यौरा और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संगठनों से एक साथ प्रस्ताव कैसे लाए जाने हैं?	
	2.4	संघटकवार वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय–बीज जर्मप्लाज्म केंद्र / पौधशाला, आईईसी कार्यकलाप, फसलोपरांत प्रबंधन, अवसंरचना, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन का ब्यौरा	

		2.4.1	**क्यूपीएम के लिए अवसंरचना (विन्यास / ले–आउट प्रस्तुत किया जाएं)**					
			कार्य का नाम	**इकाईयों की संख्या**	**वित्तीय सहायता (लाख में)**	**सम्मिलित किए जाने वाले 'लाभार्थियों की संख्या)**	**उगाए जाने वाली पौध की संख्या / प्राप्त किए जाने वाले बीज**	**जीपीएस अवस्थिति / लोकेशन**
		(क)	बीज जर्म प्लाज्म केंद्र					
		(ख)	आदर्श पौधशाला					

		(ग)	लघु पौध शाला					
		2.4.2	**आईईसी कार्यकलाप**	**आईईसी कार्य–कलापों की संख्या**	**वितीय सहायता**	**कार्यकलाप का स्तर**	**किसानों की संख्या**	**उद्देश्य**
		(क)	किसानों का प्रशिक्षण (न्यूनतम दो दिनों के लिए)					
		(ख)	क्रेता–विक्रेता बैठक					
		2.4.3	**फसलोपरांत प्रबंधन एवं विपणन के लिए अवसंरचना (विन्यास/ले आउट उपलब्ध कराया जाए)**					
			कार्यकलाप का नाम	इकाईयों की संख्या	वित्तीय सहायता (रूपये लाख में)	क्षमता (मीट्रिक टन में)	निर्माण हेतु कुल प्रस्तावित क्षेत्र	जीपीएस अवस्थिति/ लोकेशन
		(क)	सुखाने का यार्ड					
		(ख)	भंडारण गोदाम					
		(ग)	मूल्य संवर्धन अवसंरचना					
		(घ)	ग्रामीण संग्रहण केंद्र					
		2.4.4	**गुणवत्ता परीक्षण**	**परीक्षण प्रभार**	**प्रजातियों की संख्या**	**वित्तीय सहायता (रूपये लाख में)**	**प्रजातियों के नाम**	**आयुष/ एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम**
		2.4.5	**प्रमाणन**	**कवर किया गया सीन (हेक्टेयर में)**	**वित्तीय सहायता (रूपये लाख में)**	**प्रजातियों का नाम**	**प्रमाणनकर्ता एजेंसी का नाम**	**जीपीएस लोकेशन**

2.5	परियोजना अवधि		
	2.6	परियोजना के तहत प्रस्तावित कुल वित्तीय सहायता (रूपये लाख में)	
3.0	संबद्धता / लिंकेज		
	3.1	अनुसंधान एवं विकास संस्थानों / सुविधा केंद्रों के साथ	
	3.2	आयुष उद्योग (विनिर्माण इकाइयां / विपणन के लिए व्यापारी) के साथ	
4.0	संलग्नक		
		परियोजना के तहत मौजूदा और प्रस्तावित अवसंरचना का संभावित पहचाने गए क्षेत्र और स्थान का उल्लेख करते हुए राज्य की जीआईएस मैपिंग	
		पौधशाला, बीज जर्म प्लाज्म केंद्र, फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना का ब्यौरा	
		पौधशाला ध्बीज जर्म प्लाज्म केंद्र / पीएचएम / विपणन / मूल्यवर्धन के तहत क्षेत्र वह स्केच प्लान जिसमें अवसंरचना के संघटकों और भूमि उपयोग का स्थान दर्शाया गया हो।	

हिताधिकारियों का ब्यौरा

क्र. सं.	हिताधिकारी नाम	आधार सं.	जिला एवं ग्राम सहित संपर्क ब्यौरा	उगायी जाने वाली प्रजातियां	खेती के तहत कवर किए जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्राप्त की जाने वाली अनंतिम उपज (मीट्रिक टन)	अन्य कोई सूचना, यदि कोई हो
कुल							

टिप्पणी – पीआई को यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के साथ प्रस्तावित / आयोजित कार्यकलाप ओवरलैप नहीं हो।

संलग्नक–IV

एकीकृत घटक के तहत गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

पौधशाला एवं बीज जर्म प्लाज्म केंद्र

1	संगठन का नाम	
2	संगठन की स्थिति	
3	फोन/फैक्स/ई–मेल के साथ नाम और पूरा पताः	
4	प्राप्त वित्तीय सहायता (रूपये लाख में)	
5	**पौधशाला /बीज जर्मप्लाज्म केंद्र का स्थान** 1. राज्य 2. जिला 3. नगर या गाँव 4. निकटतम रेलवे स्टेशन 5. भूमि सर्वेक्षण संख्या 6. जीपीएस लोकेशन	
6	**रोपण सामग्री के वितरण के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या**	
7	**उगाई गई पौध/प्राप्त बीजों की मात्रा (किलोग्राम या टन में)**	
	नर्सरी/बीज जर्म प्लाज्म केंद्र का कुल क्षेत्रफल, मूल पौधों सहित, सर्वेक्षण संख्या के साथः मूल पौधों का ब्यौराः	

1. संगठन के पास उपलब्ध मूल पौध

		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	**फसल/ किस्म**	**पादपों की संख्या**	**रोपण सामग्री के स्रोत**	**पादप आयु**		**निष्पादन रिकार्ड**	
						वर्ष	माह	हां	नहीं

2. अन्य स्रोतों से प्राप्त मूल पौध

	फसल / किस्म	रोपण सामग्री के स्रोत	पता	निष्पादन रिकार्ड

	3. मूल पौधों का ब्यौरा								
		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	फसल/ किस्म	पादपों की संख्या	रोपण सामग्री के स्रोत	पादप आयु		निष्पादन रिकार्ड	
						वर्ष	माह	हां	नहीं

8	**क्यूपीएम प्रवर्धन की विधिः**	
9	रोग मुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए सुविधाओं का विवरणः	
	I. औजार एवं उपस्कर	

	क्र. सं.	उपस्कर का नाम	खरीद तारीख	संख्या

	II. सुरंग, शेड–हाउस और पॉली–हाउस सहित संयंत्र और मशीनरीः				
	अवसंरचना का स्वरूप	संख्या	स्थापना/प्रारम्भ किए जाने की तारीख	क्षेत्रफल लंबाई–चौड़ाई	अभ्युक्ति
	III. अन्य कोई सूचना				

10	**सिंचाई का स्रोत :–** 1. भू–जल 2. सतही जल 1.3. सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर)	
11	**ऑपरेशन मैनुअल के कार्यान्वयन की स्थिति**	

	उत्पादन के लिए समय सीमा के साथ प्रवाह चार्ट	विशिष्टताओं के साथ उत्पादन के प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक इनपुट की पहचान	प्रत्येक उत्पादित रोपण सामग्री की पहचान	रिकॉर्ड रखना

12	नर्सरियों/बीज जर्म प्लाज्म केंद्रों में तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों का ब्यौरा और उनका प्रशिक्षण स्तर			
	क्र. सं.	**नाम**	**अहर्ता**	**लिया गया प्रशिक्षण, यदि कोई हो**

13	घोषणाः क) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। स्थानः दिनांकः आवेदक के हस्ताक्षर

*** लाभार्थियों का ब्यौरा**

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	आधार संख्या	जिले और गांव के साथ संपर्क विवरण	प्रजातियों की संख्या	वितरित पौध /वितरित बीज की संख्या (किलो में)	रोपण के लिए पौध/बीजों के तहत कवर किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रति हेक्टेयर प्राप्त उपज (मीट्रिक टन में)

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः
दिनांकः

संलग्नक–V

आईईसी कार्यकलापों (प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्रेता–विक्रेता बैठक) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रारूप

1. आयोजन का शीर्षकः

2. संगठन का नामः

3. आयोजन सचिव और संयोजक का नाम, पदनाम और पता टेलीफोन / मोबाइल / फैक्स / ई–मेल पताः

4. क्रेता–विक्रेता बैठक / प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान और तारीखः

5. एनएमपीबी से प्राप्त वित्तीय सहायता (रूपये लाख में):

6. इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई धनराशिः

7. वास्तविक लक्ष्य (प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए संसाधन संपन्न व्यक्तियों का ब्यौरा, प्रशिक्षित लक्ष्य समूह, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि और प्रशिक्षुओं की संख्या सहित विवरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु के साथ–साथ क्रेता–विक्रेता बैठक)

8. पाठ्यक्रम सामग्री (कृपया व्याख्यानों / व्यावहारिक सत्रः का सांकेतिक कार्यक्रम के साथ दिवस–वार उल्लेख करेंः

9. संगठन के पास उपलब्ध विशेषज्ञता (यदि कुछ विशेषज्ञ / कुशल कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया था तो संस्थानों / विशेषज्ञों के नाम सहित उनकी सहमति का उल्लेख करें):

10. आउटपुट और परिणाम (मूर्त और अमूर्त दोनों), वृद्धिशील आय, रोजगार, लाभार्थियों की संख्या, लिंग, विकास आदिः

    क. प्रतिभागियों की संभावित सूची के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों / विषयों / मुख्य वक्ताओं / संसाधन संपन्न व्यक्तियों आदि का उल्लेख करें।

    ख. क्रेता–विक्रेता बैठक और प्रशिक्षण से किस प्रकार मौजूदा ज्ञान में वृद्धि हुई, विशेष रूप से औषधीय पादप क्षेत्र और उससे संबंधित अनुशंसा (यदि कोई हो) :

11. कृपया क्रेता–विक्रेता बैठक और प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एनएमपीबी के नामांकित व्यक्तियों / अन्य संगठनों के नामांकित व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख करेंः

12. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारीः

अधिकारी की मोहर सहित
हस्ताक्षर

संस्था के आयोजन सचिव / आधिकारिक प्रमुख के हस्ताक्षर एवं मोहर

संलग्नकः
1. कार्यक्रम की तस्वीरें
2. कार्यक्रम की रिपोर्ट
3. प्रशिक्षण के प्रशिक्षकों की सूची
4. क्रेता–विक्रेता बैठक के प्रतिभागी

संलग्नक–VI

फसलोपरांत प्रबंधन, मूल्यवर्धन और विपणन अवसंरचना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

1.	संगठन का नाम	:					
2.	संगठन की स्थिति	:					
3.	फोन/ई–मेल के साथ नाम और पूरा पताः	:					
4.	प्राप्त निधि	:					
5.	**अवसंरचना का स्वरूप**	:	**प्राप्त वित्तीय सहायता**	**पीएचएम और विपणन अवसंरचना का स्थान (राज्य, जिला, शहर या गांव, निकटतम रेलवे स्टेशन, जीपीएस के साथ भू – सर्वेक्षण संख्या)**	**क्षेत्रफल/ लंबाई– चौड़ाई**	**क्षमता मीट्रिक टन में)**	**प्रजातिवार मात्रा सूखे/ भंडारित/ संसाधित/ व्यापार प्रति वर्ष मीट्रिक टन**
क	सुखाने का यार्ड						
ख	भंडारण गोदाम						
ग	मूल्य संवर्धन अवसंरचना						
घ	ग्रामीण संग्रहण केंद्र						
6	**मूल्य संवर्धन अवसंरचना और ग्रामीण संग्रहण केंद्र में उपलब्ध औजारों और उपकरणों का ब्यौरा**						
	क्र. सं.	उपकरणों का नाम		खरीद वर्ष		संख्या	
7	अवसंरचना, संघटकों और भमि उपयोग का स्थान दर्शाने वाले क्षेत्र का स्केच मानचित्र						

8	पीएचएम और विपणन अवसंरचना में तकनीकी रूप से सक्षम कर्मचारियों का विवरण			
	क्र. सं.	**नाम**	**योग्यता**	**लिया गया प्रशिक्षण, यदि कोई हो**
9	घोषणा : क) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। जगहः तारीखः आवेदक के हस्ताक्षर			

*** लाभार्थियों का ब्यौरा**

लाभार्थियों का नाम	**भंडारित / सूखी कच्ची सामग्री (टन में)**	**पादप प्रजातियों का नाम**	**जिले और गांव के साथ संपर्क विवरण**	**प्रति हेक्टेयर उपज (मीट्रिक टन में)**

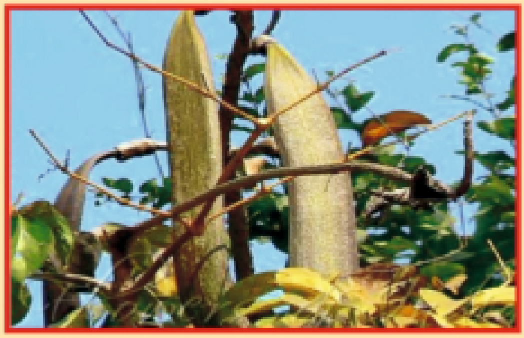

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

पहली एवं दूसरी मंजिल, एनेक्सी बिल्डिंग
आईआरसीएस, 1 रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली – 110001
टेलीफोन नंबर 011–23721840
ई–मेलः info&nmpb@nic.in | वेबसाइटः www.nmpb@nic.in